

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

[हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित
प्रतिकर और पारदर्शिता, अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और
सहमति) नियम 2015 के तहत]

(अंतिम रिपोर्ट)



अध्ययन कर्ता



प्लान फाउंडेशन

(सामाजिक प्रभाव आकलन सहयोगी एवं प्रैक्टिशनर
ब्राडवे एन्क्लेव, संजौली शिमला (हि. प्र .)-171006
फोन: 0177-2841204, 9129057008, 7827826665
www.planfoundation.org

को प्रस्तुत

सामाजिक प्रभाव निरधारण इकाई (SIAU)
HIPA, फेयरलान्ज शिमला (हि.प्र.)-171012

नवम्बर. 2016



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

विषयवस्तु

तालिकाओं की सूची.....	6
चित्रों की सूची	9
संक्षिप्त नाम	10
1. कार्यकारी सारांश	11
1.1 परियोजना और लोक प्रयोजन	11
1.2 अवस्तिथि / स्थान	11
1.3 भूमि अर्जन का आकार और वर्गीकरण	11
1.4 अनुकल्पों /विकल्पों पर विचार	12
1.5 सामाजिक प्रभाव / समाघात	12
1.6 सामाजिक प्रभावों/समघातों के शमन करने के उपाय	14
1.7 सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण.....	17
2 विस्तृत परियोजना ब्यौरा	18
2.1 परियोजना की पृष्ठभूमि	18
2.2 परियोजना का औचित्य व जन उद्देश्य	21
2.3 परियोजना विवरण.....	22
2.4 लागू होने वाले विधान और नीतियां.....	23
3 सामाजिक समाघात निर्धारण दल की संरचना, दृष्टिकोण और प्रणाली की अनुसूची.....	27
3.1 दल का गठन	27
3.2 सामाजिक समाघात/प्रभाव निर्धारण/आकलन की कार्यप्रणाली व तार्किकता का विवरण.....	28

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

3.3 सामाजिक प्रभाव /समाघात आकलन हेतु सुचना एकत्रीकरण हेतु उपकरण/तरीके	36
3.4 सर्वेक्षण और नमूना कार्यप्रणाली.....	38
3.5 प्रयुक्त डाटा स्रोत	45
3.6 परामर्श का ब्योरा.....	46
3.7 जनसुनवाई	46
4 भूमि आंकलन	50
4.1 भूमि की सूची और प्राथमिक स्रोतों का वर्णन	50
4.2 परियोजना प्रभाव/ समाघात के अधीन पूर्ण क्षेत्र	53
4.3 परियोजना के लिय कुल अपेक्षित भूमि और वर्तमान प्रयोग.....	59
4.4 भूमि क्रय और प्रत्येक प्लॉट के प्रयोग का उद्देश्य.....	65
4.5 परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि की मात्रा व अवस्थिति	65
4.6 भूमि के वर्तमान प्रयोग की प्रकृति और वर्गीकरण	65
4.7 नातेदारी, मालिकान बदलाव, हस्तांतरण , मालिकाना इतिहास, जोत का आकार और आवासीय घरों की संख्या	66
4.8 भूमि की कीमत.....	68
5 प्रभावित परिवारों और परिसंपत्तियों का प्राक्कलन और प्रागणन	72
5.1 प्रभावित परिवारों का विवरण	72
5.2 अप्रत्यक्ष प्रभावित	73

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

5.3 उत्पादक परिसम्पतियां और महत्वपूर्ण भूमि की तालिका	75
6 सामाजिक-आर्थिक एवम् सांस्कृतिक रूपरेखा	78
6.1 परियोजना क्षेत्र का जन्सांख्यीय विवरण	78
6.2 आय एवं गरीबी का स्तर	80
6.3 हितधारकों के मध्य दुर्बल समूह	80
6.4 जमीन का इस्तेमाल व आजीविका	81
6.5 स्थानीय आर्थिक गतिविधियां	82
6.6 स्थानीय आजीविका को योगदान देने वाले कारक	82
6.7 नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन	82
6.8 प्रशासनिक संगठन	86
6.9 राजनीतिक संगठन	86
6.10 सामुदायिक आधारित या सिविलि सोसायटी संगठन	87
6.11 क्षेत्रीय आयाम और ऐतिहासिक बदलाव प्रक्रिया	87
6.12 रहन सहन के माहौल की गुणवत्ता	87
7 सामाजिक प्रभाव/समाघात	89
7.1 प्रभाव/समाघात निर्धारण हेतु कार्यढाचा और दृष्टिकोण	90
7.2 परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों के प्रभावों का विवरण	92
8 लागत व मुनाफे का विश्लेषण व अर्जन पर सिफारिशें	106

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

8.1 अंतिम निष्कर्ष.....	106
9. सामाजिक प्रभाव/ समाघात प्रबंध योजना.....	112
9.1 सामाजिक प्रभाव / समाघात शमन के लिए दृष्टिकोण.....	112
9.2 समाघात/ प्रभावों को टालने शमन करने व प्रतिपूर्ति के लिए कदम	112
9.3 परियोजना प्रस्ताव में रिक्वायरिंग बाँडी की ओर से बताए गए कदम	114
9.4 सांस्थनिक ढांचा व मुख्य व्यक्ति.....	114
अनुबंद	
अनुबंद I: प्ररूप II & III (HP RTFCTLAR Rules,2015).....	115
अनुबंद II: शिमला के सर्किल रेट्स की सूचि (2013-17).....	125
अनुबंद III: प्राथमिक हितधारकों के सर्वेक्षण प्रश्नावली व् चित्र.....	153
अनुबंद IV: द्वितीय हितधारकों के सर्वेक्षण प्रश्नावली.....	175
अनुबंद V: पर्यटक सर्वेक्षण प्रश्नावली व् चित्र.....	192
अनुबंद VI: होटल सर्वेक्षण प्रश्नावली व् चित्र.....	196
अनुबंद VII: संस्थानिक सर्वेक्षण प्रश्नावली व् चित्र.....	200
अनुबंद VIII: रॉय सर्वेक्षण प्रश्नावली व् चित्र.....	205
अनुबंद IX: Letter No. Bhasni-8/2013-Bantony Castle 7644.....	208
अनुबंद X: जमाबंदी की नकल	211
अनुबंध XI: जनसुनवाई सूचना और उपस्थिति.....	215
अनुबंध XII: जनसुनवाई के दौरान प्राप्त किये गए आपत्ति/सुझाव.....	220
अनुबंध XIII: जनसुनवाई के दौरान प्राप्त की गई आपतियों पे दिए जवाब व् टिप्पियाँ.....	231
अनुबंध XIV: आयोजित जनसुनवाई की प्रतिलिपि.....	248
अनुबंध XV: मुदिता और राशी सूद हेतु प्रश्नावली की प्राप्ति रिसीद श्रीमती वीना सूद (माँ) द्वारा और SIA में भाग लेने का अनुरोध करते हुए श्री संजय त्रेहन को भेजा गया ईमेला.....	254
सन्दर्भ	256

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

तालिकाओं की सूची

तालिका 1: परियोजना के विभिन्न चरणों पर सामाजिक प्रभाव आंकलन.....	12
तालिका 2: विभिन्न संभावित सामाजिक प्रभावों/समाघातों का विश्लेषण और उनके शमन हेतु प्रस्तावित उपाय.....	15
तालिका 3: परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव	17
तालिका 4: सामाजिक प्रभाव निर्धारण इकाई का विवरण.....	21
तालिका 5: परियोजना विवरण.....	22
तालिका 6: दल के सदस्य.....	27
तालिका 7: स्टैकहोल्डर्स जिनसे विमर्श किया, की सूची.....	40
तालिका 8: मशविरे का कार्यक्रम	46
तालिका 9: अर्जन के भूमि का विवरण.....	50
तालिका 10: पूरी बेंटनी एस्टेट के विस्तृत भू दस्तावेज.....	56
तालिका 11: अर्जन के लिए प्रस्तावित व पूरी बेंटनी एस्टेट के खसरा नंबरों की तुलनात्मक तालिका	61
तालिका 12: 2016-17 वित्तीय वर्ष के लिए शिमला तहसील अर्बन् जिला शिमला के अर्बन एरिया में जमीन के सर्कल रेट	69
तालिका 13: वित्तीय साल 2013-14,14-15 व15-16 के लिए शिमला तहसील अर्बन्, जिला शिमला, हिमाचल के अर्बन एरिया में जमीन के सर्कल रेट.....	70
तालिका 14: भू-आंकलन का सारांश.....	71

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

तालिका 15: प्रभावित परिवार की गणना और अनुमान का सारांश	73
तालिका 16: बेंटनी कैसल में संपत्तियों का विवरण तस्वीरों सहित	75
तालिका 17: प्राथमिक हितधारकों का जनसान्ख्यिकीय विवरण	78
तालिका 18: प्राथमिक हितधारकों का विवरण और एसआईए में उनकी भागीदारी	79
तालिका 19: स्व. श्री राम कृष्णा की वंशावली.....	83
तालिका 20: श्री विश्वनाथ सूद की वंशावली.....	84
तालिका 21: श्री चंद्र पाल सूद के परिवार की वंशावली.....	84
तालिका 22: स्वम. श्री हेमराज सूद की वंशावली.....	85
तालिका 23: स्व. श्री अमरनाथ की वंशावली	85
तालिका 24: श्री स्वा. गोविंद सूद की वंशावली.....	86
तालिका 25: स्व. श्रीमती सुकर्मा देवी की वंशावली.....	86
तालिकाe 26: परियोजनाके विभिन्नो चरणों में सामाजिक प्रभाव का आकलन.....	92
तालिक 27: शिमला शहर के लिए प्रस्तावित मयुजयिम का महत्त्व पर राय.....	95
तालिका 28: प्रस्तावित म्यूजियम सैलानियों को आकर्षित करेगा के बारे में राय.....	96
तालिका 29: म्यूजियम से स्थानीय आर्थिकी बढ़ेगा के बारे में राय.....	96
तालिका 30: सुविधाओं में बढ़ौतरी के बारे में राय.....	97
तालिका 31: क्या म्यूजियम से ज्ञानमंच सृजित होगा इसके बारे राय.....	98

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

तालिका 32: विभिन्न संभावित सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण और उनके शमन के प्रस्तावित कदम	101
तालिका 33: परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव.....	103
तालिका 34: संभावित प्रभावों की सूची.....	104

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

चित्रों की सूची

चित्र 1: पद्धति व तरीका	31
चित्र 2: निशानदेही 500मीटर (नारंगी) & 350 मीटर (हरा) बेंटनी के चारों ओर अध्ययन क्षेत्र ...	33
चित्र 3: बेंटनी एस्टेट के कैडैस्ट्राल मैप के चित्र	51
चित्र 4: अर्जन एरिया के डीजीटाइज्ड कैडैस्ट्राल मैप	52
चित्र 5: पूरी बेंटनी एस्टेट के कैडैस्ट्राल मैप के स्नैपशॉट	57
चित्र 6: पूरी बेंटनी एस्टेट संपत्ति का डिजिटाइज्ड कैडैस्ट्राल मैप	58
चित्र 7: विस्तृत मैप के साथ बेंटनी एस्टेट की तस्वीरें	63
चित्र 8: विभिन्न संपत्तियों की लोकेशंस और तस्वीरें प्रस्तावित अर्जन व उनकी वर्तमान स्थिति ..	64

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

संक्षिप्त नाम

RTFCTLARR	: भूअर्जन ,पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम
SIA	: सामाजिक समाघात/प्रभाव आकलन
SIAU	: सामाजिक समाघात/प्रभाव आकलन इकाई
PAF	: परियोजना प्रभावित परिवार
PAP	: परियोजना प्रभावित व्यक्ति
HH	: परिवार
IOCPGSIA	: इंटर आर्गनाइजेशन कमेटी ऑन प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस फॉर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट
SDM	: उप मंडलादंडाधिकारी
MC	: नगर निगम
DC	: उपायुक्त
HP	: हिमाचल प्रदेश
GoHP	: हिमाचल प्रदेश सरकार
R & R	: पुनर्व्यवस्थापन व पुनर्वास
CE	: व्यवसायिक स्थापना

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1. कार्यकारी सारांश

1.1 परियोजना और लोक प्रयोजन

हिमाचल प्रदेश सरकार के भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से बेंटनी कैसल एस्टेट उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला (अर्बन), जिला शिमला की भूमि 3874-39 वर्ग मीटर (5-3) बीघा है जो खसरा नंबर 886, 887, 888,889, 890, 891, 892,893, 894, 895, 896, 897 और 898 में हैं। के अर्जन का प्रस्ताव रखा है जहाँ आम जनता के लिए एक शहरी संग्रहालय स्थापित किया जाएगा और जिससे राज्य में कला व पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर संपत्तियों के संरक्षण व रखरखाव में मदद करेगा और समाज में जागरूकता पैदा करने में सहायता करेगा।

1.2 अवस्थिति / स्थान

इस उद्देश्य हेतु भूमि जोकि बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला (अर्बन), जिला शिमला में स्थित है का चयन किया गया है। यह कैसल उतरी देशांतर में 39° 06' 22.3" और 73° 10' 10.31" पूर्वी देशांतर में स्थित है। यह कोर माल रोड़ पर स्थित प्रमुख संपत्तियों में से एक है। यह स्कैंडल प्वाइंट से काली बाड़ी रोड़ पर स्थित है । इस परिसंपत्ति के पश्चिम में ग्रैंड होटल हैं, जो शिमला की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है और जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। बेंटनी से करीब 250 मीटर की दूरी पर प्रसिद्ध काली बाड़ी मंदिर स्थित है।

1.3 भूमि अर्जन का आकार और विशेषता

चयनित भूमि 3874-39 वर्ग मीटर (5-3) बीघा है जो खसरा नंबर 886, 887, 888,889, 890, 891, 892,893, 894, 895, 896, 897 और 898 में हैं। भूमि का विवरण तालिका 9 में दिया गया है:-

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1.4 अनुकल्पों /विकल्पों पर विचार

भाषा व संस्कृति विभाग के पत्रांक संख्या Bhasni-8/2013-Bantony Castle 7644 दिनांक 26.7.2016 के अनुसार शहर में कहीं भी वैकल्पिक स्थान नहीं है।

1.5 सामाजिक प्रभाव / समाघात

प्रस्तावित शहरी संग्रहालय परियोजना के लिए बेंटनी कैसल में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के लिए सामाजिक प्रभाव को इस तरह वर्गीकृत किया गया है:-

- (i) निर्माणपूर्व चरण के दौरान प्रभाव
- (ii) निर्माण के दौरान प्रभाव
- (iii) संचालन चरण के दौरान प्रभाव

कुछ प्रभाव जो परियोजना के साथ जुड़े होंगे निम्न तालिका में दिए गए हैं।

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न विपरीत प्रभावों का शमन / दमन किया जा सके व सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाया जा सके। सामाजिक प्रभाव प्रबंधन उपायों को निर्माणपूर्व, निर्माण के दौरान व संचालन चरणों के दौरान विभिन्न चरणों में लागू करना होगा। निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान चिन्हित किए गए विभिन्न प्रभावों का विवरण तालिका 1 में दिया गया है:-

तालिका 1: परियोजना के विभिन्न चरणों पर सामाजिक प्रभाव आकलन

क्रम	निर्माणपूर्व	निर्माण	संचालन
1	भूअर्जन	धूल प्रदूषण	पर्यटन आकर्षण का सृजन
2	निर्मित संपत्ति (खस्ताहाल भवन) का अर्जन	ध्वनि प्रदूषण	हिमाचल प्रदेश के सांस्कृतिक संरक्षण के लिए ज्ञान के केंद्र का सृजन
3		निर्माण के दौरान रोजगार	कूड़ा, शौचालय, सीवरेज और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

अर्जन से मुख्य तौर पर मालिक व उनके परिवार प्रभावित होंगे। ताजा भू दस्तावेजों के अनुसार इस संपत्ति के 13 मुख्य हितधारक हैं जिनमें से 10 के नाम जमाबंदी में दर्ज हैं जबकि तीन ने जिनमें संजय त्रेहन, राजेश सूद व मनू सूद ने संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर रखा है। विस्तृत पारिवारिक ढांचा और सभी हितधारकों के नाम रिपोर्ट में बाद में दिए गए हैं।

वर्तमान में बेंटनी कैसल में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है और आजीविका के लिए किसी भी व्यक्ति की परोक्ष व अपरोक्ष रूप से इस संपत्ति पर निर्भरता नहीं पाई गई है। यह संपत्ति 4 से अधिक वर्षों से खाली है। सर्वेक्षण के विश्लेषण से पता चला है कि कुल उतर दाताओं में से 58% ने प्रस्तावित परियोजना के सन्दर्भ में सकारात्मक विचार प्रस्तुत किये हैं कि वह इसे शहर के लिए प्रासंगिक पाते हैं जो पर्यटकों व स्थानीय निवासियों को आकर्षित करेगा। यह राज्य की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ स्थानीय व्यवसायों विशेष तौर पर पर्यटन संबंधित उद्योगों की आय में वृद्धि करेगा। हालाँकि कुल उतर दाताओं में 26% इस पक्ष में नहीं है। उन्हें लगता है कि यह राज्य संग्रहालय जो की चौड़ा मैदान में स्थित है की पुनरावृत्ति होगी। कुल उतर दाताओं में से 16% कोई भी राय नहीं रखते हैं।

कई उतरदाता इस प्रस्ताव में बच्चों व बड़ों के लिए एक पब्लिक पार्क जोड़ने की राय रखते हैं जिससे यह शिमला शहर में अतिरिक्त आकर्षण और बड़ी आवश्यकता को पूरा करेंगे क्योंकि शिमला में इस तरह के सार्वजनिक स्थानों की कमी है। कुछ अन्य ने सुझाया है कि राज्य संग्रहालय को इस नयी जगह पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए जिससे मुख्य पर्यटन आकर्षण के सृजन के साथ साथ संग्रहालय की पुनरावृत्ति और उसके रख रखाव के खर्चों को टाला जा सके।

द्वितीय व संस्थानिक हितधारकों पर कोई भी विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

प्राथमिक हितधारको के सर्वे व संवाद से पता चला है कि, अर्जन प्रक्रिया से उनकी सहमति की केवल एक शर्त है कि सरकार की ओर से पूरी बेंटनी एस्टेट को अधिग्रहित किया जाना चाहिए न कि इसके एक भाग को। उनकी दलील थी कि वर्तमान प्रस्तावित अर्जन में केवल संपत्ति के सबसे बेहतरीन भाग को ही अधिग्रहित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप मालिकों के लिए शेष भूमि का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि इसका अर्जन हो गया तो शेष भूमि के लिए पहुंच तक नहीं रहेगी। परियोजना के संचालन के दौरान कुछ नकारात्मक प्रभाव/समाघात होंगे जैसे की कचरे, सीवेज, ठोस अवशिष्ट आदि का सृजन | हालाँकि परियोजना के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होंगे जैसे की पर्यटकों को आकर्षण और उससे स्थानीय आर्थिकी को बढ़ावा, निर्माण एवं सञ्चालन चरण के दौरान रोज़गार का सृजन, आस पास की संपत्ति की मूल्य में वृद्धि, ज्ञान मंच का सृजन और सांस्कृतिक संरक्षण |

1.6 सामाजिक प्रभावों/समाघातों के शमन करने के उपाय

अधिनियम पर गौर करने व विश्लेषण करने के बाद यह लगता है कि सामाजिक मुद्दों के निपटारे के लिए RTFCTLARR Act 2013 के तहत भूअर्जन के लिए मुआवजे के प्रावधान पर्याप्त होंगे। इसके अतिरिक्त अर्जन में पुनर्व्यवस्थापन व पुनर्वास शामिल नहीं है इसलिए R&R प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। परिणामस्वरूप R&R नीति के तहत कोई लाभ देने की आवश्यकता नहीं है।

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

तालिका 2: विभिन्न संभावित सामाजिक प्रभावों/समाघातों का विश्लेषण और उनके शमन हेतु प्रस्तावित उपाय

क्रम	प्रभाव के प्रकार	स्थिति	प्रस्तावित शमन करने के उपाय
1	जमीन का नुकसान	हां, जमीन का नुकसान होगा	RTFCTLARR Act, 2013 के मुताबिक मुआवजा
2	निर्मित संपत्ति का नुकसान	हां, हालांकि इमारतें बहुत बुरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, फिर भी उनका कुछ सांस्कृतिक व वास्तुत्मक महत्व हो सकता है।	RTFCTLARR Act, 2013 के मुताबिक मुआवजा
3	उत्पादन परिसंपत्तियों का नुकसान	नहीं	-
4	आजीविका का नुकसान	नहीं	-
5	जन उपयोगी लाइनों का नुकसान	नहीं	-
6	साझा संपत्ति संसाधनों का नुकसान	नहीं	-
7	जन सेवाओं के लिए पहुंच व साझा संपत्ति संसाधनों का नुकसान	नहीं	-
8	सांस्कृतिक संपत्ति का नुकसान	नहीं	-
9	कमजोर समूहों का विस्थापन	नहीं	-

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

इसके अतिरिक्त समाघात/प्रभावों के शमन हेतु निम्न उपायों पर विचार किया जा सकता है:

1. द्वितीय हितधारकों जिसमें होटल, टूर एंड ट्रेवल एजेंसियां, सम्बंधित क्षेत्र की व्यापारिक संस्थाएं, नागरिक संगठन/राजनैतिक/धार्मिक/स्वेच्छक संस्थाएँ/यूनियन/महिला समूह आदि के सर्वेक्षण के विश्लेषण से और पर्यटकों, स्थानीय निवासियों और प्राथमिक हितधारकों द्वारा उपलब्ध किये गए इनपुट के आधार पर सरकार, बजाय परियोजना के लिए पहले प्रस्तावित 3874.39 वर्ग मीटर के, बैटनी एस्टेट की सारी संपत्ति जो करीब 18,193 वर्ग मीटर हैं को अधिग्रहित करने का फैसला ले सकती है। क्योंकि एक बार मुख्य भाग के अर्जन हो जाने के बाद शेष भूमि का मालिकों को बहुत कम लाभ होगा ।
2. यदि सरकार पूरी एस्टेट को अधिग्रहित करने का निर्णय लेती है तो परिणाम स्वरूप अतिरिक्त भूमि होने पर म्यूजियम के प्रस्ताव के साथ एक पब्लिक पार्क भी शामिल किया जा सकता है, इससे दो जन उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। इस से म्यूजियम के लिए अधिक पर्यटक आकर्षित किए जा सकेंगे। इसके अलावा शिमला के स्थानीय लोगों व सैलानियों की ओर से यहां पर बार-बार भ्रमण किया जा सकेगा। क्योंकि शिमला में पब्लिक स्पेस जैसे पार्को आदि की भारी कमी है। सर्वे में पाया गया कि जनता म्यूजियम के साथ पार्क की भी इच्छुक है।
3. यदि सरकार मूल प्रस्तावित अर्जन जोकि 3874.39 वर्ग मीटर है का निर्णय लेती है तो परियोजना प्लानिंग एवं कार्यान्वयन के दौरान यह ध्यान रखा जाए की बची हुई संपत्ति के लिए उपयुक्त रास्ता छोड़ा जाए ।
4. यह सुझाव है कि वर्तमान राज्य म्यूजियम को इस नई लोकेशन पर लाया जा सकता है। जिससे उसे बहुत अधिक लाभ होगा । इसके अतिरिक्त सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा व दोहरी ढांचागत सुविधाएं खड़ी करने से बचा जा सकेगा चौड़ा मैदान में खाली रह जाने वाले म्यूजियम को, जिसे सक्षम अथारिटी उचित समझे, किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

5. निर्माण चरण के दौरान प्रदूषण स्तर को न्यूनतम रखने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए ।
6. सञ्चालन चरण के दौरान होने वाले कचरा, सीवेज, ठोस अवशिष्ट आदि के उत्पन होने के समघतों का पर्याप्त शमन किया जाना चाहिये ।

1.7 सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण

परियोजना के कुछ सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव तालिका 3 में दिए गए हैं:-

तालिका 3: परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव

क्रम	सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव	टिप्पणियाँ
1	पर्यटनों का आकर्षण	भू अर्जन	यहां बताएं गए सभी प्रभावों को विभिन्न हितधारकों ने सर्वे के दौरान सुझाया। अगर परियोजना के नकारात्मक प्रभावों का शमन किया जाए तो प्रस्तावित परियोजना लोगों व राज्य को लाभ पहुंचाएंगी।
2	स्थानीय आर्थिकी में बढ़ोतरी	निर्मित इमारतों का नुकसान	
3	रोजगार में बढ़ोतरी	प्राथमिक हितधारकों के लिए बेंटनी एस्टेट की बाकी बच जाने वाली संपत्ति की कीमत में कमी	
4	ज्ञान मंच का सृजन	कचरा, शौचालय सीवेज, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन ।	
5	आसपास की संपत्ति की कीमत में बढ़ोतरी		
6	सांस्कृतिक संरक्षण		

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

2 विस्तृत परियोजना ब्यौरा

2.1 परियोजना की पृष्ठभूमि

हिमाचल प्रदेश सरकार के भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से बेंटनी कैसल एस्टेट उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला (अर्बन), जिला शिमला के अर्जन का प्रस्ताव रखा है जहाँ आम जनता के लिए एक शहरी संग्रहालय स्थापित किया जाएगा और जिससे राज्य की कला व पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। चयनित जमीन 3874-39 वर्गमीटर (5-3) बीघा हैं, जो खसरा नंबर 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897 और 898 में हैं।

प्रस्तावित परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की भाषा व संस्कृति विभाग ही इसे चलाने व प्रबंधन करने वाली इकाई होगी। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किसी भी डेवलपर को विभाग द्वारा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

बेंटनी कैसल और बेंटनी काटेज:

जर्जर हालत में बेंटनी एस्टेट, बेंटनी हिल पर स्थित है। इसमें बेंटनी कैसल और बेंटनी काटेज निजी धरोहर भवन है। कभी इसे सर अमर प्रकाश बहादुर जो सिरमौर के महाराजा थे, ने ब्रिटीश साम्राज्य को अपनी भक्ति प्रदर्शित करने हेतु दिया था। इस सम्पदा का उपयोग युद्धों के अन्त तक सैन्य व कार्य कार्यशाला के तौर पर होता रहा। यह भवन नगर के धरोहर क्षेत्र के अन्तर्गत है।



बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

सन् 1880 से पहले यह एक छोटी सी काटेज जो केप्टन ए गोर्डन के पास थी तथा यहाँ कुछ सैन्य अफसर रहते थे।

महाराजा सिरमौर ने इस भवन का निर्माण ट्यूडर शैली से मिलता-जुलता तथा शैलेट से मेल खाता बनवाया । इसकी ढालदार छतें छोटे-छोटे मीनारों के साथ हैं। इस भवन के वास्तुकार टी ई जी कूपर हैं। नाहन फाउंडरी में ढला हुआ इस भवन का बाहरी वास्तविक द्वार 1902-03 में बना था । महाराजा के राजकीय चिन्ह रेलिंग में ढले देखे जा सकते हैं। इस सुन्दर रेलिंग को 1972 में आर एस एस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के व्यक्तियों ने हानि पहुंचाई। यह कार्य ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति रोष प्रकट करने का था परन्तु उन्हें नहीं पता था कि यह राज चिन्ह महाराजा सिरमौर के थे न कि ब्रिटिश साम्राज्य के। उन्होंने नगर निगम और विद्युत बोर्ड को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक शेर राज्य चिन्ह को लेम्प पोस्टो से हटाने पर बाध्य किया ।



स्त्रोत तस्वीर सुरेश शर्मा के सौजन्य से

यह भवन अब अधिक जर्जर अवस्था में है । सन् 1957 से, इसमें राज्य की पुलिस का मुख्यालय था। लगभग पिछले 8 वर्ष से इसे न्यायालय के निर्णय पर खाली कर दिया गया था बेंटनी काटेज

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

काफी समय के लिए रोजगार कार्यालय के पास रहा है। उन्होंने इस भवन को तब खाली किया जब यह संकटपूर्ण हो गया था बेंटनी एस्टेट को पाने के लिए पहले भी दो बार कार्य शुरू हुआ था। सन् 1968 में राज्य कर्मचारियों के निवास हेतु भवन निर्माण के लिए और 1975 में मिनी सचिवालय के लिए यत्न किए गए परन्तु अर्जन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। सन् 2004 में सरकार ने फिर इस सम्पदा के अर्जन के लिए भवन के मालिकों से बातचीत द्वारा अर्जन करने का यत्न किया परन्तु सौदे को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका।

सन् 2013 में तृतीय बार राज्य सरकार ने इस भूमि जो 3874-39 वर्गमीटर या 5.3 बीघा और 13 खसरा नम्बरों के अंतर्गत मोहाल कालीबाड़ी शिमला में स्थित बेंटनी एस्टेट कहा जाता है, को पाने का कार्य प्रारम्भ किया। इसके अर्जन के लिए अधिसूचना 23 नवम्बर 2013 को भू अर्जन एक्ट 1894 के अन्तर्गत जारी की गई ।

भूमि अर्जन एक्ट 1894 के अन्तर्गत अर्जन की प्रक्रिया आरम्भ की गई थी। कलेक्टर द्वारा यह सूचित किया गया कि भूमि अर्जन एक्ट 1894 निरस्त हो चुका है और उसके स्थान पर भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अमल में है। इस केन्द्रीय एक्ट के कारण हिमाचल सरकार के राजस्व विभाग ने हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम 2015 पारित किया।

अन्त में 1 जून 2016 को भाषा एवम् संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश ने अधिसूचना न० LCD-F(5)-2/2001-L जारी की। इसके अन्तर्गत बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी तहसील शिमला (शहरी) जिला शिमला के अन्तर्गत भूमि 3874.39 वर्गमीटर (5-3) बीघा जो खसरा नं० 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897 और 898 के है का अर्जन भाषा एवम् संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश एक शहरी संग्रहालय स्थापित करने के लिए करना चाहता है जिसका उपयोग सामान्य जनता व भावी पीड़ियों हेतु कला तथा पर्यटन को प्रोत्साहन हेतु तथा धरोहर के संरक्षण और सम्भालने के लिए होगा तथा समाज में इसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

सामाजिक प्रभाव निर्धारण यूनिट (SIAU) को इस प्रकार के सर्वेक्षण सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन हेतु गठित किया गया। निर्देशक हि० प्र० लोक प्रशासन संस्थान फेयर लॉन शिमला को इस इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। इस इकाई के अन्य निम्न सदस्य हैं।

तालिका 4: सामाजिक प्रभाव निर्धारण इकाई का विवरण

क्रमांक	पद और पता	सम्पर्क सूत्र
1	इनचार्ज, स्टेट इन्स्टीच्यूट आफ रूरल डिवेलपमेंट HIPA शिमला	सदस्य 0177-2734781
2	अध्यक्ष, सोशेलोजी और सोशल वर्क विभाग, हि० प्र० विश्वविद्यालय शिमला	सदस्य 0177-2833872 0177-2833899
3	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यावरण विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग, शिमला	सदस्य 0177-2620998 0177-2621992

2.2 परियोजना का औचित्य व जन उद्देश्य

RFCTLARR Act. 2013, Section 2 (b) के मुताबिक खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, ट्रॉसपोर्टेशन और स्पेस प्रोग्राम की परियोजनाओं को जनउद्देश्य के तहत शामिल किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश जिसके पास विशाल स्थापत्य, सांस्कृतिक और कलात्मक धरोहरों का खजाना है, को इस प्रस्तावित संग्रहालय में मौलिक शिल्प कलाकृतियों, मूर्तिकला, मॉडलज, पांडुलिपियों और सामान्य तौर पर हिमाचल व खासतौर पर शिमला शहर से जुड़े दस्तावेजों के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है।

प्रस्तावित संग्रहालय जो हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक, भूगर्भीय, पुरातात्विक, अभिलेखीय, साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और जैव विविधताओं को प्रदर्शित करने जा रहा है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर संपत्तियों के संरक्षण व रखरखाव के अलावा समाज में जागरूकता पैदा करने में सहायक होगा और मदद करेगा। अतः प्रस्तावित शहरी संग्रहालय शिमला शहर में एक पर्यटन के केंद्र के तौर पर विकसित होगा

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

2.3 परियोजना विवरण

परियोजना का विवरण तालिका 5 में संक्षिप्त तौर पर दिया जा रहा है।

तालिका 5: परियोजना विवरण

क्रम	विवरण	प्रस्ताव के मुताबिक ब्योरा
1	परियोजना का नाम	शहरी संग्रहालय/अर्बन म्यूजियम
2	स्थान	बेंटनी कैसल , दी माल शिमला
3	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र	3874-39 वर्ग मीटर (5-3) बीघा
4	परियोजना का आकार	परियोजना के लिए अभी इसका खाका तैयार नहीं किया गया है।
5	परियोजना की क्षमता	
6	आउटपुट	
7	उत्पादन लक्ष्य	
8	लागत	
9	जोखिम	
10	विकल्पों की पड़ताल	शहर में कोई और वैकल्पिक जमीन उपलब्ध नहीं है।
11	परियोजना निर्माण के चरण	चरणों का खाका बाद में तैयार किया जाएगा।
12	स्थाई डिजाइन की विशेषताएं और आकार और सुविधाओं के प्रकार	बाद में तैयार किया जाएगा
13	दांचागत सुविधाओं के लिए सहायक जरूरतें	बाद में तैयार किया जाएगा
14	श्रमबल की जरूरतें (अस्थाई और स्थाई)	बाद में तैयार किया जाएगा
15	पहले से तैयार की गई किसी भी तरह की एसआईए या इआईए और किसी तकनीकी व्यावहारिकता अध्ययन की रिपोर्ट का विवरण	अभी तक कोई भी इआईए, एसआईए, या तकनीकी व्यावहारिकता अध्ययन नहीं कराया गया।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

क्रम	विवरण	प्रस्ताव के मुताबिक ब्योरा
16	लागू होने वाले कानून व नीतियां	<ol style="list-style-type: none"> 1. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 2. हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम 2015

नोट : विवरण भाषा, एवं संस्कृति विभाग की की ओर से पत्रांक संख्या Bhasni-8/2013- Bantony Castle 7644 दिनांक 26/7/2016 के तहत दिया गया है। (अनुबंध IX)

2.4 लागू होने वाले विधान और नीतियां

यह खंड बेंटनी कैसल के प्रस्तावित अर्जन में लागू होने वाले देश के मौजूदा कानून व नियमों के बारे में चर्चा करता है। परियोजना को लागू करने और अंतरालों को चिन्हित करने में वैधताओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए अधिनियमों व नीतियों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। इसलिए सामाजिक मुद्दों की रोशनी में जिस कानूनी ढांचे के तहत यह प्रस्तावित अर्जन लागू किया जाएगा, उसका संक्षिप्त विवरण यहां इस खंड में दिया गया है। बेंटनी कैसल के प्रस्तावित अर्जन के लिए भूअर्जन, पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास के लिए लागू किए जाने वाले कानून यह हैं:

- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
- हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार(सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम 2015

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

भूमि अर्जन , पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

भूमि अर्जन , पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ने (RTFCTLARR Act,2013) ने भू अर्जन अधिनियम 1894 की जगह ली, जो औपनिवेशिक काल से अस्तित्व में था। पुराने भू अर्जन अधिनियम की त्रुटियों को दूर कर नए RTFCTLARR Act को ताजा करने की कोशिश की गई व भू अर्जन प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाया गया।

अधिनियम में भूमालिकों के, औद्योगिकीकरण/ रियल एस्टेट की वृद्धि और ढांचागत उद्योगों के हितों में एकरूपता व भूमि अर्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास है। इस तरह अधिनियम का उद्देश्य इसे आधुनिक समय की जरूरतों के मुताबिक बनाना है।

अधिनियम में जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की जानी है उनके अनिवार्य पुनर्व्यवस्थापन व पुनर्वास और उन्हें उचित मुआवजे के भुगतान का प्रावधान किया गया है। अगर सरकार की ओर से जनउद्देश्य या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की परियोजनाओं के लिए अर्जन किया जाता है तो अधिनियम में बड़े मुआवजे का प्रावधान है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार भाव से चार गुणा व शहरी क्षेत्रों में दुगुना हो सकता है। अधिनियम को भूमालिकों व बाकी प्रभावित व्यक्तियों के हितों को संरक्षित करने के लिए जरूरी व लाभदायक माना गया ।

RTFCTLARR Act की मुख्य विशेषताएं

अधिनियम अर्जन के साथ- साथ आर एंड आर के लिए भी प्रावधानों को साफ करता है। मौजूदा प्रावधानों से जुड़े मुख्य बदलाव यह हैं (1) भू अर्जन की प्रक्रिया (2) अर्जन से विस्थापित हुए लोगों के अधिकार (3) मुआवजे की गणना का तरीका (4) सभी तरह के अर्जन के लिए आर एंड आर की जरूरत।

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

भू अर्जन की प्रक्रिया :

सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं से सलाह कर सामाजिक प्रभाव आंकलन कराना होगा। (शहरी क्षेत्रों में बराबर की इकाई) इसके बाद SIA रिपोर्ट का एक विशेषज्ञ समूह द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। विशेषज्ञ समूह में दो गैर सरकारी समाज विज्ञानी, दो पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ और एक परियोजना के विषय से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ होना अनिवार्य होगा। एसआईए रिपोर्ट की पड़ताल आगे एक कमेटी की ओर से की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भू अर्जन का प्रस्ताव कुछ दी गई शर्तों को पूरा करता है।

SIA रिपोर्ट के मूल्यांकन की तिथि से 12 महीने के भीतर, अर्जन की मंशा दर्शाने वाली प्राथमिक अधिसूचना जरूरी तौर पर जारी हो जानी चाहिए। इसके बाद, सरकार किस सीमा तक जमीन अधिग्रहित करनी है यह तय करने के लिए एक सर्वे कराएगी। इस प्रक्रिया को लेकर आपत्तियों को क्लेक्टर सुनेंगे। इसके बाद यदि सरकार सन्तुष्ट हो जाती है कि एक विशिष्ट भूमि का भाग जन उद्देश्य हेतु अधिग्रहित की जानी है तो अधिग्रहित करने के लिए घोषणा की जाएगी। एक बार यह घोषणा प्रकाशित हो गई, तो सरकार जमीन को अधिग्रहित कर लेगी। प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से लेकर अर्जन की प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित जमीन को लेकर किसी तरह के लेन देन की इजाजत नहीं होगी।

भूमालिकों को मुआवजा

RTFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि अर्जन के लिए मुआवजा निर्धारित किया जाएगा।

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

पुनर्व्यवस्थापन व पुनर्वास की प्रक्रिया

हर अर्जन के मामले में RTFCTLARR Act के तहत पुनर्व्यवस्थापन व पुनर्वास की जरूरत है। एक बार जब अर्जन की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित हो गई, एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासक एक सर्वे कराएगा और आरएंडआर स्कीम तैयार करेगा। शहरी क्षेत्र के मामले में इस स्कीम पर स्थानीय बाँडी में चर्चा होगी। आर एंड आर स्कीम को लेकर किसी भी आपत्ति को प्रशासक की ओर से सुना जाएगा। परिणामस्वरूप प्रशासक एक रिपोर्ट तैयार करेगा और कलेक्टर को सौंपेगा। कलेक्टर स्कीम की समीक्षा करेगा और इसे R&R स्कीम के लिए नियुक्त कमीशनर को सौंपेगा। एक बार कमीशनर ने R&R स्कीम मंजूर कर दिया तो ,सरकार R&R के लिए चिन्हित क्षेत्र की घोषणा जारी करेगी। इसके बाद प्रशासक स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा और इस स्कीम को लागू करेगा और कमीशनर निरीक्षण करेगा।

हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम 2015

The HP RTFCTLARR नियम 2015 केंद्रीय एक्ट-2013 पर आधारित है जिसमें हिमाचल प्रदेश में भूमि अर्जन के प्रस्ताव के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नियमों का मुख्य उद्देश्य नियमों में दर्शाए गए प्ररूप II व III की अनुपालन करते हुए सामाजिक समाघात/प्रभाव निर्धारण/आकलन करना व सौंपना होता है प्ररूप II & III अनुबंध I में दिए गए हैं।

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

3 सामाजिक समाघात निर्धारण दल की संरचना, दृष्टिकोण और प्रणाली की अनुसूची

3.1 दल का गठन

सामाजिक प्रभाव आंकलन के अध्ययन पर काम कर रही टीम पर तालिका 6 में रोशनी डाली गई है। टीम का हर एक सदस्य अपने संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ है और इससे पहले ऐसे बहुत सारे अध्ययन किए हैं।

तालिका 6: दल के सदस्य

क्रमांक	नाम	योग्यता	लिंग	विशेषज्ञता
1.	जितेंद्र शर्मा	एमबीए	पुरुष	सोशल मोबलाइजेशन विशेषज्ञ व टीम लीडर
2	विराल मिश्रा	सिविल इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी के स्नातक, रीजनल प्लानिंग में स्पेशलाइजेशन के साथ प्लानिंग में परास्नातक	पुरुष	शहरी व क्षेत्रीय योजना में विशेषज्ञ
3.	अखिल गुप्ता	वास्तुकला में स्नातक, आवास में विशेषज्ञता के साथ योजना में परास्नातक	पुरुष	आवास व् आर एंड आर विशेषज्ञ
4.	अक्षयकुमार पटेल	प्लानिंग में परास्नातक	पुरुष	प्रभाव आकलन व कम्युनिटी मोबलाइजेशन विशेषज्ञ
5.	चंपा भारद्वाज	बीए (सेवानिवृत्त तहसीलदार)	महिला	भूसुधार व राजस्व विशेषज्ञ, मिटिगेशन
6.	आदित्य सूरी	बी टैक	पुरुष	सर्वेक्षण व् आंकड़ों के विश्लेषण में विशेषज्ञ
7.	एमआर शर्मा	सोशल वर्क में स्नातक	पुरुष	सर्वे एंड स्टेटिस्टिकल रिसर्चर
8.	मिनाक्षी भारद्वाज	सामाजशास्त्र में एमए	महिला	सर्वे एंड स्टेटिस्टिकल रिसर्चर

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

क्रमांक	नाम	योग्यता	लिंग	विशेषज्ञता
9.	निशिमा शर्मा	समाजशास्त्र में एमए	महिला	फील्ड इन्वेस्टिगेटर
10.	रजनी सूरी	एमए	महिला	फील्ड इन्वेस्टिगेटर और एफजीडी और लिंग स्पेशलिस्ट

3.2 सामाजिक समाघात/प्रभाव निर्धारण/आकलन की कार्यप्रणाली व तार्किकता का विवरण

सामाजिक प्रभाव आंकलन का उद्देश्य ढांचों, प्रभावितों परिवारों व व्यक्तियों की पूरी इन्वेंटरी तैयार करना और सामाजिक प्रभावों को चिन्हित करना है। मौजूदा कार्य के लिए डाटा हासिल करने के लिए बहुत से प्राथमिक व सेकंडरी डाटा स्रोतों से परामर्श लिया गया। परियोजना से प्रत्यक्ष व अपरोक्ष रूप से प्रभावित होने वाले सभी प्रमुख हितधारकों की एक सूची तैयार की गई। यह सूची मुख्य तौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित की गई जो इस प्रकार से हैं:-

- 1) प्राथमिक हितधारक
- 2) द्वितीय हितधारक
- 3) संस्थानिक हितधारक

सर्वेक्षण करने के लिए हितधारकों व कार्यप्रणाली का विवरण आगे सेक्शन 3.4 में समझाया गया है

सामाजिक प्रभाव आकलन/निर्धारण और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

जब परियोजना की वजह से लोगों का आर्थिक या असल में विस्थापन होता हो तो सामाजिक प्रभाव आंकलन और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना की जरूरत पड़ती हैं। योजना को सुनिश्चित करना होता है कि परियोजना के शुरू होने से पहले परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों की आजीविका को परियोजना से पहले के स्तर तक सुनिश्चित किया जाए। एक प्रभावी एसआई और एसआईएमपी तैयार करने के लिए निम्न अनिवार्य अंगों व कदमों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे परियोजना के सामाजिक आर्थिक प्रभावों को चिन्हित करना, जन/ समुदाय से मशवरा, भू-अर्जन व मुआवजे के

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

लिए कानूनी संरचना, हकदारी नीति, सांगठनिक जिम्मेदारियां, पुनर्आवर्तन व पुनर्वास, आय बहाली, कार्यान्वयन कार्यक्रम, विस्तृत आर एंड आर बजट।

अध्ययन का लक्ष्य

हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन , पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम 2015 के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन करना हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं

1. परियोजना की तार्किकता का अध्ययन करना कि यह किस प्रकार RTFCTLAAR एक्ट 2013 में अधिसूचित जन उद्देश्यों की परिभाषा में आते हैं ।
2. भूमि आकलन, भूमि दस्तावेजों और फील्ड सत्यापन के आधार पर सामाजिक प्रभाव आकलन प्रभावित परिवारों और उनमें से विस्थापित परिवारों की संख्या का सटीक अनुमान उपलब्ध करना । जहाँ तक संभव हो सामाजिक प्रभाव/समाघात निर्धारण/आकलन दल सभी प्रभावित परिवारों की गणना करना और जहाँ यह संभव ना हो वहां प्रतिनिधि सैंपल द्वारा गणना करना
3. उपरोक्त नियमों के तहत प्ररूप नंबर-II के अनुसार प्रभावित क्षेत्र का उपलब्ध आंकड़ों, फील्ड भ्रमण और मशविरे के आधार पर एक सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल अनिवार्य तौर पर तैयार करना । चिन्हित पुनर्व्यवस्थापन स्थलों का भ्रमण करना और भूमि तथा यहां रहने वाली मौजूदा आवासीय आबादी का संक्षिप्त सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल तैयार करना ।
4. उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर आंकड़े एकत्रित कर व प्रभावित लोगों व मुख्य हितधारकों से विमर्श के बाद प्रस्तावित परियोजना का सामाजिक प्रभाव आकलन उपरोक्त नियमों के प्ररूप -II के अनुसार भूमि अर्जन और प्रस्तावित परियोजना के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों की प्रकृति, सीमा व गहनता की पहचान करना ।

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट


5. सामाजिक प्रभाव आकलन प्रक्रिया में सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना आकलन को तैयार करना, जो आकलन के दौरान चिन्हित किए गए सामाजिक प्रभावों को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले प्रगतिशील कदमों को पेश करे।
6. सामाजिक प्रभाव आकलन टीम द्वारा लागतों, समय व क्षमताओं को स्पष्ट तौर पर अंकित करने के साथ प्रभाव शमन और प्रबंधन रणनीति की व्यावहारिकता का आकलन करना ।
7. सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना में निम्न कदमों को शामिल करना:
 - (a) जो अधिनियम के अनुसार प्रभावित परिवारों की सभी श्रेणियों के लिए पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास और मुआवजा नियमों में निर्दिष्ट करना
 - (b) अर्जन करने वाली संस्था के अनुसार बताये गए परियोजना प्रस्ताव और अन्य संबंधित परियोजना दस्तावेजों को शामिल करना
 - (c) अर्जन करने वाली संस्था की ओर से अतिरिक्त उन कदमों को शामिल करना, जो सामाजिक प्रभाव आकलन प्रक्रिया की फाइंडिंग और जन सुनवाई में मिले थे।
8. सामाजिक प्रभाव आकलन को प्रस्तावित परियोजना व अर्जन के विपरीत सामाजिक प्रभावों और सामाजिक लागत और लाभों के वितरण व संतुलन, शमन के उपायों समेत निर्णायक आकलन उपलब्ध करना। इसके अलावा यह भी आकलन मुहैया करना कि क्या प्रस्तावित परियोजना से मिलने वाले लाभ प्रभावित परिवारों के सामाजिक लागतों व विपरीत सामाजिक प्रभावों जिन्हें वह अनुभव करने वाले हैं, से अधिक हैं या उपरोक्त भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन के परिणामस्वरूप प्रभावित परिवार प्रस्तावित शमन उपायों के बाद आर्थिक तौर पर जोखिम में रहेंगे या सामाजिक तौर पर बुरी स्थिति में आ जाएंगे।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

पद्धति और तरीका

सामाजिक प्रभाव/समघात आंकलन/निर्धारण व एसआईएमपी को तैयार करने के लिए अपनाई गई पद्धति का विवरण नीचे दिया गया है और इसे टर्म आफ रेफरेंस के अनुरूप बनाया गया है। एसआईए को RTFCTLARR एक्ट 2013 और HP RTFCTLARR रूल्स 2015 के अनुरूप तैयार किया गया है। आकृति 1 में एसआईए अध्ययन के लिए अपनाई गई पद्धति व कार्यप्रणाली को फ्लो चार्ट के रूप में दर्शाया गया है। SIA हेतु निम्न कदम उठाए गए।

चित्र 1: पद्धति व तरीका



अध्ययन क्षेत्र

शिमला, हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है व नई दिल्ली से 370 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर पहाड़ी पर स्थित है और ब्रिटिश राज के समय से ही बहुत मशहूर पर्यटन स्थल और हिल

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

स्टेशन के रूप में विख्यात हैं। इसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजों ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी विकसित किया। शिमला को हिमाचल डवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1968 के तहत 29 जून 1969 को नगर निगम घोषित किया गया। शिमला देश के पुरातनतम नगर निगमों में से एक हैं।


हमारे अध्ययन का एकमात्र क्षेत्र बेंटनी कैसल है जिसे हिमाचल प्रदेश के भाषा व संस्कृति विभाग की ओर से अधिग्रहित करने के लिए प्रस्तावित किया जा चुका है। निम्न मैप में शिमला में इस परिसंपत्ति की लोकेशन को दर्शाता हैं। यह परिसंपत्ति उतरी देशांतर में $39^{\circ} 06' 22.3''$ और $73^{\circ} 10' 10.31''$ पूर्वी देशांतर में स्थित है। यह माल रोड पर मुख्य स्थानों में से एक है। यह स्कैंडल प्वाइंट से काली बाड़ी रोड पर स्थित है। इस परिसंपत्ति के पश्चिम में गैंड होटल हैं, जो शिमला की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है और जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। बेंटनी से करीब 250 मीटर की दूरी पर मशहूर काली बाड़ी मंदिर स्थित है।



बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

प्रस्तावित परियोजना और अर्जन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, शुरू में बेंटनी एस्टेट के चारों ओर 500 मीटर की क्रो फ्लाइट दूरी तक निशानदेही की गई थी। लेकिन बाद में पैमाइश के दौरान लोगों व दूसरे हिस्सेदारों से विमर्श करने के बाद यह पाया गया कि इस परियोजना का इतने विशाल क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आखिर में अध्ययन क्षेत्र के रूप में बेंटनी कैसल के चारों ओर 350 मीटर (क्रो फ्लाइट) रेडियस के क्षेत्र को अंतिम रूप दिया गया। क्षेत्र का विहंगम दृष्य नीचे दर्शाया गया है।

चित्र 2: निशानदेही 500मीटर (नारंगी) & 350 मीटर (हरा) बेंटनी के चारों ओर अध्ययन क्षेत्र




नोट: चूंकि परियोजना स्थल पहाड़ी भौगोलिक स्थिति का है, इसलिए उपरोक्त चित्र में 350 मीटर के दायरे का क्षेत्र सिमेट्रिकल नजर नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेंटनी कैसल के उतरी किनारे की ओर से गहरी ढलान है (प्वाइंट)। जबकि दक्षिण की ओर भौगोलिक स्थिति सापेक्षतया समतल है।

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट



बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

3.3 सामाजिक प्रभाव /समाघात आकलन हेतु सूचना एकत्रीकरण हेतु उपकरण/तरीके

टोह / अवलोकन

SIA टीम में योजनाकार, समाज विज्ञानी, इंजीनियर्स शामिल हैं जिन्होंने बेंटनी कैसल शिमला को अर्बन म्यूजियम प्रोजेक्ट के लिए अवलोकन किया। इस अवलोकन का उद्देश्य अर्जन व म्यूजियम विकसित होने के बाद लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव की सीमा का अंदाजा लगाना था।

गौण/द्वितीयक स्रोतों से हासिल डाटा

गौण स्रोतों से सूचनाएं विभिन्न स्थानों जैसे जनगणना डाटा, स्टैटिस्टिकल हैंडबुक, विभिन्न विभागों और अन्य तरह के साहित्य से एकत्रित की गई। इस तरह गौण स्रोतों से मिली सूचनाएं प्राथमिक डाटा की पूरक रही, जिसे प्रभावित लोगों और अन्य हितधारकों से फील्ड सर्वे के जरिए हासिल किया था। विस्तृत फील्ड पड़ताल करने से पूर्व परियोजना क्षेत्र के बारे में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक ढांचे को लेकर एक समझ बनाई गई ।

साइट के दौरों व सूचना संप्रेषण

सामाजिक प्रभाव/समाघात निर्धारण/आकलन टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित करने और जमीन पर खसरा मैप को वैरीफाई करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के साथ साइट का दौरा किया। कालीबाडी सर्कल के पटवारी के मौजूदगी में खसरा मैप से तुलना कर परियोजना से प्रभावित होने वाले ढांचों की पहचान व उनकी गणना की गई । प्रभावित क्षेत्र की पहचान करने के बाद परियोजना क्षेत्र में टीम ने विभिन्न हितधारकों से विमर्श किया और परियोजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उनके साथ बैठकें की। सर्वे टीम ने प्रभावित हितधारकों से बैठकें कर शुरुआत से उनकी गणना की। उनके साथ परियोजना के बारे में सूचनाएं व सर्वे प्रक्रिया को साझा किया गया ।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट



बेसलाइन सामाजिक आर्थिक सर्वे

परियोजना क्षेत्र में प्रभावित होने वाले ढांचों की गणना करने के बाद प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक- स्थितियों पर प्रस्तावित परियोजना से पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन करने के लिए परिवार का सामाजिक आर्थिक सर्वे करने का प्रयास किया गया। परिवार सोशल सर्वे, पहले से परखे गए “परिवार प्रश्नावली” की मदद से किया गया। प्रश्नावली में परियोजना प्रभावित परिवार/परियोजना प्रभावित व्यक्ति, सोशल प्रोफाइल, परिवार विवरण, व्यवसाय, आय के साधन, पारिवारिक खर्च, दस्तावेजी सबूत, परिवार की परिसंपत्ति, प्रभावित ढांचों के बारे में सूचना, व्यावसायिक, स्वरोजगार गतिविधियां, रोजगार पैटर्न, प्रोजेक्ट पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की राय व विचार और पुनर्व्यवस्थापन व पुनर्वास जैसे पहलुओं के विवरण को शामिल किया गया। सिवाय परियोजना प्रभावित व्यक्ति की राय व विचार वाले हिस्से को छोड़ कर, जिसे खुला रखा गया था, बाकी प्रश्नावली का अधिकांश हिस्सा प्री कोडेड था। सामाजिक आर्थिक हाउसहोल्ड सर्वे की प्रश्नावली की एक प्रति अनुबंध नम्बर III और IV में पेश है।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

3.4 सर्वेक्षण और नमूना कार्यप्रणाली

परियोजना से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित होने वाले सभी प्रमुख हितधारकों की एक सूची तैयार की गई। यह सूची मुख्यतौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित की गई जिनके नाम इस प्रकार से हैं:-

- 1) **प्राथमिक हितधारक:** इसमें अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के मालिक, उनके परिवार, जिनके नाम जमाबंदी में दर्ज हैं और जो संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर रहे हैं और अधिग्रहित की जाने वाली जमीन पर किसी की आजीविका/निर्भरता है, को शामिल किया गया है।
- 2) **द्वितीय हितधारक:** इनमें होटल, टूर व ट्रेवल एजेंसिज, कारोबारी कंपनियां, सिविल सोसायटीज/राजनीतिक/धार्मिक/एनजीओ/यूनियन/ महिला समूह इत्यादि, सैलानी व आस पास रहने वाली जनता शामिल है। यह हितधारक प्रत्यक्षतौर पर अर्जन से प्रभावित नहीं होंगे लेकिन परियोजना की वजह से इन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है।
- 3) **सांस्थनिक हितधारक :** इनमें सभी सरकारी, अर्धसरकारी जैसे नगर निगम, डीसी आफिस, पर्यटन विभाग, भाषा व संस्कृति विभाग, पुलिस इत्यादि जो परियोजना से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से शामिल हो व प्रभावित हो सकते हैं।

अर्जन/ परियोजना के प्रभावों का आंकलन व अध्ययन करने के लिए प्रश्नावलियों व साक्षात्कारों के रूप में सर्वे किया गया और आखिर में प्रभावित परिवारों, व्यक्तियों समेत सभी हितधारकों पर पड़ने वाले सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों की एक सूची तैयार की गई।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

सैंपलिंग के लिए इस्तेमाल तरीका

द्वितीय हितधारक सर्वे के लिए स्टडी एरिया में रैंडम सैंपलिंग तरीका अपनाया गया। जबकि प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावितों व प्राथमिक हितधारकों के लिए सौ फीसद सर्वे तरीका अपनाया गया। अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावितों के लिए भी रैंडम सैंपलिंग तरीका अपनाया गया। संस्थानिक हितधारकों का सर्वे करने के लिए चुनिंदा सैंपल पद्धति अपनाई गई बेंटनी कैसल के 350 मीटर (क्रो फ्लाड) के दायरे को चिह्नित किया गया। क्षेत्र का विहंगम दृश्य चित्र 2 में दिया गया है। विस्तृत सम्प्लिंग तालिका 7 में दिया गया है।

नमूना पद्धति

इस तकनीक में, आबादी के प्रत्येक सदस्य को विषय के रूप में चयनित किया जाने का एक समान मौका होता है। नमूना लेने की पूरी प्रक्रिया को एक ही चरण में किया जाता है जिसमें प्रत्येक नमूना आबादी के अन्य सदस्यों में से स्वतंत्र रूप से लिया जाता है। सामान्य रैंडम नमूना पद्धति को करने के कई तरीके हैं।^[46]

स्तरीकृत नमूना पद्धति

स्तरीकृत रैंडम नमूना एक तकनीक है जो दक्षता बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करता है कि जनसंख्या के सभी भागों “जो कम चरम हैं” (अनुमान में गलतियों को कम करने हेतु) के भी नमूने शामिल हो। स्तरीकृत नमूना प्रणाली में जनसंख्या “N” को पहले विभिन्न समूहों $N_1, \dots, N_h, \dots, N_L$ में विभाजित किया जाता है। यह समूह स्तर कहलाते हैं जो आपस में मिलकर सम्पूर्ण आबादी बनाते हैं अतः प्रत्येक स्तर से $N_1 + N_2 + \dots + N_L = N$, पूर्व निर्दिष्ट नमूना आकार स्वतंत्र रूप से लिया जाता है। इन नमूनों के संग्रह से एक स्तरीकृत नमूना का बनता है तो फिर इसी नमूना को एक स्तरीकृत नमूना कहा जाता है।^[46]

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

तालिका 7: स्टैकहोल्डर्स जिनसे विमर्श किया, की सूची

श्रेणी	विवरण	अपनाया गया तरीका	सैंपल साइज	सर्वे की गई यूनिटों की संख्या	सैंपल का आकार	टिप्पणियां
प्राथमिक हितधारक	सभी प्राथमिक हितधारक	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार	13	10	77 %	यद्यपि प्राथमिक हितधारकों के लिए सौ फीसद सैंपल का चयन किया लेकिन 2 जवाबकर्ताओं जैसे कुमारी राशी, कुमारी मुदिता का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उनके लिए प्रश्नावली श्रीमती वीना सूद (माता) को दिए गए। (अनुबंध XV) श्री संजय त्रेहन का पता नहीं लग पाया। हालांकि सभी मुमकिन सम्पर्क स्रोतों से सम्पर्क करने की कोशिश की गयी। (अनुबंध XV) अतः सिर्फ 10 प्राथमिक हितधारकों के ही साक्षात्कार हो पाए। प्राप्त इनपुट का विश्लेषण किया गया और रिपोर्ट में डाला गया (पृष्ठ 78 -86 , 109)
द्वितीय हितधारक	होटलज	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार	392	108	25 %	द्वितीय हितधारकों पर परियोजना के प्रभाव के लिए 25 फीसद सैंपल साइज

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

श्रेणी	विवरण	अपनाया गया तरीका	सैंपल साइज	सर्वे की गई यूनिटों की संख्या	सैंपल का आकार	टिप्पणियां
	टूर-ट्रैवल एजेंसियां	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार	724	187	25%	उचित पाया गया। उनके इनपुट का विश्लेषण किया गया और रिपोर्ट में डाला गया (पृष्ठ 90-95-98)
	संबंधित क्षेत्र जैसे माल रोड, लक्कड़ बाजार के कारोबारी	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार	1000	263	25%	
	सिविल सोसायटीज/राजनीतिक/धार्मिक/एनजीओ/यूनियन/महिला समूह इत्यादि	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार	38	14	25%	
	सैलानी	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार	-	56	-	
	आम जनता	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार	8,419	1,136	13%	
						आसपास के वार्डों से आम जनता से 13 फीसद का सैंपल साइज लिया गया और घर-घर जाकर सर्वे किया गया। उनसे प्राप्त इनपुट का विश्लेषण किया गया और रिपोर्ट में डाला गया (पृष्ठ 93)

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

श्रेणी	विवरण	अपनाया गया तरीका	सैंपल साइज	सर्वे की गई यूनिटों की संख्या	सैंपल का आकार	टिप्पणियां
संस्थानिक हितधारक	डाक विभाग	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार	-	17		सभी 17 सरकारी संस्थानों के विभागीय प्रमुखों व स्टाफ के साथ साक्षात्कार कर सर्वे किया गया। लेकिन निगमायुक्त शिमला, डिप्टी मेयर, सहायक निगमायुक्त और तहसीलदार ने अभी तक सर्वे का जवाब नहीं दिया है। उनसे प्राप्त इनपुट का विश्लेषण किया गया और रिपोर्ट में डाला गया (पृष्ठ 99,100)
	दूरसंचार विभाग	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार				
	भाषा व संस्कृति विभाग	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार				
	शहरी विकास विभाग	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार				
	पर्यटन विभाग	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार				
	एसडीएम कार्यालय	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार				
	पटवारी	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार				

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

श्रेणी	विवरण	अपनाया गया तरीका	सैंपल साइज	सर्वे की गई यूनिटों की संख्या	सैंपल का आकार	टिप्पणियां
	टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार				
	पुलिस विभाग	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार				
	आईपीएच व पीडब्ल्यूडी	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार				
	सीपीडब्ल्यूडी	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार				
	वन	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार				
	स्वास्थ्य संस्थान	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार				
	मेयर व वार्ड सदस्य	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार				

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण
अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

श्रेणी	विवरण	अपनाया गया तरीका	सैंपल साइज	सर्वे की गई यूनिटों की संख्या	सैंपल का आकार	टिप्पणियां
	विधायक	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार				
	सेना/ आर्ट्रैक	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार				
	बैंक	प्रश्नावली के जरिए साक्षात्कार				

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

3.5 प्रयुक्त डाटा स्रोत

अध्ययन के लिए इस्तेमाल किए गए डाटा स्रोतों को दो बड़ी श्रेणियों में रखा जा सकता है।

1) प्रारंभिक स्रोत

a) घर-घर सर्वे

इनमें प्राथमिक व द्वितीय हितधारकों के साथ किए गए सर्वे से जुड़ी सूचनाएं हैं।

b) राय और प्रभाव आंकलन सर्वे

यह सर्वे प्रस्तावित परियोजना के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए व परियोजना के बारे में विभिन्न हितधारकों की राय को जानने के लिए किया गया था। हितधारकों में मालिक/दावेदार, आम जनता, होटल, टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों, राजनीतिक व सिविल सोसायटीज व संस्थान इत्यादि शामिल थे।

c) अवलोकन

शुरू में परियोजना का प्रभाव और प्रभाव का संभावित क्षेत्र निश्चित करने के लिए टीम की ओर से प्राथमिक सर्वे किया गया।

2) द्वितीय सर्वे

a) भारत की जनगणना

b) आर्थिक व सांख्यिकी विभाग

c) पर्यटन विभाग

d) नगर निगम शिमला

e) भाषा व संस्कृति विभाग

f) RTFCTLARR, एक्ट 2013 व HP RTFCTLARR नियम, 2015

g) राजस्व विभाग शिमला

अध्ययन करने से पहले एसआइए को समझने व साहित्य की समीक्षा के लिए रेफरेंस की एक सूची रिपोर्ट के आखिर में जोड़ी गई हैं।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

3.6 लोक सुनवाईयों का ब्योरा

जन सुनवाई करने और उसे प्रचार करने के लिए तिथियों का ब्योरो निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका 8: मशविरे का कार्यक्रम

क्रम संख्या	विवरण	तिथि
1	जनसुनवाई की घोषणा व प्रकाशन के लिए नोटिस (अनुबंध 11)	13 अक्टूबर, 2016
2	जनसुनवाई के दौरान व्यापक प्रचार के लिए विजुअल्ज/पोस्टर्ज/फाइडिंग्ज के पैफ्लैट/ एसआई रिपोर्ट का सारांश(हिंदी व अंग्रेजी दोनों में) को तैयार करना ।	14 अक्टूबर, 2016
3	जनसुनवाई/ विमर्श का आचरण।	5 नवंबर, 2016

3.7 जनसुनवाई

SIA व SIMP (सामाजिक प्रभाव आकलन व सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले जन समीक्षा व फीडबैक लेना अनिवार्य है। जन सुनवाई सभी प्रभावित क्षेत्रों में SIA की मुख्य निष्कर्षों को विशिष्ट उद्देश्यों को दर्शाते हुए इसकी विषयवस्तु के बारे में फीडबैक लेना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विचार , राय /सुझाव अंतिम रिपोर्ट में शामिल हो जनसुनवाई की तिथि व स्थान को तीन सप्ताह पहले सार्वजनिक अधिसूचनाओं और विभिन्न हितधारकों के साथ सीधे संवाद के जरिए घोषित व प्रचारित कर दिया गया था।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट



RTFCLARR एक्ट, 2013 की धरा 5 के तहत जन सुनवाई की अधिसूचना 3 सप्ताह पहले सामाजिक प्रभाव आंकलन व सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना ड्राफ्ट को जनसुनवाई के लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषा में प्रमुख राष्ट्रीय व स्थानिय अखबारों में प्रकाशित कर दिया था व प्रेस व मीडिया समेत समेत विभिन्न प्रभावित परिवारों, निगम के कार्यालयों व बाकी हितधारकों को बांट दिया था। लोगों की जागरूकता के लिए अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित जमीन के पांच किलोमीटर के दायरे में पोस्टर भी लगाए गए और इसे बेवसाइट पर डाल दिया गया। एक प्रति को जिला कलेक्टर के कार्यालय में लगाया गया। अधिग्रहण करने वाली संस्था ने भी ड्राफ्ट रिपोर्ट व जन सुनवाई की अधिसूचना की एक प्रति प्राप्त की। जनसुनवाई के दिन हिंदी व अंग्रेजी भाषा में रिपोर्ट की प्रतियों व उसके सारांश को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया।

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट



जनसुनवाई पांच नवंबर को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक मॉल पर डीसी ऑफिस के बचत भवन में आयोजित कराया गया था। जिला कलेक्टर की ओर से इसकी अध्यक्षता एसडीएम शहरी ने की। अन्य सदस्यों में जन सुनवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन टीम के सदस्य, अधिग्रहण करने वाली इकाई के प्रतिनिधि और नामित भूअधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्स्थापन पदाधिकारी, स्थानीय स्वैच्छिक संगठन, जन प्रतिनिधि व मीडिया ने शिरकत की। प्राथमिक हितधारकों की ओर से श्री विश्वनाथ, श्री अनुज कुमार और मनु सूद ने जनसुनवाई में शिरकत की। विभिन्न हितधारकों से लिखित में आपतियां/ सुझाव प्राप्त किए गए और एसआईए टीम ने इन सबका जवाब भी दिया (अनुग्लंक XII) और जरूरी सुझावों को अंतिम रिपोर्ट में शामिल भी किया है। जन सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझावों/ आपतियों को निम्न तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. आम जनता से प्राप्त राय/आपतियां/ सुझाव।
2. विश्वनाथ और अनुज (प्राथमिक हितधारक /मालिक) की राय/आपतियां / सुझाव।
3. मनु सूद (संपत्ति में हिस्सेदारी में दावेदारी करने वाली हितधारक) से राय/आपतियां / सुझाव।

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

जन सुनवाई के दौरान एक सुझाव / आपतियों की सूचि जोकि 24 लोगों द्वारा हस्ताक्षरित थी, सोशल वेलफेयर आर्गनाइजेशन के श्री अजय मल्होत्रा के द्वारा प्रस्तुत की गयी (अनुबंध XII) इस सूचि में आम जनता ने सरकार की ओर से की जा रही अधिग्रहण के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए आपतियां दर्ज कराई। जनता की ओर से उठाई गई बाकी आपतियों में कहा गया कि मौजूदा अधिग्रहण प्रक्रिया से जन निधि की बेहद बर्बादी होगी जिससे वैकल्पिक तौर पर अन्य जन मुद्दों और आधारभूत ढांचे की समस्याओं जैसे सड़कों व यातायात पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने प्रोजेक्ट की व्यावहारिकता पर भी सवाल उठाए और जानना चाहा कि अधिग्रहण करने वाला विभाग नई संपत्ति का रखाव कैसे करेगी जबकि पहले से ही उसके पास जो ये संपत्ति थी उसका रखरखाव नहीं रखा जा सका ।

प्राथमिक हितधारकों जैसे मालिकों और हितधारकों की ओर से प्राप्त आपतियां मुख्य तौर पर संपत्ति से संभावित आजीविका जैसे मुद्दों, संपत्ति में हिस्सेदारी पर दावा करने वालों के नामों को शामिल करने के विवादों के अलावा अधिग्रहण एसआईए अध्ययन कराने की प्रक्रिया को चुनौती देना आदि शामिल है।

पूरी जन सुनवाई हिंदी भाषा में आयोजित कराई गई थी व उसकी वीडियो रिकार्डिंग की गई और उसकी प्रतिलिपि अनुबंध XIV में दी गयी है | इस रिकार्डिंग व लिखित कार्यवाही को एसआईए व एसआईएमपी रिपोर्ट के साथ सौंपा गया था। जब जन सुनवाई आयोजित हो गई तो उसके बाद एसआईटीम ने फीडबैक और एकत्रित सूचनाओं की समीक्षा की, इसे अपनी विश्लेषण में शामिल किया और उसके मुताबिक एसआईए रिपोर्ट को संशोधित किया। उठाई गई आपतियों व उनके जवाबों के विवरण को अनुगलंक XIII में दिया गया है।

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

4 भूमि आंकलन

4.1 भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोतों का वर्णन

अर्जन के लिए प्रस्तावित बैंटनी कैसल की जमीन का विवरण निम्न है। चयनित जमीन 3874-39 वर्ग मीटर (5-3) बीघा है जो, खसरा नंबर 886, 887, 888,889, 890, 891, 892,893, 894, 895, 896, 897 और 898 में हैं। जमीन का विवरण तालिका 9 में दिया गया है:-

तालिका 9: अर्जन के भूमि का विवरण

क्रमसंख्या	तहसील	अपमुहाल	जिला	खसरा नंबर	क्षेत्र (वर्ग मीटर)	किस्म
1	शिमला(शहरी)	कालीबाड़ी	शिमला	886	50-49	गें मुं अहाता
2				887	12-96	गें मुं बराम्दा
3				888	18-56	गें मुं बराम्दा
4				889	147-92	गें मुं मकान पक्का तीन मंजिला
5				890	21-56	गें मुं कंटीन कच्ची
6				891	18-60	गें मुं कंटीन
7				892	115-60	गें मुं कार्यालय कच्चा दो मंजिला
8				893	1294-83	गें मुं सैहन
9				894	591-22	गें मुं कार्यालय पक्का तीन मंजिला
10				895	01-69	गें मुं पेराघर
11				896	1583-86	गें मुं अहाता
12				897	06-95	गें मुं शौचालय पक्का
13				898	10-15	गें मुं गोदाम कच्चा
14				Kita-13	3874-39	

स्रोत: राजस्व विभाग, शिमला

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट


मालिकों/हितधारकों का विवरण

- 1) श्री विश्वनाथ
- 2) श्री चंद्रपाल
- 3) श्री अनिल कुमार, श्री अजय कुमार
- 4) श्री अतुल कुमार, श्री अनुज कुमार, श्रीमती कीर्ति देवी
- 5) कुमारी राशी, कुमारी मुदिता और श्रीमती वीना देवी
- 6) श्री संजय त्रेहन
- 7) श्री राजेश सूद, और श्री मनू सूद (श्रीमती सुकर्मा देवी के कानूनी वारिस)

नोट :


- मालिकों की उपरोक्त नामों की सूची में से क्रम संख्या एक से पांच तक के नाम जमाबंदी में दर्ज हैं।
- क्रम संख्या छः से सात तक जिनके नाम हैं उन्होंने संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा किया है। (जो दस्तावेज भाषा व संस्कृति विभाग चिठी न. LCD -(F) (5) -2 /2001 - II - Loose दिनांक फरवरी 1, 2016 के द्वारा दिए गए)

चित्र 3: बेंटनी एस्टेट के कैडैस्ट्रल मैप के चित्र



बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

चित्र 4: अर्जन एरिया के डीजीटाइज्ड कैंडिस्ट्रल मैप




बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

4.2 परियोजना प्रभाव/ समाघात के अधीन क्षेत्र

चूंकि प्रस्ताव एक अर्बन म्यूजियम के लिए हैं, ऐसे में प्रोजेक्ट का बड़े क्षेत्र पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। प्रमुख क्षेत्र/वर्ग जिन पर प्रभाव पड़ेगा उनमें दुकानें/ कारोबारी फर्में, पर्यटन आदि शामिल है। यहां क्षेत्र आधारित संस्थाएं जिनमें ट्रेवलज एजेंसियां, होटल टैक्सी यूनियनें, गाइड आदि व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्राथमिक हितधारक हैं वो शामिल हैं।

परियोजना के प्रभाव के अध्ययन करने के लिए बेंटन कैसल के चारों ओर का 500 मीटर दायरे के क्षेत्र को बतौर प्रारंभिक प्रभावी एरिया के तौर पर चिन्हित (क्रो फ्लाइट) किया गया। लेकिन बाद में सर्वेक्षण व सर्वे व चर्चा के दौरान यह पाया गया कि परियोजना से इतना बड़ा क्षेत्र प्रभावित होने वाला नहीं है। इसलिए बाद में परियोजना के प्रभाव का आंकलन करने के लिए 350 मीटर के दायरे को अंतिम रूप दिया गया।



पश्चिम में बेंटनी एस्टेट की सीमा ग्रेड होटल जो सीपीडब्ल्यूडी का उपक्रम है,के साथ और पूर्व में यूको बैंक,डाक व दूरसंचार अपार्टमेंट के साथ लगती है। दक्षिण में इसकी सीमा स्कैंडल प्वाइंट से

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

काली बाड़ी की ओर गए रोड़ को छूती हैं। इस रोड़ को बेंटनी रोड़ से भी जाना जाता था। कुछ मीटर की दूरी पर रोड़ के दूसरी ओर बीएसएनएल कार्यालय की बिल्डिंग हैं। एस्टेट की उतरी सीमा लक्कड़ बाजार कार्टरोड तक को छूती हैं। इसके आसपास बाकी प्रमुख व महत्वपूर्ण इमारतों में जनरल पोस्ट आफिस, इवनिंग कॉलेज, वाइडब्ल्यूसीए, डीसी आफिस, आट्रैक और कालीबाड़ी मंदिर है। नीचे उन विभिन्न महत्वपूर्ण इमारतों की तस्वीरें हैं जो इसके आसपास हैं।



बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट



परियोजना से मुख्यतौर पर प्रभावित होने वाले लोग प्राथमिक हितधारक हैं। बैठकों व प्राथमिक हितधारकों के साथ किए सर्वे में यह सामने आया कि जो जमीन सरकार ने अर्जन के लिए प्रस्तावित की है, सारी बेंटनी कैसल एस्टेट उससे कहीं अधिक हैं। बेंटनी की पूरी एस्टेट खसरा नंबर 863, 865, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 1164/900, 1165/900, 955, 956 में कुल 18,193 वर्ग मीटर में फैली है जो 2009-10 की उप मुहाल कालीबाड़ी पटवार सर्कल स्टेशन वार्ड बड़ा शिमला, तहसील शिमला शहरी, जिला शिमला हिमाचल की जमाबंदी में खेवट नंबर 107 खतौनी 131 व 132 में दर्ज है। जबकि सरकार ने इस संपत्ति का केवल 3874-39 वर्ग मीटर एरिया अधिग्रहित करने का प्रस्ताव किया है। जिसमें बेंटनी कैसल शामिल है और इस तरह इसमें पूरी संपत्ति का यह सबसे बेहतर हिस्सा है।

**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

भू-दस्तावेज रिकार्ड के मुताबिक नीचे दिए गए मैप जिसमें बेंटनी एस्टेट की पूरी संपत्ति को दर्शाया गया है और जो क्षेत्र सरकार ने अधिग्रहित करने के लिए प्रस्तावित किया है, से स्पष्ट तौर पर तुलना की जा सकती है।


तालिका 10: पूरी बेंटनी एस्टेट के विस्तृत भू दस्तावेज

क्रम संख्या	तहसील	अपमोहाल	जिला	खसरा नंबर	क्षेत्र (वर्ग मीटर)	किस्म
1	शिमला (शहरी)	कालीबाडी	शिमला	863	1324.48	जाय सफेद
2				865	184.78	जाय सफेद
3				886	50-49	गें मुं अहाता
4				887	12-96	गें मुं बराम्दा
5				888	18-56	गें मुं बराम्दा
6				889	147-92	गें मुं मकान पक्का तीन
7				890	21-56	गें मुं कंटीन कच्ची
8				891	18-60	गें मुं कंटीन
9				892	115-60	गें मुं कार्यालय कच्चा दो
10				893	1294-83	गें मुं सैहन
11				894	591-22	गें मुं कार्यालय पक्का तीन
12				895	01-69	गें मुं पेराघर
13				896	1583-86	गें मुं अहाता
14				897	06-95	गें मुं शौचालय पक्का
15				898	10-15	गें मुं गोदाम कच्चा
16				899	3350-84	गें मुं अहाता
17				1164/900	219-70	गें मुं रास्ता
18				1165/900	9204-74	जाय सफेद
19				955	28-48	गें मुं अहाता
20				956	06-39	गें मुं गली
21				Kita-20	18193.8	

सत्रोत: राजस्व विभाग ,शिमला


बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

चित्र 5: पूरी बेंटनी एस्टेट के कैडैस्ट्रल मैप के स्नैपशॉट



बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

चित्र 6: पूरी बेंटनी एस्टेट संपत्ति का डिजिटाइड कैडैस्ट्रल मैप



नोट: उपर दिए गए चित्र में शहरी संग्रहालय उद्देश्य हेतु भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रस्तावित भूमि अर्जन को लाल रंग से चिन्हित किया गया है

मालिकों की मुख्य दलील है कि वो अर्जन प्रक्रिया का पालने करने को तैयार हैं, बशर्ते सरकार पूरी एस्टेट को अधिग्रहित करने को ही तैयार हो जाए। उन्होंने इस बात असंतोष व नाराजगी जताई है कि सरकार ने संपत्ति के सबसे बेहतरीन हिस्से को ही अधिग्रहित

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

करने का प्रस्ताव किया जिससे बचा हुआ क्षेत्र पूरी तरह बेकार हो जाएगा तथा किसी के लिए भी किसी भी कीमत का नहीं रहेगा। साथ में यह भी जोड़ा गया था कि वो अर्जन प्रक्रिया में तभी शामिल होंगे जब पूरी संपत्ति को अधिग्रहित किया जाएगा न कि इसके एक हिस्से को ।

4.3 परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि और वर्तमान प्रयोग

अर्जन के लिए कुल जमीन की जरूरत 3874-39 वर्गमीटर (5-3) बीघा प्रस्तावित की गई है। जबकि पूरी बेंटनी एस्टेट का कुल रकबा 18,193 वर्गमीटर है। यह संपत्ति शिमला के केंद्र में स्थित है, ऐसे में परियोजना क्षेत्र के आसपास कोई भी बेकार जमीन नहीं है। इसके अलावा इस परियोजना के उद्देश्य के लिए कोई भी जमीन पहले से खरीदी, छोड़ दी गई, लीज पर दी गई या अधिग्रहित नहीं की गई है। नवीनतम भूमि अभिलेखन के अनुसार तालिका 11 में हर खसरा न० का विवरण दिया गया है ।



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट



बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

तालिका 11: अर्जन के लिए प्रस्तावित व पूरी बेंटनी एस्टेट के खसरा नंबरों की तुलनात्मक तालिका


	तहसील	उपमुहाल	जिला	खसरा न.जिनमें पूरी बेंटनी एस्टेट है	एरिया (वर्ग मीटर)	अर्बन म्यूजियम के लिए सरकार की ओर से अर्जन के लिए प्रस्तावित खसरा नंबर	एरिया (वर्ग मीटर)	किस्म
1	शिमला(शहरी)	कालीबाड़ी	शिमला	863	1324.48			जाय सफेद
2				865	184.78			जाय सफेद
3				886	50-49	886	50-49	गें मुं अहाता
4				887	12-96	887	12-96	गें मुं बराम्दा
5				888	18-56	888	18-56	गें मुं बराम्दा
6				889	147-92	889	147-92	गें मुं मकान पक्का तीन मंजिला
7				890	21-56	890	21-56	गें मुं कंटीन कच्ची
8				891	18-60	891	18-60	गें मुं कंटीन
9				892	115-60	892	115-60	गें मुं कार्यालय कच्चा दो मंजिला
10				893	1294-83	893	1294-83	गें मुं सैहन
11				894	591-22	894	591-22	गें मुं कार्यालय पक्का तीन मंजिला

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण
अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

तहसील	उपमुहाल	जिला	खसरा न.जिनमें पूरी बेंटनी एस्टेट है	एरिया (वर्ग मीटर)	अर्बन म्यूजियम के लिए सरकार की ओर से अर्जन के प्रस्तावित खसरा नंबर	एरिया (वर्ग मीटर)	किस्म
12			895	01-69	895	01-69	गें मुं पराघर
13			896	1583-86	896	1583-86	गें मुं अहाता
14			897	06-95	897	06-95	गें मुं शौचालय पक्का
15			898	10-15	898	10-15	गें मुं गोदाम कच्चा
16			899	3350-84			गें मुं अहाता
17			1164/900	219-70			गें मुं रास्ता
18			1165/900	9204-74			जाय सफेद
19			955	28-48			गें मुं अहाता
20			956	06-39			गें मुं गली
21			Kita-20	18,193.8	Kita -13	3,874.39	

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

चित्र 8: विभिन्न संपत्तियों की लोकेशंस और तस्वीरें प्रस्तावित अर्जन व उनकी वर्तमान स्थिति



स्त्रोत: फील्ड सर्वे

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

4.4 भूमि क्रय

भाषा व संस्कृति विभाग के पत्रांक संख्या Bhasni-8/2013-बेंटनी कैसल 7644 तिथि 26/7/2016 के मुताबिक कोई जमीन पहले से नहीं खरीदी गई है। चूँकि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव फिलहाल तैयार नहीं किया गया है और न ही मूल डिजाइन का विवरण उपलब्ध है। अतः परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के प्रत्येक प्लॉट का प्रस्तावित प्रयोग नहीं दिया गया है।

4.5 परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि की मात्रा व अवस्थिति

बेंटनी कैसल, उप मुहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला(शहरी) जिला शिमला को परियोजना के लिए अर्जन करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। चयनित भूमि 3874-39 वर्ग मीटर (5-3) बीघा में खसरा नंबर 886, 887, 888,889, 890, 891, 892,893, 894, 895, 896, 897 व 898 में है। जमीन का विवरण तालिका नंबर 9 में है।

कैसल 39° 06' 22.3" उत्तरी देशांतर व 73° 10' 10.31" पूर्वी देशांतर में स्थित है। यह शिमला के कोर माल रोड और स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी की ओर सबसे प्रीमियम संपत्ति है। इस्टेट की पश्चिमी सीमा ग्रेड होटल के साथ लगती है जो शिमला की एक बहुत ऐतिहासिक बिल्डिंग है और जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। बेंटनी से करीब 250 मीटर की दूरी पर मशहूर कालीबाड़ी मंदिर स्थित है।

4.6 भूमि के वर्तमान प्रयोग की प्रकृति और विशेषता

1957 से कैसल बिल्डिंग ,जो कि अब बहुत जर्जर स्थिति में है, राज्य पुलिस का मुख्यालय रहा है। इसे कोर्ट केस के बाद कुछ साल पहले ही औपचारिक तौर पर खाली कराया गया है। बेंटनी कॉटेज पर भी लंबे समय से रोजगार कार्यालय का कब्जा रहा। उन्होंने बिल्डिंग को तभी खाली किया जब यह जीवन के लिए सुरक्षित नहीं रही।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

जब से राज्य पुलिस विभाग की ओर से बिल्डिंग को खाली किया गया, तब से इसे अब तक यह किसी इस्तेमाल में नहीं लायी गयी है। अब वर्तमान में बेंटनी कैसल बेहद जर्जर स्थिति में है। भवन में अब कोई नहीं रहता है और मानव जीवन के लिए खतरा हैं। तालिका 11 में ताजा उपलब्ध भू दस्तावेजों के मुताबिक विस्तृत विवरण प्रत्येक खसरा नंबर के वर्गीकरण के साथ दिया है।

यहां यह अर्जन के प्रस्तावित कोई कृषि भूमि नहीं हैं और न ही सिंचित भूमि है।

4.7 मालिकाना इतिहास , नातेदारी, मालिकान बदलाव, हस्तांतरण , जोत का आकार और आवासीय घरों की संख्या

मौजूदा संपत्ति जिसे बेंटनी कैसल के नाम से जाता है को राम कृष्ण पुत्र स्वर्गीय श्री लेहणु मल ने 12 फरवरी 1968 को पूर्व दरभंगा स्टेट (अब बिहार राज्य) के लक्ष्मी कांत झा से 3 लाख 50 हजार रुपए में रजिस्टर सेल डीड के जरिए खरीदा था। लक्ष्मी कांत झा को स्वर्गीय महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह केसीआई की वसीयत के मुताबिक एग्जिक्यूटर नियुक्त किया गया था। यह सील डीड बाकायदा तौर पर 21 फरवरी 1968 को सब रजिस्ट्रार शिमला के कार्यालय में रजिस्टर हुई हैं।

यह संपत्ति जो बेंटनी एस्टेट के नाम से जानी जाती है व जिसे स्वर्गीय राम कृष्ण ने खरीदा था हाल के सेटलमेंट के बाद अब यह खसरा नंबर 863, 865, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 1164/900, 1165/900, 955, 956 में 18,193 वर्गमीटर में फैली हैं जो 2009;10 की जमाबंदी के मुताबिक खेवट नंबर 107 और खतौनी नंबर 131 व 132 अप मुहाल कालीबाड़ी पटवार सर्कल स्टेशन वार्ड बड़ा शिमला तहसील शिमला अर्बन ,जिला शिमला हिमाचल प्रदेश में दर्ज है।

जबकि राज्य सरकार के भाषा व संस्कृति विभाग ने अर्बन म्यूजियम को स्थापित करने के उद्देश्य से खसरा नंबर 886, 887, 888,889, 890, 891, 892,893, 894, 895, 896, 897 व 898 के तहत 3874-39 वर्गमीटर (5-3) बीघा जमीन को अधिग्रहित करना प्रस्तावित कर रखा है।

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

स्व राम कृष्ण के परिवार में वह स्वयं, उनके 5 बेटे व एक पुत्री थी जिनके नाम हैं : श्री हेमराज, चन्द्र पाल , अमर नाथ, विश्व नाथ, गोविन्द सूद व श्रीमती सुकर्मा देवी।

श्री राम कृष्ण के देहान्त के बाद, यह सम्पत्ति उनके बच्चों के नाम हो गयी । वर्तमान में हेमराज के देहान्त के पश्चात उनकी सम्पत्ति का हिस्सा उनके दो बेटों, श्री अनिल कुमार व श्री अजय कुमार के नाम हो गया । श्री अमर नाथ के देहान्त के पश्चात् उनका हिस्सा उनके पुत्रों व पत्नी क्रमशः अतुल कुमार , अनुज कुमार और श्रीमति कीर्ति देवी के पास चला गया । श्री गोविन्द सूद के देहान्त के पश्चात् उनका हिस्सा उनकी पत्नी व पुत्रियों क्रमशः श्रीमति वीना सूद, राशी सूद व मुदिता सूद के पास चला गया । श्रीमति सुकर्मा देवी का देहान्त 5 फरवरी 2009 को हुआ और श्री राजेश सूद और मनु सूद उनके कानूनी उत्तराधिकारी बने । अंततः आज तक मौजूदा राजस्व दस्तावेज के अनुसार सम्पत्ति के मालिकों के नाम व जो सम्पत्ति पर दावा करते हैं वह इस प्रकार हैं :

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

मालिकों /लाभधारकों के नाम

- 1) श्री विश्वनाथ
- 2) श्रीचंद्रपाल
- 3) श्री अनिल कुमार, श्री अजय कुमार (श्री स्वर्गीय हेमराज के पुत्र)
- 4) श्री अतुल कुमार, श्री अनुज कुमार व श्रीमती कीर्ति देवी (स्व. अमरनाथ के पुत्र व पत्नी)
- 5) कुमारी राशी, कुमारी मुदिता व श्रीमती वीना देवी (स्व. गोविंद सूद की पुत्रियां व विधवा)
- 6) श्री संजय त्रेहन
- 7) श्री राजेश सूद व श्री मन् सूद (श्री मती सुकर्मा देवी के कानूनी वारिस)

नोट :

- मालिकों की उपरोक्त सूची में क्रम संख्या 1 से 5 तक के नाम जमाबंदी में दर्ज हैं।
- क्रम संख्या 6 से सात में दिए नामों ने संपत्ति में बतौर हिस्सेदार को दावा किया है। (जो दस्तावेज भाषा व संस्कृति विभाग चिट्ठी न. LCD -(F) (5) -2 /2001 - II -Loose दिनांक फरवरी 1, 2016 के द्वारा दिए गए हैं)

वर्तमान में संपत्ति में दो आवासीय भवन, बेंटनी कैसल व बेंटनी कॉटेज के नाम से हैं दोनों बहुत बुरी स्थिति में हैं और मनुष्य के रहने के काबिल नहीं हैं।

4.8 भूमि की कीमत

उपमोहाल कालीबाड़ी शिमला अर्बन, तहसील व जिला शिमला हिमाचल प्रदेश में 2013 से जमीनों के सर्कल रेट निम्न तालिका में दिए गए हैं | (अनुबंध II)

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

तालिका 12: 2016-17 वित्तीय वर्ष के लिए शिमला तहसील अर्बन जिला शिमला के अर्बन एरिया में जमीन के सर्कल रेट

2016-17 वित्तीय वर्ष के लिए शिमला तहसील अर्बन जिला शिमला के अर्बन एरिया में जमीन के सर्कल रेट (रेट: प्रति वर्ग ,मीटर प्रति रुपया)															
क्रम संख्या	पटवार सर्कल का नाम	राजस्व एस्टेट का नाम	रोड की कैटेगरी	क्राइटेरिया फैक्टर	वित्तीय साल	श्रेणी -I		श्रेणी II		श्रेणी III		श्रेणी IV		श्रेणी V	
						25 मी. तक दूरी		25-50मी.से ज्यादा दूरी		50-100मी. से ज्यादा दूरी		100-1000 मी. से ज्यादा दूरी		1000 मी. से ज्यादा दूरी	
						केबल आधार दरें		श्रेणी -Iकी आधार अनुपात से 20 फीसद कम		श्रेणी -Iकी आधार अनुपात से 40 फीसद कम		श्रेणी -Iकी आधार अनुपात से 50 फीसद कम ।		श्रेणी -Iकी आधार अनुपात से 60 फीसद कम	
						गैर खेती योग्य जमीन	खेती योग्य जमीन	गैर खेती योग्य	बंजर समेत खेती योग्य जमीन	गैर खेती योग्य जमीन	खेती योग्य जमीन	गैर खेती योग्य जमीन	बंजर समेत खेती योग्य जमीन	गैर खेती योग्य जमीन	खेती योग्य जमीन
						फैक्टर- 1	फैक्टर 1.2	फैक्टर - 1	फैक्टर 1.2	फैक्टर - 1	फैक्टर 1.2	फैक्टर -1	फैक्टर 1.2	फैक्टर - 1	फैक्टर 1.2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	स्टेशन वार्ड बड़ा शिमला	अपमुहाल कालीबाड़ी	I- अन्य रोड	आधार दर	2016	5860	7032	4688	5626	3516	4219	2930	3516	2344	2813
2			II- स्टेट हाइवे	बेसिक से 25%		7325	8790	5860	7032	4395	5274	3663	4395	2930	3515
3			III- एन.एच	बेसिकसे 50 %		8790	10548	7032	8438	5274	6329	4395	5274	3516	4219

स्त्रोत: राजस्व विभाग

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण
अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

तालिका 13: वित्तीय साल 2013-14,14-15 व15-16 के लिए शिमला तहसील अर्बन, जिला शिमला, हिमाचल के अर्बन एरिया में जमीन के सर्कल रेट

वित्तीय साल 2013-14,14-15 व15-16 के लिए शिमला तहसील अर्बन, जिला शिमला, हिमाचल के अर्बन एरिया में जमीन के सर्कल रेट (रेट:प्रति वर्ग ,मीटर
प्रति रुपया

क्रमसंख्या	पटवार सर्कल का नाम	रेवन्यू एस्टेट का नाम	वित्तीय साल	श्रेणी -1			श्रेणी II (श्रेणी I से 25 फीसद कम)			श्रेणी III (I श्रेणी 1से 50%कम)			टिप्पणियां
				Property/Land, in which any point of the concerened Khasra number or part thereof abuts any road in a revenue estate			Property/ Land in which any point of the Concerned Khasra number or part thereof is up to a distance of 25 meters from the road.			Property/ land in which no point of the concerned number or part thereof is within 25 m from such road			
				1st श्रेणी रोड	2nd श्रेणी रोड	3rd श्रेणी रोड	1st श्रेणी रोड	2nd श्रेणी रोड	3rd श्रेणी रोड	1st श्रेणी रोड	2nd श्रेणी रोड	3rd श्रेणी रोड	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	स्टेशन वार्ड बड़ा शिमला	उपमुहाल काली बाड़ी	2015-16	8656	8569	8483	6492	6427	6362	4328	4285	4242	सड़कों की सूची अनुग्लंक-संलग्न हैं।
2			2014-15	8239	8157	8074	6179	6118	6056	4120	4079	4037	
3			2013-14	7700	7623	7546	5775	5717	5660	3850	3812	3773	

स्त्रोत: राजस्व विभाग

**बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

तालिका 14: भू-आंकलन का सारांश

क्र० सं०	विवरण	डिटेल
1	खसरा मैप और स्वामित्व के विवरण समेत क्या लैंड इन्वेंटरी का विवरण उपलब्ध है ?	हां
2	प्रभावक्षेत्र की निशानदेही	हां
3	अर्जन के लिए प्रस्तावित जमीन की स्थिति	बैंटनी कैसल, अपमुहाल काली बाडी ,तहसील शिमला (शहरी) जिला शिमला
4	अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की मात्रा	3874-39 वर्ग मीटर(5-3) बीघा
5	मौजूदा इस्तेमाल/प्रयोग	पिछले करीब 8 सालों से संपत्ति खाली पड़ी हैं।इससे पहले इसे हिमाचल प्रदेश राज्य पुलिस विभाग की ओर से इस्तेमाल किया जाता था।
6	परियोजना के उद्देश्य के लिए क्या कोई भूमि पहले खरीदी गई, छोड़ दी गई, लीज या अधिग्रहित की गई?	नहीं
7	परियोजना के लिए जरूरी जमीन के प्रत्येक प्लॉट के संभावित इस्तेमाल का विवरण	नहीं,ऐसा कोई विवरण अभी तैयार नहीं किया गया है।
8	अगर जमीन कृषि भूमि है ,कोई सिंचित कवरेज और फसल का पैटर्न	नहीं
9	जमीन की प्रकृति और नेचर	बैंटनी कैसल के चारों ओर की जमीन होटलों , कार्यालयों और बैंकों की ओर से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए प्रयोग की जा रही है। हालांकि कुछ साल पहले तक बैंटनी कैसल हिमाचल पुलिस के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। पिछले कुछ समय से भवन की खस्ता हालात के साथ यह संपत्ति वीरान पड़ी हैं। भूवर्गीकरण का विवरण तालिका 9 में दिया गया है।
10	उपलब्ध जोतों के आकार, स्वामित्व पैटर्न, जमीन का बंटवारा और आवासीय भवनों का विवरण	हां (जमाबंदी के अनुसार) (अनुबंध X)
11	चालू भू कीमतों का विवरण उपलब्ध है?	हां (राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त सर्कल रेट)
12	पिछले तीन सालों में भूमि के इस्तेमाल, हस्तांतरण व स्वामित्व में बदलाव का विवरण	हां (जमाबंदी के अनुसार) (अनुबंध X)

स्त्रोत: द्वारा भाषा ,कला व संस्कृति विभाग (हि० प्र०) का पत्रांक संख्या. Bhasni-8/2013-Bantony Castle 7644 दिनांक 26.7.2016 (अनुबंद IX)

5 प्रभावित परिवारों और परीसंपत्तियों का प्राक्कलन और प्रागणन

5.1 प्रभावित परिवारों का विवरण

स्वर्गीय श्री राम कृष्ण के परिवार में वह खुद, उनके बेटे श्री हेमराज, श्री चंद्रपाल, श्री अमरनाथ, श्री विश्वनाथ, श्री गोविंद सूद और पुत्री श्रीमती सुकर्मा देवी शामिल हैं।

राम कृष्ण की मृत्यु के बाद संपत्ति उनके बच्चों के नाम पर चली गई। तब से हेमराज की मृत्यु हो गई है और बेटे श्री अनिल कुमार और श्री अजय कुमार ने संपत्ति विरासत में पाए। इसी तरह अमरनाथ की भी मृत्यु हो गई व उसके हिस्से की प्राप्ति उनकी पत्नी श्रीमती कीर्ति देवी व दो बेटों, श्री अतुल कुमार श्री अनुज कुमार के पास है। श्री गोविंद की भी मृत्यु हो गई व उनकी संपत्ति पत्नी व दो बेटियों श्रीमती वीना सूद (बीवी), श्रीमती राशी सूद और श्रीमती मुदिता सूद के पास है। सुकर्मा देवी का निधन 5 फरवरी 2009 को हो गया व उसके कानूनी वारिस राजेश सूद व मन् सूद हैं। ऐसे में आज जो भू दस्तावेजों के मुताबिक संपत्ति के मालिक हैं और हिस्सेदारी के जरिए संपत्ति पर दावा कर रहे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :श्री विश्वनाथ, श्री चंद्रपाल, श्री अनिल कुमार, श्री अजय कुमार (श्री स्वर्गीय हेमराज के पुत्र), श्री अतुल कुमार, श्री अनुज कुमार व श्रीमती कीर्ति देवी (स्व. अमरनाथ के पुत्र व पत्नी), कुमारी राशी, कुमारी मुदिता व श्रीमती वीना देवी (स्व. गोविंद सूद की पुत्रियां व विधवा), श्री राजेश सूद व श्री मन् सूद (श्री मती सुकर्मा देवी के कानूनी वारिस)

मालिकों की विस्तृत वशावली को भी आगे विस्तार से दिया गया है (पृष्ठ 83)। परिवार के अलावा प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी प्रभावित परिवार / व्यक्ति नहीं हैं।

सर्वे में सामने आया है कि किसी भी हितधारक का संपत्ति पर पिछले 4 सालों से अधिक समय से आजीविका के लिए किसी भी तरह की निर्भरता नहीं है। आर्थिक तौर पर परिवार समृद्ध है व अलग अलग सदस्य अन्य संसाधनों कारोबार व नौकरी से कमाई कर रहे हैं।

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

तस्वीरों व सर्वे से यह साबित हो गया है कि पिछले पांच सालों से ज्यादा समय से बैंटनी संपत्ति में कोई भी हितधारक नहीं रह रहा है।

5.2 अप्रत्यक्ष प्रभावित

द्वितीय हितधारकों के साथ हुए सर्वे के मुताबिक अर्जन से कोई भी परिवार/ व्यक्ति नकारात्मक तौर पर प्रभावित नहीं होगा और क्योंकि इनमें से कोई भी बैंटनी संपत्ति में नहीं रहता और न ही आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं।

सर्वे यह भी बताता है कि समाज को इस अर्जन से फायदा होगा। विभिन्न हितधारकों के साथ किए सर्वे में सामने आया कि माल रोड़ के स्थानीय कारोबारियों जिनमें दुकान मालिक भी शामिल हैं, उनका कारोबार बढ़ेगा। टूरिस्ट/ट्रैवल्लज व होटल समुदाय को भी लाभ होगा।

प्रस्तावित म्यूजियम से प्रमुख लाभों में से एक ग्रेंड होटल से मिलेगा। इस होटल को सीपीडब्ल्यूडी की ओर से चलाया जा रहा है और अपने आप बहुत सुंदर हेरिटेज ढांचा है। चूंकि बैंटनी इस्टेट एक दशक से ज्यादा समय से जर्जर हालात में रही है, इसने ग्रेंड होटल की कीमत व इसकी शान को भी प्रभावित किया है। सीपीडब्ल्यूडी कालीबाड़ी सर्कल के कार्यकारी अभियंता से लिए साक्षात्कार में उन्होंने प्रस्तावित परियोजना का मजबूती से पक्ष लिया क्योंकि इससे अपरोक्ष रूप से ग्रेंड होटल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रभावित परिवार की गणना और अनुमान का सारांश

तालिका 15: प्रभावित परिवार की गणना और अनुमान का सारांश

क्रमांक	विवरण	ब्योरा
A)	प्रत्यक्ष प्रभावित	
1	जमाबंदी के मुताबिक भू मालिक	1) श्री विश्वनाथ 2) श्री चंद्रपाल 3) श्री अनिल कुमार, श्री अजय कुमार 4) श्री अतुल कुमार, श्री अनुजकुमार व

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

क्रमांक	विवरण	ब्योरा
		श्रीमती कीर्ति देवी 5) कुमारी राशि ,कुमारी मुदिता व श्रीमती वीना देवी
2	संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने वाले	1) श्री संजय त्रेहन 2) श्री राजेश सूद व मनू सूद (सुकर्मा देवी के कानूनी वारिस)
3	अधिग्रहित की जाने जमीन पर कोई किराएदार या उस पर कोई कब्जा हैं।	नहीं
4	अनुसूचित जनजाति और कोई वन वासी जिसके कोई वनाधिकारों के नुकसान हो रहा हो	नहीं
5	कॉमन संसाधनों पर निर्भरता जो भू अर्जन से किसी प्रकार से आजीविका को प्रभावित करे	नहीं
6	क्या किसी सरकार ने इस जमीन को किसी स्कीम के तहत दिया हो और यह जमीन अर्जन के तहत हो	नहीं
7	अर्जन से लगातर तीन साल पहले तक क्या कोई अर्बन एरिया में किसी भी जमीन पर रह रहा हैं।	नहीं
8	अधिग्रहित की जानी वाली जमीन पर तीन साल पहले तक बतौर आजीविका के प्राथमिक स्रोत के लिए कोई निर्भर था।	नहीं
B)	अपरोक्ष प्रभावित	द्वितीय हितधारकों में कोई भी अर्जन की वजह से या तो संपत्ति पर रहने वाला या परोक्ष व अपरोक्ष रूप से आजीविका के लिए संपत्ति पर निर्भर हो, नहीं प्रभावित होगा।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

5.3 उत्पादक परिसम्पतियां और महत्वपूर्ण भूमि की तालिका





बेंटनी इस्टेट में बेंटनी कैसल व कुछ अन्य ढांचे हैं। लेकिन कैसल समेत यह सारे ढांचे जर्जर स्थिति में हैं और रहने के योग्य नहीं हैं। यहां तक कि मानव जीवन के खतरनाक हैं। बेंटनी इस्टेट में ढांचों का विस्तृत विवरण मैप व तस्वीरों के साथ सूचीबद्ध किया गया है।

यद्यपि इन ढांचों को वर्तमान स्थिति में आपने आप परिसंपत्ति के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, फिर इनका प्रचुरतः सांस्कृतिक, स्थापत्य महत्व हो सकता है। इसके अलावा इन ढांचों को इनके मूल सांस्कृतिक, सौंदर्यात्मक व स्थापत्य को संरक्षित करते इनका पुनर्निर्माण/ जीर्णोद्धार करने से यह अमूल्य परिसंपत्तियां साबित हो सकती हैं हालांकि इन परिसंपत्तियों की सही सही वित्तीय कीमत इस समय नहीं आंकी जा सकती, यह सुझाव है कि इसकी कीमत का अनुमान लगाने के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के विशेषज्ञ से अलग से राय ली जाए।

तालिका 16: बेंटनी कैसल में संपत्तियों का विवरण तस्वीरों सहित

क्रमांक	खसरा न.	संपत्ति का नाम	वर्तमान स्थिति	तस्वीरें (वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए)
1	894	बेंटनी कैसल	जर्जर हालात	

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

क्रमांक	खसरा न.	संपत्ति का नाम	वर्तमान स्थिति	तस्वीरें (वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए)
2	895	चौकीदार हट	जर्जर हालात	
3	886-89	पक्का घर	जर्जर स्थिति	
4	890-91	वीरान कैटन शैड्स	जर्जर स्थिति	
5	892	कच्चा वर्क स्टेशन	जर्जर स्थिति	

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

क्रमांक	खसरा न.	संपत्ति का नाम	वर्तमान स्थिति	तस्वीरें (वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए)
6	897	शौचालय	जर्जर स्थिति	
7	898	गोदाम	जर्जर स्थिति	

खड़े ढांचों के अलावा बेंटनी एस्टेट परिसर में पेड़ व हरियाली भी हैं। परियोजना के संचालन व योजना चरण के कार्यान्वयन के दौरान के लिए सुझाव दिया गया है कि वर्तमान पर्यावरण को ही प्राथमिकता व संरक्षण दिया जाए और पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाया जाए। आगे और सुझाव है कि बेंटनी के मूल वास्तुकला के मुताबिक म्यूजियम का डिजाइन किया जाए ताकि इसकी समृद्ध वास्तुकला व सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण किया जाए।

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

6 सामाजिक-आर्थिक एवम् सांस्कृतिक रूपरेखा

6.1 प्राथमिक हितधारकों का जनसांख्यिकीय विवरण

बैटनी कैसल निजी संपत्ति हैं और अर्जन से मुख्य तौर पर प्रभावित होने वाले व्यक्ति/परिवारों में मालिक ही हैं। इस समय में परिसर में कोई नहीं रह रहा है और कोई भी प्रत्यक्ष/अपरोक्ष रूप से इस जमीन से आजीविका के लिए निर्भर नहीं है। मालिकों /हितधारकों का विवरण निम्न हैं।

तालिका 17: प्राथमिक हितधारकों का जनसांख्यिकीय विवरण

क्र० स०	नाम	आयु	लिंग	शैक्षणिक स्थिति	धर्म
1	श्री विश्वनाथ	74	पुरुष	स्नातक	हिंदु
2	श्री चंद्रपाल	82	पुरुष	वरिष्ठ माध्यमिक	हिंदु
3	श्री अनिल कुमार	61	पुरुष	स्नातकोत्तर	हिंदु
4	श्री अजय कुमार	55	पुरुष	स्नातक	हिंदु
5	श्री अतुल कुमार	50	पुरुष	स्नातक	हिंदु
6	श्री अनुज कुमार	44	पुरुष	स्नातक	हिंदु
7	श्रीमति कीर्ति देवी	70	महिला	खुलासा नहीं किया गया	हिंदु
8	कुमारी राशी	41	महिला	स्नातकोत्तर	हिंदु
9	कुमारी मुदिता	35	महिला	स्नातकोत्तर	हिंदु
10	श्रीमति वीना देवी	65	महिला	स्नातक	हिंदु
11	श्री राजेश सूद	58	पुरुष	स्नातक	हिंदु
12	श्री मनु सूद	43	पुरुष	स्नातक	हिंदु
13	श्री संजय त्रेहान	पता नहीं लगाया जा सका अतः साक्षात्कार नहीं हो पाया			

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

प्राथमिक हितधारकों की सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन में भागीदारी का विवरण निम्न है

तालिका 18: प्राथमिक हितधारकों का विवरण और एसआईए में उनकी भागीदारी

क्रम	प्राथमिक हितधारक	एसआईए में भागीदारी
1.	श्री विश्वनाथ	श्री विश्वनाथ ने एसआईए में भाग लिया व सर्वे के प्रारूप के मुताबिक जानकारी दी।
2.	श्री चंद्र पाल	श्री चंद्रपाल ने एसआईए में भाग लिया व सर्वे के प्रारूप के मुताबिक जानकारी दी।
3.	श्री अनिल कुमार श्री अजय कुमार	श्री अनिल ने एसआईए में भाग लिया व सर्वे के प्रारूप के मुताबिक जानकारी दी और अजय कुमार ने अपने भाई के जरिए हिस्सा लिया व कहा कि उसकी राय उसके भाई से मेल खाती हैं।
4.	श्री अतुल कुमार, श्री अनुज कुमार और श्रीमती कीर्ति देवी	श्री अनुज कुमार ने अपने भाई व मां के साथ एसआईए में भाग लिया व सर्वे प्रारूप के मुताबिक सूचनाएं दी।
5.	कुमारी राशी, कुमारी मुदिता व श्रीमती वीना सूद	श्रीमती वीनासूद ने एसआईए में हिस्सा लिया और सर्वे प्रारूप के मुताबिक सूचनाएं दी । राशी सूद व मुदिता सूद के सर्वे प्रारूप को वीना सूद जो कि दोनों की मां है, ने लिया।उसने दोनों के संपर्क नंबरों को उपलब्ध नहीं कराया। (अनुबंध XIII) सर्वेक्षण प्रपत्र दोनों से अभी तक प्राप्त नहीं हुए है ।
6.	श्री संजय त्रेहन	कई कोशिशों के बावजूद और ढूढने के बाद भी श्री संजय त्रेहन से संपर्क नहीं हो पाया ।
7	श्री राजेश सूद और श्री मनू सूद(सुकर्मा देवी के कानूनी वारिस)	श्री राजेश सूद और श्री मनू सूद ने एसआईए में भाग लिया व सर्वे के प्रारूप के मुताबिक जानकारी दी

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

6.2 आय एवं गरीबी का स्तर

सभी शेयरधारक समृद्ध है और परिवार के अलग- अलग कारोबार संभाल रहे हैं। यह परिवार अविभाजित हिंदू परिवार हैं। ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर आय का मूल्यांकन करना मुश्किल है। सर्वे में मुख्यतौर पर यह पाया गया है:

1. परिवार की लोअर बाजार शिमला में एक दुकान है। श्री विश्वनाथ व श्री अनुज कारोबार को संभाल रहे हैं। इसके अलावा परिवार के पास छराबड़ा में जमीन समेत रेस्तरां हैं।
2. परिवार आरकेएमवी के नजदीक स्ट्रलिंग कैसल में रहता है, जो शिमला की कई मुख्य संपत्तियों में से एक है।
3. श्रीमती वीना सूद विधवा है व उसका दावा है कि उसके पास कोई व्यक्तिगत आय का साधन नहीं है।
4. श्री राजेश सूद और श्री मनू सूद पंजीकृत एग्रीकल्चर कमिशन एजेंट हैं और गंज बाजार में एक दुकान है। इसके अलावा मनू सूद पर्यटन व फिल्म मेकिंग के कारोबार से भी जुड़ा हुआ है।

हितधारकों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और इनमें से कोई भी गरीबी रेखा से नीचे व इसके आसपास नहीं है।

6.3 हितधारकों के मध्य दुर्बल समूह

हितधारकों में ऐसा कोई भी समूह नहीं है जिसे असुरक्षित परिभाषित किया जा सके। फिर भी निम्न सदस्यों को असुरक्षित परिभाषित किया जा सकता है :

1. श्रीमती वीनादेवी विधवा स्व. श्री गोविंद सूद व उसकी पुत्रियां कुमारी राशी, कुमारी मुदिता जिनका जिक्र हितधारकों/ मालिकों की सूची के क्रम में पांचवें स्थान पर किया गया है। श्रीमती वीना सूद स्ट्रलिंग कैसल में अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती है। उसकी दोनों पुत्रियों

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

की शादी हो चुकी हैं व वो अपने अपने परिवारों के रहती हैं। सहमति प्रक्रिया में उन्हें सही महत्व दिया जाना चाहिए।

2. राजेश सूद और मनू सूद (सुकर्मा देवी के कानूनी वारिस) ने इस संपत्ति में हिस्सेदारी के जरिए अपना दावा पेश किया

6.4 जमीन का इस्तेमाल व आजीविका

इस समय बेंटनी एस्टेट पिछले 4 सालों से अधिक समय से बिना इस्तेमाल किए पड़ी है। खसरा वार डिटेल उपरोक्त तालिका नंबर दस में दे दी गई है। कोई भी व्यक्ति/ परिवार ऐसा नहीं पाया गया जो परोक्ष व अपरोक्ष रूप से आजीविका के लिए बेंटनी एस्टेट पर पिछले 4 सालों से निर्भर हो। जन सुनवाई जोकि 5 नवम्बर 2016 को बचत भवन, DC कार्यालय शिमला में आयोजित हुई थी के दौरान प्राथमिक हितधारकों (मालिकों) ने आजीविका के संदर्भ में आपत्ति उठाई है (हिंदी में मूल कथन से अनुदित) "ड्राफ्ट रिपोर्ट में आजीविका शीर्षक के तहत बेंटनी कैसल के संदर्भ में किया जिक्र हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से मालिकों के साथ बदसलूकी का बिलकुल स्पष्ट मामला है। यह कहना पूरी तरह से गलत है कि इस विशाल संपत्ति से मालिकों की कोई आजीविका नहीं चलती है/थी। यह 2011 के शुरू तक हिमाचल प्रदेश सरकार के पास किराए पर थी। इसी तरह जब यहां पर सरकारी कार्यालय काम करते थे तो, तो दो निजी व्यक्ति यहां पर कैंटीन चलाते थे। शहर में बेहतर व प्रमुख स्थान पर इस संपत्ति के होने की वजह से यहां पर बहुत से प्रोजेक्टों व आजीविका की बेशुमार गुंजाइश थी। लेकिन इस गुंजाइश को हर बार हिमाचल सरकार ने तबाह किया व बाधा पैदा की, खास कर एक विशेष राजनीतिक दल ने, सतारूढ दल और विपक्षी दल के बीच की जंग की वजह से। बार- बार नोटिस जारी किए जाते रहे और अधिग्रहण की कारवाई की जाती रही। किराए के तहत संपत्ति को खाली करने से इंकार किया जाता रहा। जब मालिकों ने संपत्ति से कब्जा खाली करवाया और इसे बहाल करने के लिए ताकि यह बेहतर दिख सके और इतने विशाल परिवार की आजीविका का जरिया बन सके तो सरकार की ओर से हैरिटेज का झूठा बहाना बनाकर कानूनी तौर पर किए जाने वाली मरम्मत व बहाली के काम को रूकवा दिया जिसकी वजह से मालिकों को करीब बीस लाख रुपए का बड़ा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। जब इन बाधाओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगे गए व इनको बिना आधार के पाया गया तो 2013 में संपत्ति को अधिग्रहण करने की एक और वेबजह कोशिश शुरू की गई। यह संपत्ति

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

साल 1968 से 1971, 1975 से 1986, 1986 से 1996 (जब माननीय हाई कोर्ट ने गलत अवार्ड को निरस्त कर दिया) और दोबारा 2004 से 2008 (टेकओवर का झूठा भरोसा देने के बाद केवल पीछे हटने के लिए जब वार्ता के जरिए टेकओवर को अंतिम रूप दे दिया गया था,) तक गलत मंशा से अधिग्रहण अधिकार की छाया में रही। कल्पनाओं में कितने ही पंख क्यों न लगा दिए जाए फिर भी इस संपत्ति के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि इस संपत्ति ने मालिकों के लिए आजीविका नहीं दी या नहीं दे सकती” (अनुबंद XII)

हालांकि उपरोक्त आपत्ति यह सुझाव देती है कि अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि से मालिकों की प्राथमिक आजीविका की सभावना थी परन्तु उपरोक्त बताये गए कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि यह सम्पत्ति पिछले 4 वर्षों से किसी प्रकार से प्राथमिक आजीविका का स्तोट नहीं रही है

6.5 स्थानीय आर्थिक गतिविधियां

माल रोड़ शिमला का केंद्र है तथा यह आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। बेंटनी एस्टेट के आसपास संस्थान ,कालेज, होटल, बैंक और कार्यालय हैं। हालांकि एस्टेट में आज के दिन किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि नहीं होती। ऐसा भी कुछ नहीं पाया गया कि यहां स्थानीय लोगों की आय में कुछ योगदान होता हो।

6.6 स्थानीय आजीविका को योगदान देने वाले कारक

परियोजना क्षेत्र से स्थानीय आजीविका को योगदान देने वाला कोई भी कारक नहीं पाया गया।

6.7 नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन

कोई भी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन बेंटनी एस्टेट की सीमा के अंदर नहीं पायी गया। यहां यह जिक्र करना भी महत्वपूर्ण है कि स्वर्गीय श्री राम कृष्ण के परिवार में वह खुद, उनके बेटे श्री हेमराज, श्री चंद्रपाल, श्री अमरनाथ, श्री विश्वनाथ, श्री गोविंद सूद और पुत्री श्रीमती सुकर्मा देवी शामिल हैं।

मालिकों/लाभार्थियों की विस्तृत वंशावली को नीचे बताया जा रहा है। परिवार के अलावा प्रत्यक्ष तौर पर कोई और परिवार/व्यक्ति प्रभावित नहीं हैं।

**बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

तालिका 19: स्व. श्री राम कृष्णा की वंशावली

क्रमांक	सदस्य का नाम	स्व . श्री राम कृष्णा के साथ संबंध	टिप्पणी
1	स्व. श्री राम कृष्ण	एचएच प्रमख (स्वयं)	यह असली वंशावली थी जब स्व. श्री राम कृष्ण ने बैटनी एस्टेट खरीदा था ।
A	श्री विश्वनाथ	पुत्र	
B	श्री चंद्रपाल	पुत्र	
C	स्व. श्री हेमराज	पुत्र	
D	स्व. श्री अमर नाथ	पुत्र	
E	स्व. श्री गोविंद सूद	पुत्र	
F	स्व. श्रीमती सुकर्मादेवी	पुत्री	

भूमि अभिलेखन के अनुसार श्री राम कृष्ण के स्वर्गवास के पश्चात संपत्ति के पार्टनर बने जोकि 5 (E-A क्रमांक) बेटे है 5 वह हालाँकि जो दस्तावेज़ चिठी न. LCD-(F) (5)-2/2001-II-Loose दिनांक फरवरी 1 , 2016 भाषा व् संस्कृति विभाग के ज़रिये दिए गए उसमे श्री राजेश सूद (GoHP) और श्री मनु सूद (सुकर्मा देवी के कानूनी वारिस) और श्री संजय त्रेहान सम्पत्ति में साझेदारी का दावा करते है ।

समय के साथ साथ श्री हेम राज, श्री अमर नाथ, और श्री गोविन्द सूद का देहांत हो गया और उनकी संपत्ति का हिस्सा उनके सम्बंधित पत्नी व बच्चों क नाम हो गया । परिणाम स्वरुप जो दस्तावेज़ चिठी न. LCD-(F) (5)-2/2001-II-Loose दिनांक फरवरी 1 , 2016 भाषा व् संस्कृति विभाग के द्व्वारा दिए गए व् मौजूदा भूमि अभिलेखन के अनुसार संपत्ति के मालिक व जो उस पर दावा कर रहे है, उनके नाम नीचे दिए गए है ।

- 1) श्री विश्वनाथ
- 2) श्री चंद्रपाल
- 3) श्री अनिल कुमार, श्री अजय कुमार (स्व. हेमराज के पुत्र)

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

- 4) श्री अतुल कुमार, श्री अनुज कुमार व श्रीमती कीर्ति देवी (स्व. अमरनाथ के पुत्र व पत्नी)
- 5) कुमारी राशी, कुमारी मुदिता व श्रीमती वीना देवी (स्व.गोविंद सूद के पुत्रिया व विधवा)
- 6) श्री संजय त्रेहन (सम्पति में हिस्सेदारी का दावेदार)
- 7) श्री राजेश सूद व श्री मनू सूद (सुकर्मा देवी के कानूनी वारिस) सम्पति में हिस्सेदारी का दावेदार

स्व श्री राम कृष्ण के प्रत्येक पुत्र की विस्तृत वंशावली निम्न है

तालिका 20: श्री विश्वनाथ सूद की वंशावली

क्रमांक	सदस्य का नाम (उम)	श्री विश्वनाथ सूद के साथ संबंध
A	श्री विश्वनाथ सूद (75)	परिवार प्रमुख
1	सुधा सूद (68)	पत्नी
2	रचिता राणा (42)	पुत्री
3	अबिका सूद (40)	पुत्री
4	अरविंद सूद (46)	पुत्र
5	मीनाक्षी सूद (44) पत्नी/ अरविंद सूद	बहू
6	त्रयंबक सूद पुत्र अरविंद सूद	पोता

तालिका 21: श्री चंद्र पाल सूद के परिवार की वंशावली

क्रमांक	सदस्य का नाम (उम)	श्री चंद्र पाल सूद के साथ संबंध
B	श्री चंद्र पाल सूद (84)	परिवार प्रमुख
1	माया कीर्ति सूद (60)	पुत्री
2	अश्विनी सूद (54)	पुत्र
3	ममता सूद (50)पत्नी अश्वनि सूद	बहू
4	हर्षुल (21)पुत्र अश्वनी सूद	पोता
5	आयुषी गोयल (27) पुत्री अश्वनी सूद	पोती
6	अरुण सूद (52)	पुत्र
7	नीना सूद (49)पत्नी अरुणसूद	बहू
8	चैतन्य सूद (23)पुत्र अरुण सूद	पोता
9	सिद्धात्री सूद (17)पुत्री अरुण सूद	पोती

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

तालिका 22: स्वम. श्री हेमराज सूद की वशांवली

क्रमांक	सदस्य का नाम (उम्र)	स्व. श्री हेमराज सूद के साथ संबंध
C	स्व; श्री हेमराज सूद	परिवार प्रमुख
1	स्व. श्रीमती उमा सूद	पत्नी
2	अजय सूद (54)	पुत्र
3	कुसुम सूद पत्नी अजय सूद	बहू
4	अरुंधति सूद (29) पुत्री अजय सूद	पोती
5	अंबरीना सूद (15)पुत्री अजय सूद	पोती
6	अनिल सूद (58)	पुत्र
7	सुभद्रा सूद पत्नी अनिल सूद	पड़पुत्र वधु
8	स्तुति सूदपुत्री अनिल सूद	पोती
9	श्रेय सूद (39)पुत्र अनिल सूद	पोता
10	विधु सूद पत्नी श्रेयसूद	पड़पुत्रवधु
11	तिष्ठा सूद (10) पुत्री श्रेय सूद	पड़पोती
12	खुशी सूद (6) पुत्री श्रेय सूद	पड़ पोती
13	सुमती सूद (59)	पुत्री
14	कविता सूद (49)	पुत्री

तालिका 23: स्व. श्री अमरनाथ की वंशावली

क्रमांक	सदस्य का नाम (उम्र)	स्व. श्री अमरनाथ से संबंध
D	स्व. श्री अमरनाथ सूद	परिवार प्रमुख
1	कीर्ति सूद (71)	पत्नी
2	अतुल सूद (49)	पुत्र
3	मंजू सूद (47)पत्नी अतुल सूद	बहू
4	धनन्जय गोयल (19)पुत्र अतुल सूद	पोता
5	ममता सूद (50)	पुत्री
6	भावना सूद (43)	पुत्री
7	अनुजबगोयल (44)	पुत्र
8	शैली गोयल (42) पत्नी अनुज सूद	बहू
9	कमाक्षी गोयल (17) पुत्री अनुज गोयल	पोती

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

तालिका 24: श्री स्वा. गोविंद सूद की वंशावली

क्रमांक	सदस्य का नाम (उम्र)	श्री स्व. गोविंद सूद के साथ संबंध
E	स्व. श्री गोविंद सूद	परिवार प्रमुख
1	वीना सूद (56)	पत्नी
2	राशी सूद (40)	पुत्री
3	मुदिता सूद (36)	पुत्री

तालिका 25: स्व. श्रीमती सुकर्मा देवी की वंशावली

क्रमांक	सदस्य का नाम (उम्र)	स्व. श्रीमती सुकर्मा देवी के साथ संबंध
F	स्व. श्रीमती सुकर्मा देवी	स्वयं
1	स्व. श्री हंस राज	पति
2	श्रीमती मधु सूद (70)	पुत्री
3	स्व. श्री देशबंधु सूद (64)	पुत्र
4	श्री राजेश चीम्रा (60)	पुत्र
5	श्रीमती नीलम भागड़ा (58)	पुत्री
6	मनु सूद (42) पुत्र स्व. श्री हंस राज	पोता

6.8 प्रशासनिक संगठन

बैंटनी एस्टेट परिसर के भीतर कोई भी प्रशासनिक संगठन नहीं पाया गया । हालांकि जिला उपायुक्त कार्यालय, नगर निगम, एस पी कार्यालय ,यूको बैंक, टेलीकॉम ऑफिस आदि इसके नजदीक बसे हुए हैं और सर्वे के दौरान पाया गया कि इन संस्थानों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। इन सभी संस्थानों द्वारा प्रस्ताव की सराहना की गई हैं।

6.9 राजनीतिक संगठन

बैंटनी एस्टेट परिसर के भीतर कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं पाया गया है।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

6.10 सामुदायिक आधारित या सिविल सोसायटी संगठन

बेंटनी कैसल इस्टेट में कोई सिविल सोसायटी संगठन नहीं पाया गया है। यंग वीमन क्रिश्चियन एसोसिएशन व स्टूडेंट्स एसोसिएशन नजदीक की लोकेशंस पर सक्रिय हैं, लेकिन मौजूदा अर्जन में उनका कोई हित व सुझाव नहीं है।

6.11 क्षेत्रीय आयाम और ऐतिहासिक बदलाव प्रक्रिया

क्षेत्रीय आयाम व ऐतिहासिक बदलाव प्रक्रिया को लेकर कोई प्रमुख नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया है।

6.12 रहन सहन के माहौल की गुणवत्ता

बेंटनी एस्टेट शिमला शहर के कई मुख्य स्थानों में से एक पर स्थित है। एस्टेट में अपने में ही समृद्ध ग्रीनरी है। एस्टेट की सीमा के साथ पेड़ व झाड़ियां हैं। नीचे दर्शाए गए फोटोग्राफ्स में बेंटनी कैसल में रहन सहन के माहौल की तस्वीर दर्शाई गई है। हालांकि बीते कई सालों से संपत्ति खाली पड़ी है और परिसर में कोई नहीं रहता है।

बेंटनी एस्टेट और उसके चारों ओर के फोटोग्राफ्स

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट



7 सामाजिक प्रभाव/समाघात

7.1 प्रभाव/समाघात निर्धारण हेतु कार्यढाचा और दृष्टिकोण

जब विकास बढ़ाने के लिए बांध, खदानें, उद्योगों, हाइवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, शहरी विकास व पावर प्रोजेक्टों को शुरू किया जाता है तो इनसे पहले इनके पड़ने वाले सामाजिक प्रभावों का पता लगाने के लिए सामाजिक प्रभाव अध्ययन किया जाता है। यह एक विधि है जिसके जरिए निर्णय निर्धारक अपने फैसलों के नकारात्मक प्रभावों को पहले ही देख सकते हैं और उन्हें कम करने या रोकने के लिए जरूरी कदम समय रहते उठा सकते हैं। निर्णय निर्धारक प्रक्रिया के बतौर एक सहायता के सामाजिक प्रभाव अध्ययन, परियोजना क्षेत्र के लोगों के जीवन पर प्रत्यक्ष व परोक्ष तौर पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर उनके सामाजिक व सांस्कृतिक पहलुओं पर जानकारी मुहैया कराता है। इंटर आर्गनाइजेशनल कमेटी ऑन प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस फॉर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट (IOCPGSIA 2003), के मुताबिक निम्न में से एक या अधिक में होने बदलाव सामाजिक प्रभाव की अवधारणा का एक पारंपरिक तरीका है:

- “ लोगों के जीने का तरीका - जैसे कि, वह कैसे रहते हैं, काम करते हैं और रोजमर्रा आपस में कैसे बातचीत करते हैं।
- उनकी संस्कृति - उनके साझे विश्वास, रीति रिवाज, मूल्य और भाषा व बोलियां
- उनका समुदाय - उनके लगाव, स्थिरता, चरित्र, सेवाएं व सुविधाएं;
- उनका राजनीतिक तंत्र - लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले में उनकी सहभागिता किस सीमा तक है, लोकतंत्र का स्तर क्या है और इस उद्देश्य के लिए क्या संसाधन मुहैया कराए गए हैं।
- उनका पर्यावरण - लोग किस तरह की गुणवत्ता की हवा व पानी इस्तेमाल करते हैं, जो जो भोजन खाते हैं, उसकी उपलब्धता व गुणवत्ता, खतरे व जोखिम का स्तर, धूल व शोर जो

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

वो झेलते हैं स्वच्छता की पर्याप्तता , उनकी शारीरिक सुरक्षा और उनकी संसाधनों तक पहुंच व उन पर नियंत्रण

- उनका स्वास्थ्य व बेहतरी - स्वास्थ्य पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक बेहतरी की स्थिति है और केवल बीमारियों व विकृतियों की गैरमौजूदगी ही स्वास्थ्य नहीं हैं।
- उनके व्यक्तिगत व संपत्ति के अधिकार - खासकर क्या लोग आर्थिक तौर पर प्रभावित हैं या व्यक्तिगत प्रतिकूलता का अनुभव जिसमें उनके सामाजिक स्वतंत्रता का उल्लंघन भी शामिल है।
- उनके डर व अकांक्षाएं - अपनी सुरक्षा के बारे में उनकी दृष्टि ,अपने समुदाय के भविष्य के बारे उनके डर, और उनके अपने भविष्य व अपने बच्चों के भविष्य बारे में अकांक्षाएं।”

सामाजिक प्रभाव आकलन करने की प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन किया गया था जिसमें कि प्रस्तावित अर्जन का आकलन करने के लिए सभी हितधारकों को व्यवस्थित तरीके से शामिल किया गया। प्रभाव को चिन्हित करने का प्रारूप व पद्धति को निम्न चरणों में दर्शाया गया है।

चरण 1 : सामाजिक प्रभाव आकलन दल का गठन

चरण 2 : सन्दर्भ साहित्य का अवलोकन

चरण 3 : विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक

चरण 4 : डाटा एकत्रीकरण (उपकरण: प्रश्नावली, केन्द्रित समूह चर्चा, साक्षात्कार)

चरण 5 : आंकड़ा अभिसंस्करण

चरण 6 : रिपोर्ट

प्रस्तावित अर्जन का प्रभाव प्राथमिक हितधारकों पर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित भूमि पर कोई भी कृषि गतिविधि नहीं है। परिणामस्वरूप मालिकों को कोई भी कृषि भूमि का नुकसान नहीं होगा ।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

7.2 परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों के प्रभावों का विवरण

प्रस्तावित अर्बन म्यूजियम के लिए बेंटनी कैसल की जमीन के अर्जन के सामाजिक प्रभाव को इस तरह वर्गीकृत किया गया है।

- (i) पूर्व निर्माण चरण से पहले प्रभाव
- (ii) निर्माण चरण के दौरान प्रभाव
- (iii) संचालन चरण के दौरान प्रभाव

निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान चिन्हित विभिन्न प्रभावों का विवरण तालिका नंबर 24 में दर्शाया गया है।

तालिका 26: परियोजनाके विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभाव का आकलन

क्रम	निर्माण पूर्व	निर्माण	संचालन
1	भूअर्जन	धूल प्रदूषण	सैलानियों के आकर्षण का सृजन
2	निर्मित संपत्ति(खस्ता हाल इमारतों) का अर्जन	ध्वनि प्रदूषण	हिमाचल प्रदेश के सांस्कृतिक संरक्षण के ज्ञान केंद्र का सृजन
3		निर्माण के दौरान रोजगार	कचरा, शौचालय, सीवेज और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

हितधारकों की श्रेणी:

1. प्राथमिक हितधारक (मालिकों और संपत्ति के भागीदार)

2. द्वितीय हितधारक

अ आसपास के वार्डों में रहने वाले परिवार

ब व्यावसायिक प्रतिष्ठान,

स होटल

ड पर्यटक गाइड

ई यात्रा एजेंसियां

3. संस्थागत हितधारक

सामाजिक समाघात के अध्ययन हेतु, विभिन्न हितधारकों के मध्य सर्वेक्षण किया गया | प्राथमिक हितधारकों जिसमें मालिक और दावेदार शामिल हैं, के लिए 100% नमूने का आकार चुना गया था | हालाँकि, 3 हितधारकों ने सर्वेक्षण प्रत्युत्तर नहीं दिया | अतः 77% नूना आकार ही प्राप्त किया जा सका |

द्वितीय हितधारकों में विभिन्न श्रेणियां जैसे की आस पास वार्डों के परिवार, सम्बंधित क्षेत्र की व्यापारिक संस्थाएं आदि, होटल, टूरिस्ट गाइड, टूर एंड ट्रेवल एजेंसियां, और टैक्सी चालक हैं | 2011 की जनसँख्या के अनुसार आस पास के वार्डों में 8,419 परिवार रहते हैं, जिसका 13% (1,136 परिवार) नमूना आकार चुना गया | अतिरिक्त द्वितीय हितधारकों के लिए 25% नमूना आकार (प्रत्येक श्रेणी से) चुना गया | 17 सरकारी विभाग जिन पर परियोजना का प्रभाव हो सकता है, का सर्वेक्षण संस्थानिक हितधारक की श्रेणी में किया गया | विभिन्न हितधारकों और उनके नमूना आकार का विवरण तालिका 7 में दिया गया है |

उत्तरदाताओं का संक्षिप्त परिचय

कुल 1136 घरेलू सर्वेक्षण किया गया और लक्ष्य समूह मिश्रित स्वभाव का था जिसमें से 236 उत्तरदात सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं और 386 निजी क्षेत्र में हैं , 182 व्यवसाय या स्व रोजगार में

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

हैं, 56 अपने बच्चों की शिक्षा के कारण शिमला में रह महिलाएं हैं और 276 छात्र थे जो विभिन्न कालेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं ।

हितधारकों की कुछ रायें निम्न प्रकार हैं :

1. स्वास्थ्य: लोग अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हैं और शहर में मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं से संतुष्ट हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, डीडीयू अस्पताल (रिपन) अन्य निजी अस्पताल प्रमुख सेवा प्रदाता हैं। लोगों का मानना है सभी अस्पतालों में पूरे राज्य लोग उपचार हेतु शिमला के लिए आ रहे हैं जिससे अस्पतालों में भीड़ हो जाती है
2. जल एवं स्वच्छता: लोग पानी की आपूर्ति से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि पानी सिमित मात्रा में आता है। इस वर्ष शहर में पीलिया फैल गया था और उचित सीवरेज प्रबंधन ना होने की वजह से महामारी के रूप में उभरा था। घरेलु कचरा नगर निगम शिमला द्वारा घर से एकत्र किया जा रहा है।
3. शिक्षा: लोग शैक्षिक सुविधाओं से संतुष्ट हैं। हालांकि 35% लोगों के पब्लिक स्कूलों में उच्च शुल्क के बारे में शिकायतें हैं ।
4. अपराध और सामाजिक सुरक्षा: समुदाय में सामाजिक सुरक्षा और अपराध की स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी नहीं है। उत्तरदाताओं वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं।

प्रभाव आकलन सर्वेक्षण का विश्लेषण व राय


कुल 1,764 द्वितीय हितधारकों के सर्वेक्षण प्रपत्र विश्लेषित किये गए | द्वितीय हितधारकों के उपवर्गों के नमूना आकर का विवरण तालिका 7 में दिया गया है | द्वितीय हितधारकों जिसमें होटल, टूर एंड ट्रेवल, सम्बंधित क्षेत्र के व्यवसायिय संस्थान जिस्में माल रोड लाक्कर बाज़ार, नागरिक संगठन/राजनैतिक/धार्मिक/स्वेच्छिक संस्थाएँ/यूनियन/महिला समूह आदि, पर्यटकों ,स्थानीय निवासियों के सर्वेक्षण से प्राप्त राय का विश्लेषण नीचे दिया गया है |

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

प्लान फाउंडेशन ने हितधारकों के साथ विस्तृत सर्वेक्षण किया है। द्वितीय हितधारकों से प्रस्तावित अर्जन के विभिन्न पहलुओं को लेकर पूछा गया है और परिणाम स्वरूप उनके दृष्टिकोण को नीचे दिया गया है।

तालिका 27: शिमला शहर के लिए प्रस्तावित म्यूजियम का महत्त्व पर राय

क्रमांक	द्वितीय हितधारक जो म्यूजियम को शिमला शहर के लिए जरूरी मानती हैं।	द्वितीय हितधारक जो शिमला शहर के लिए जरूरी नहीं मानती हैं।	द्वितीय हितधारक जिनकी जरूरत के बारे में कोई राय नहीं है।
1	56%	28%	16%




अधिकांश जवाबकर्ताओं ने सहमति जताई कि शिमला में म्यूजियम होना चाहिए। उनकी राय में इससे शहर के मैप में एक और आकर्षण जुड़ जाएगा।



बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट


तालिका 28: प्रस्तावित म्यूजियम सैलानियों को आकर्षित करेगा के बारे में राय

क्रमांक	द्वितीय हितधारक जो मानती कि म्यूजियम सैलानियों को आकर्षित करेगा	द्वितीय हितधारक जो मानती कि म्यूजियम सैलानियों को आकर्षित नहीं करेगा
1	81.25%	18.75%



तालिका 29: म्यूजियम से स्थानीय आर्थिकी बढ़ेगा के बारे में राय


क्रमांक	द्वितीय हितधारक जो मानती कि म्यूजियम से स्थानीय कारोबार बढ़ेगा	द्वितीय हितधारक जो मानती कि म्यूजियम से स्थानीय कारोबार नहीं बढ़ेगा
1	82.3%	17.7%



बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

तालिका 30: सुविधाओं में बढौतरी के बारे में राय


क्रमांक	द्वितीय हितधारक जो मानती कि म्यूजियम से सुविधाएं बढेगी	द्वितीय हितधारक जो मानती कि म्यूजियम से नहीं सुविधाएं बढेगी
1	73.9%	16.1%



बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

तालिका 31: क्या म्यूजियम से ज्ञानमंच सृजित होगा इसके बारे राय

क्रमांक	द्वितीय हितधारक जो मानती कि म्यूजियम ज्ञान मंच सृजित करेगा	द्वितीय हितधारक जो मानती कि म्यूजियम ज्ञान मंच सृजित नहीं करेगा
1	94.25%	5.75%



बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

समूह केन्द्रित चर्चाओं का परिणाम

कुल 6 समूह केन्द्रित चर्चाएँ अलग अलग स्थानों पर समुदायों के साथ आयोजित की गयी जिसमे नागरिक संगठन/राजनैतिक/धार्मिक/स्वेच्छक संस्थाएँ/यूनियन/महिला समूह शामिल थे | कुल 126 लोगों ने समूह केन्द्रित चर्चाओं में भाग लिया | समूह केन्द्रित चर्चाओं से प्राप्त परिणाम निम्न है :

1. लोग वर्तमान अर्जन के बारे में जानते हैं और अखबारों, दोस्तों व आम चर्चाएं सूचनाओं का मुख्य स्रोत हैं। लोगों की इच्छा है कि अधिग्रहित जमीन पर बेहतर सुविधाएं हों। लोगों ने म्यूजियम में रुचि दिखाई है लेकिन कुछ ने इसके उद्देश्य पर सवाल भी उठाए कि जब पहले से ही शहर में स्टेट म्यूजियम है व जिसमें पहले ही कम लोग जाते हैं तो यह म्यूजियम बनाने की क्या जरूरत है।
2. कुछ लोगों ने गेयटी थियेटर के समीप टाउन हाल को अर्बन म्यूजियम के लिए सुझाया है।
3. पर्यटन सेक्टर से जुड़े लोग इस बात से सहमत है कि सैलानियों को प्रस्तावित म्यूजियम की तरह अन्य आकर्षण होना चाहिए।

संस्थाओं की राय

सरकारी व कुछ निजी संस्थानों को भी बतौर सेकंडरी हितधारक माना गया इस अर्जन के लिए उनकी राय जानने के लिए उनके साक्षात्कार भी लिए गए। मुख्य विचार/सुझाव निम्न हैं:

1. शिमला के मेयर ने इस संपत्ति पर म्यूजियम के विचार पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उनकी राय में जब पहले से शहर में एक स्टेट म्यूजियम है तो दूसरे म्यूजियम की कोई आवश्यकता नहीं है।
2. शहरी विकास, आईपीएच, पीडब्ल्यूडी, डाक, पर्यटन, बैंक, टीसीपी इत्यादि विभाग यहां म्यूजियम होने के लिए सहमत है व इस बात से भी इससे शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक और आकर्षण बढ़ जाएगा।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

3. उप निदेशक अभिलेखागार, भाषा, कला व संस्कृति विभाग ने सुझाव दिया कि चौड़ा मैदान में स्थित म्यूजियम को यहां के लिए शिफ्ट कर देना चाहिए। चूंकि यहां तक लोगों की आसानी से पहुंच हैं। इससे आसपास में दो दो म्यूजियम होने की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। लोकेशन की वजह से स्टेट म्यूजियम में बहुत कम लोग आ पाते हैं
4. श्री सुरेश भरद्वाज विधायक ने अर्जन की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया व कहा कि यह राजनीति से प्रेरित एजेंडा है। उन्होंने वर्तमान अर्जन में पब्लिक इंटरेस्ट पर भी सवाल उठाया।



अर्जन से मुख्य तौर पर मालिक व उनके परिवार प्रभावित होंगे। ताजा भू दस्तावेजों के अनुसार इस संपत्ति के 13 मुख्य हितधारक हैं जिनमें से 10 के नाम जमाबंदी में दर्ज हैं जबकि तीन ने जिनमें संजय त्रेहन, राजेश सूद व मनू सूद ने संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर रखा है। विस्तृत पारिवारिक ढांचा और सभी हितधारकों के नाम रिपोर्ट में बाद में दिए गए हैं।

वर्तमान में बेंटनी कैसल में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है और आजीविका के लिए किसी भी व्यक्ति की परोक्ष व अपरोक्ष रूप से इस संपत्ति पर निर्भरता नहीं पाई गई है। यह संपत्ति 4 से अधिक वर्षों से खाली है। सर्वेक्षण के विश्लेषण से पता चला है कि कुल उतर दाताओं में से 58% ने प्रस्तावित

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

परियोजना के सन्दर्भ में सकारत्मक विचार प्रस्तुत किये है कि वह इसे शहर के लिए प्रासंगिक पाते है जो पर्यटकों वह स्थानीय निवासियों को आकर्षित करेगा। यह राज्य की समृद्ध सरक्षण के साथ साथ स्थानीय व्यवसायों विशेष तौर पर पर्यटन संबंधित उद्योगों की आय में वृद्धि करेगा। हालाँकि कुल उतर दाताओं में 26% इस पक्ष में नही है। उन्हें लगता है की यह राज्य संग्रहालय जो की चौड़ा मैदान में स्थित है की पुनरावृति होगी। कुल उतर दाताओं में से 16% कोई भी राय नही रखते है।

कई उतरदाता इस प्रस्ताव में बच्चों वह बड़ों के लिए एक पब्लिक पार्क जोड़ने की राय रखते हैं जिससे यह शिमला शहर में अतिरिक्त आकर्षण और बड़ी आवश्यकता को पूरा करगे क्योंकि शिमला में इस तरह के सार्वजनिक स्थानों की कमी है। कुछ अन्य ने सुझाया है की राज्य संग्रहालय को इस नयी जगह पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए जिससे मुख्य पर्यटन आकर्षण के सृजन के साथ साथ संग्रहालय की पुनरावृति और उसके रख रखाव के खर्चों को टला जा सके।

तालिका 32: विभिन्न संभावित सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण और उनके शमन के प्रस्तावित कदम

क्रम	प्रभाव के प्रकार	स्थिति	प्रस्तावित शमन कदम
1	जमीन का नुकसान	हां, जमीन का नुकसान होगा और इसका मालिकों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।	RTFCTLARR एक्ट ,2013 के मुताबिक मुआवजा
2	निर्मित संपत्ति का नुकसान	हां, सीधा प्रभाव, हालांकि इमारतें बहुत बुरी तरह से नष्ट हो चुकी है, फिर भी उसका कुछ सांस्कृतिक व वास्तुत्मक मेहेत्व हो सकता है।	RTFCTLARR एक्ट ,2013 के मुताबिक मुआवजा
3	उत्पादन परिसंपत्तियों का नुकसान	नहीं	-
4	आजीविका का नुकसान	नहीं	-
5	जनउपयोगी सेवाओं का नुकसान	नहीं	-

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

क्रम	प्रभाव के प्रकार	स्थिति	प्रस्तावित शमन कदम
6	साझा संपत्ति संसाधनों का नुकसान	नहीं	-
7	जन सेवाओं के लिए पहुंच व साझा संपत्ति संसाधनों का नुकसान	नहीं	-
8	सांस्कृतिक संपत्ति का नुकसान	नहीं	-
9	कमजोर समूहों का विस्थापन	नहीं	-

द्वितीय व संस्थानिक हितधारकों पर कोई भी विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया ।

प्राथमिक हितधारकों के सर्वे व संवाद से पता चला है कि, अर्जन प्रक्रिया से उनकी सहमति की केवल एक शर्त है कि सरकार की ओर से पूरी बेंटनी एस्टेट को अधिग्रहित किया जाना चाहिए न कि इसके एक भाग को। उनकी दलील थी कि वर्तमान प्रस्तावित अर्जन में केवल संपत्ति के सबसे बेहतरीन भाग को ही अधिग्रहित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप मालिकों के लिए शेष भूमि का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि इसका अर्जन हो गया तो शेष भूमि के लिए पहुंच तक नहीं रहेगी।

परियोजना के सञ्चालन के दौरान कुछ नकारात्मक प्रभाव/समाघात होंगे जैसे की कचरे, सीवेज, ठोस अवशिष्ट आदि का सृजन | हालाँकि परियोजना के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होंगे जैसे की पर्यटकों को आकर्षण और उससे स्थानीय आर्थिकी को बढ़ावा, निर्माण एवं सञ्चालन चरण के दौरान रोजगार का सृजन, आस पास की संपत्ति की मूल्य में वृद्धि, ज्ञान मंच का सृजन और सांस्कृतिक संरक्षण ।

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

तालिका 33: परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव

क्रम	सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव	टिप्पणियां
1	पर्यटनों का आकर्षण	भू अर्जन	यहां बताएं गए सभी प्रभावों को विभिन्न हितधारकों ने सर्वे के दौरान सुझाया। अगर परियोजना के नकारात्मक प्रभावों का शमन किया जाए तो प्रस्तावित परियोजना लोगों व राज्य को लाभ पहुंचाएंगी।
2	स्थानीय आर्थिकी में बढ़ोतरी	निर्मित इमारतों का नुकसान	
3	रोजगार में बढ़ोतरी	प्राथमिक हितधारकों के लिए बैंटनी एस्टेट की बाकी बच जाने वाली संपत्ति की कीमत में कमी	
4	ज्ञान मंच का सृजन	कूड़ा, शौचालय, सीवरेज और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन	
5	आसपास की संपत्ति की कीमत में बढ़ोतरी		
6	सांस्कृतिक संरक्षण		

निम्न तालिका में प्राथमिक एवं द्वितीय हितधारकों पर पड़ने वाले सम्भावित समघातों /प्रभावों का विवरण है

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

तालिका 34: संभावित प्रभावों की सूची

प्रभाव कारक	प्राथमिक हितधारकों पर प्रभाव	द्वितीय हितधारकों पर प्रभाव
भूमि ,मकान	<ul style="list-style-type: none"> • यह सभी प्राथमिक हितधारकों पर सीधा प्रभाव हैं। • निर्मित भवनों व कुछ आशिक जमीन का नुकसान • शेष जमीन जो अधिग्रहित नहीं की जा रही है, मालिकों के अधिक लाभ की नहीं रहेगी (क्योंकि शेष जमीन तक पहुंच वाली) मुख्य भूमि, संपत्ति व भवनों को सरकार अधिग्रहित कर लेगी। शेष जमीन पर समेत बहुत पेड़ पौधे हैं और ढलान हैं। • वर्तमान भवन जोकि अब खस्ताहाल है कुछ साल पहले तक पुलिस विभाग की ओर से इस्तेमाल किए जाते रहे लेकिन अब यह इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। मालिक दूसरे मकानों में रहते हैं जो इस संपत्ति से कहीं दूर हैं। • इस परियोजना से यह संभावना है कि शेष जमीन को पहुंच न हो, परिणाम स्वरूप यह बेकार हो सकती है। • अर्जन की जाने वाली संपत्ति माल रोड़, शिमला पर कई सबसे प्राइम सम्पतियों में से एक हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> • कोई परोक्ष व अपरोक्ष प्रभाव नहीं है • द्वितीय हितधारकों के लिए आजीविका, भूमि व आय का कोई बाधा नहीं पहुंचेगी।
आजीविका व आय	अर्जन के लिए प्रस्तावित पर वर्तमान में आजीविका के लिए कोई गतिविधि नहीं है। इस जमीन ने 4 साल से अधिक से किसीको भी किसी प्रकार की आजीविका प्रदान नहीं की है ।	द्वितीय हितधारकों की आजीविका गतिविधि (जैसे रोजगार आदि) का कोई नुकसान नहीं है।
भौतिक संसाधन	प्राथमिक हितधारकों के लिए भौतिक संसाधनों का कोई नुकसान नहीं है।	द्वितीय हितधारकों के लिए भौतिक संसाधनों का कोई नुकसान नहीं है।
निजी परिसंपतियां	जमीन पर कुछ ढांचे खड़े हैं, जो कि खस्ता हालात में, हालाँकि स्थापत्य व सांस्कृतिक महत्व के कारण परिसंपतिया समझी जा सकती है। इसके अलावा एस्टेट में पेड़ है जिन्हें परिसंपतियों में शामिल किया जा सकता है।	द्वितीय हितधारकों के लिए निजी परिसंपतियों का कोई नुकसान नहीं है।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

प्रभाव कारक	प्राथमिक हितधारकों पर प्रभाव	द्वितीय हितधारकों पर प्रभाव
जन सेवाएं और उपयोगिताएं	प्राथमिक हितधारकों के लिए किसी भी तरह की जन सेवाओं और उपयोगिताओं का नुकसान नहीं है।	द्वितीय हितधारकों के लिए किसी भी तरह की जन सेवाओं और उपयोगिताओं का नुकसान नहीं है।
स्वास्थ्य	प्राथमिक हितधारकों के स्वास्थ्य के लिए प्रस्तावित म्यूजियम व प्रस्तावित अर्जन से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है।	द्वितीय हितधारकों के स्वास्थ्य के लिए प्रस्तावित म्यूजियम व प्रस्तावित अर्जन से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है।
सांस्कृतिक व सामाजिक जुड़ाव	सांस्कृतिक व सामाजिक जुड़ाव पर कोई परोक्ष व अपरोक्ष प्रभाव नहीं ।	कोई प्रभाव नहीं
लिंग	हालाकि सभी प्राथमिक हितधारक अविभाजित हिंदू परिवार से संबंध रखते हैं लेकिन संपत्ति की एक शेयरहोल्डर श्रीमती वीना सूद स्व. गोविंद सूद की विधवा हैं और उसके दो पुत्रियां हैं और विवाहित हैं व अपने अपने परिवारों के साथ रहती हैं। किसी तरह के पुनर्वास की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी प्राथमिक हितधारक दूसरी जगह पर रहते हैं। संपत्ति के मालिको/ प्राथमिक हितधारकों के लिए संपत्ति का नुकसान और संभावित व्यावसायिक कीमत का नुकसान है।	द्वितीय हितधारकों के लिए लैंगिक नहीं है।

8 लागत व मुनाफे का विश्लेषण व अर्जन पर सिफारिशें

8.1 अंतिम निष्कर्ष

बैंटनी कैसल में प्रस्तावित म्यूजियम RTFCTLARR Act, 2013 के तहत जनहित के उद्देश्य की परिभाषा के तहत आता है। प्रस्तावित संग्रहालय का उद्देश्य जो हिमाचल के ऐतिहासिक, भूगर्भीय, पुरातात्विक, अभिलेखीय, साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और जैव विविधताओं को प्रदर्शित करने जा रहा है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर संपत्तियों के संरक्षण व रखरखाव के अलावा समाज में जागरूकता पैदा करने मदद करेगा। अतः प्रस्तावित शहरी संग्रहालय शिमला शहर में एक पर्यटन का केंद्र के तौर पर विकसित होगा ।

वर्तमान में ,अधिग्रहित की जानेवाली जमीन पर कोई परिवार/ व्यक्ति नहीं रह रहा हैं और इस जमीन के टुकड़े पर आजीविका के लिए कोई भी किसी भी तरह से प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से निर्भर नहीं हैं। हालांकि 5 नवंबर 2016 को आयोजित की गई जन सुनवाई के दौरान प्राथमिक हितधारकों की ओर से आजीविका के बारे में आपत्तियां उठाई गई। उनकी दलीलें थी कि 2011 तक वो हिमाचल प्रदेश सरकार से किराए के तौर पर आय कमा रहे थे और उस समय वहां पर कैंटीन भी चलाई जा रही थी उससे भी आय होती थी। वह ये भी दावा करते हैं कि शहर में ये प्रीमियम जगह होने की वजह से यहां पर आजीविका कमाने के पर्याप्त अवसर हैं, लेकिन इन मौकों को हर बार हिमाचल सरकार और खास कर एक राजनीतिक पार्टी की ओर से तबाह व रोक दिया गया।

हालांकि उपरोक्त आपत्तियां दर्शाती हैं कि अधिग्रहित की जाने वाली जमीन से मालिकों को आजीविका की संभावना थी लेकिन उपरोक्त में दर्शाए कारणों की वजह से ऐसा करने के योग्य नहीं थे। यहां यह जिक्र करना वाजिब है कि किए गए दावों को स्थापित नहीं किया जा सका। हालांकि अब से चार साल पहले तक परिवार के लिए यह संपत्ति प्राथमिक आजीविका का स्रोत नहीं था ।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

पूर्व निर्माण चरण में मुख्य सामाजिक प्रभाव की पहचान जमीन के अधिग्रहण और निर्मित संपत्ति के अधिग्रहण जैसे जमीन पर मौजूदा ढांचे (हालांकि ये जर्जर हालात में हैं) के रूप में हुई हैं। इन प्रभावों के शमन के लिए भू अधिग्रहण के लिए RTFCTLARR Act, 2013 के तहत मुआवजे के प्रावधान काफी हैं।

चूंकि इस प्रोजेक्ट से ना तो कोई विस्थापन हुआ है और ना ही आजीविका का कोई नुकसान हुआ है। ऐसे में पुनर्वास व पुनर्स्थापन की जरूरत नहीं हैं। ऐसे में इसके लिए किसी भी तरह के शमन कदम उठाने की जरूरत पर विचार नहीं किया गया है। अतः यदि सरकार अधिग्रहण प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना चाहे तो मालिकों को RTFCTLARR एक्ट, 2013 के अंतर्गत पर्याप्त मुआवजा ऐसा कर सकती है।

इस अधिग्रहण की वजह से अन्य नकारात्मक प्रभाव जो उठ सकता है, वह प्राथमिक हितधारकों के लिए बेंटनी एस्टेट तक पहुंच व शेष हिस्से की कीमत में कमी आना है। जितने भी प्राथमिक हितधारक जिनसे साक्षात्कार किया गया था, ने दलीलें दी कि वर्तमान प्रस्तावित अधिग्रहण में केवल संपत्ति के सबसे बेहतर हिस्से का अधिग्रहण किया जा रहा है। परिणामस्वरूप शेष बची जमीन की मालिकों के लिए कोई ज्यादा कीमत नहीं रह जाएगी। इसके अलावा एक बार अधिग्रहण हो जाने के बाद शेष बची संपत्ति के लिए पहुंच नहीं रह जाएगी। उनकी ओर से मुख्य तौर पर यह शर्त रखी गई कि अधिग्रहण प्रक्रिया का इच्छा से पालन करने के लिए पूरी एस्टेट का अधिग्रहण किया जाना चाहिए न कि इसके एक हिस्से की।

इस प्रभाव के शमन के लिए सिफारिश की जाती है कि सरकार पूरी बेंटनी एस्टेट जोकि 18,193 वर्ग मीटर का अधिग्रहण कर सकती हैं न कि इसके एक हिस्से का जोकि 3874.39 है। अगर सरकार इस सिफारिश को मानने की जरूरत नहीं समझती हैं, तो शेष बची जमीन तक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

आम जनता के बीच सर्वे करते हुए और जन सुनवाई के दौरान प्राप्त हुए सुझावों में जनता की ओर से आम सुझाव व अकांक्षा सामने आई कि इस प्रीमियम जगह पर पार्क होना चाहिए। इसलिए यदि सरकार पूरी एस्टेट को अधिगृहित करती है तो अतिरिक्त भूमि पर म्यूजियम के प्रस्ताव में पब्लिक पार्क शामिल किया जा सकता है जो कि दोनों सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा कर देगा। इससे म्यूजियम के लिए ज्यादा लोगों आकर्षित होंगे और शिमला के स्थानीय लोगों के अलावा सैलानी भी यहां बार - बार आएंगे।

जन सुनवाई के दौरान अन्य मुख्य आपति प्राथमिक हितधारकों व हिस्सेदारों की ओर से दर्ज की गई। मालिकों, जिनके नाम जमाबंदी में दर्ज हैं, ने बार- बार संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने वाले हित धारकों जैसे मनु सूद ,राजेश सूद और संजय त्रेहन जिनका जिक्र रिपोर्ट में हैं,के नाम शामिल करने पर आपतियां दर्ज की। हालांकि हितधारकों से भी आपतियां प्राप्त की गई जिसमें उन्होंने उद्धृत किया है कि “ एक सिविल केस हि० प्र० उच्च न्यायालय में केस न० CS CS/6/2015 (राजेश चिम्र बनाम चन्द्रपाल सूद) वर्तमान हितधारकों के विरुद्ध दायर किया गया है और माननीय नें उसमें उल्लिखित सम्पत्ति के बारे में “ Status Quo” का निर्णय पास किया है ।” (अनुगलंक XII)

हालांकि, सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के दायरे में जमीन के मालिकाना हक/स्वामित्व का निर्णय नहीं आता है

जन सुनवाई के दौरान आम जनता ने सरकार की ओर से की जा रही अधिग्रहण के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए आपतियां दर्ज कराई गई। यहां तक कि शिमला से भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज ने साक्षात्कार के दौरान प्रस्ताव के जन हित के बुनियादी उद्देश्य को ही चुनौती दे दी व दावा किया कि ये सारी प्रक्रिया राजनीति से प्रेरित हैं। जनता की ओर से उठाई गई बाकी आपतियों में कहा गया कि मौजूदा अधिग्रहण प्रक्रिया से जन निधि की बेहद बर्बादी होगी जिसे वैकल्पिक तौर पर अन्य जन मुद्दों और आधारभूत ढांचे की समस्याओं जैसे सड़कों व यातायात पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने प्रोजेक्ट की व्यावहारिकता पर भी सवाल उठाए और जानना चाहा कि अधिग्रहण

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

करने वाला विभाग नई संपत्ति का रखाव कैसे करेगा जबकि पहले से ही उसके पास जो संपत्ति थी उसका रख रखाव नहीं रखा जा सका ।

हालांकि सर्वेक्षण का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि :

- 58% ने प्रस्तावित परियोजना के सन्दर्भ में सकारात्मक विचार प्रस्तुत किये हैं कि वह इसे शहर के लिए प्रासंगिक पाते हैं जो पर्यटकों वह स्थानीय निवासियों को आकर्षित करेगा । यह राज्य की समृद्ध सरक्षण के साथ साथ स्थानीय व्यवसायों विशेष तौर पर पर्यटन संबंधित उद्योगों की आय में वृद्धि करेगा ।
- हालाँकि कुल उतर दाताओं में 26% इस पक्ष में नहीं है । उन्हें लगता है की यह राज्य संग्रहालय जो की चौड़ा मैदान में स्थित है की पुनरावृत्ति होगी । हालाँकि कुछ ने ये सुझाव दिया की मौजूदा राज्य संग्रहालय को इस नए स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है जिससे की पर्यटन के आकर्षण के साथ साथ संग्रहालय की पुनरावृत्ति और रख रखाव के खर्चों से बचा जा सकता है ।
- कुल उतर दाताओं में से 16% कोई भी राय नहीं रखते हैं ।
- कई उतरदाता इस प्रस्ताव में बच्चों वह बड़ों के लिए एक पब्लिक पार्क जोड़ने की राय रखते हैं जिससे यह शिमला शहर में अतिरिक्त आकर्षण और बड़ी आवश्यकता को पूरा करगे क्योंकि शिमला में इस तरह के सार्वजनिक स्थानों की कमी है ।

सामाजिक प्रभाव आकलन टीम ने जन सुनवाई के दौरान उठाई गई आपतियों/राय / व सुझावों का मूल्यांकन किया और सर्वे के जरिए एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण कर निम्न निष्कर्ष पर पहुंची-:

1. यह सच है कि प्रस्तावित म्यूजियम से पर्यटन उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा और शिमला के लिए सैलानियों को आकर्षित करेगा चूंकि माल रोड़ पहले से ही मुख्य पर्यटन आकर्षणों में से एक हैं और ऐसे में यह म्यूजियम शहर के नक्शों में एक और आकर्षण को जोड़ देगा। प्रस्तावित

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

म्यूजियम लोगों को आकर्षित करेगा और और उससे स्थानीय कारोबारियों, ट्रेवल एजेंटों, गाइड व होटलों इत्यादि की आय में बढ़ोतरी होगी।

2. चौड़ा मैदान में स्थित स्टेट म्यूजियम सुनसान जगह पर हैं और इसलिए सैलानियों की यहां तक आसान पहुंच नहीं हैं। इसलिए मौजूदा स्टेट म्यूजियम को नई जगह के लिए स्थानांतरित करना म्यूजियम की पुनरावृत्ति उसके रखरखाव की लागत को टालेगी और स्टेट म्यूजियम के लिए बेहतर जगह मिलेगी।

निर्माण चरण के दौरान नकारात्मक प्रभाव जैसे धूल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण जैसे उठ सकते हैं। इन प्रभावों का शमन करने के लिए कुशल प्रोजेक्ट योजना, कार्यान्वयन और नियमित निरीक्षण की जरूरत होगी। इसका सकारात्मक प्रभाव भी होगा जैसे निर्माण चरण के दौरान रोजगार सृजन हागा।

परियोजना के संचालन के दौरान कुछ नकारात्मक प्रभाव/समाघात होंगे जैसे की कचरे, सीवेज, ठोस अवशिष्ट आदि का सृजन | हालाँकि परियोजना के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होंगे जैसे की पर्यटकों को आकर्षण और उससे स्थानीय आर्थिकी को बढ़ावा, निर्माण एवं सञ्चालन चरण के दौरान रोजगार का सृजन, आस पास की संपत्ति की मूल्य में वृद्धि, ज्ञान मंच का सृजन और सांस्कृतिक सरक्षण |

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

सुझाव

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सुझाव निम्न हैं :

1. द्वितीय हितधारकों जिसमें होटल, टूर एंड ट्रेवल एजेंसियां, सम्बंधित क्षेत्र की व्यापारिक संस्थाएं, नागरिक संगठन/राजनैतिक/धार्मिक/स्वेच्छिक संस्थाएँ/यूनियन/महिला समूह आदि के सर्वेक्षण के विश्लेषण से और पर्यटकों, स्थानीय निवासियों और प्राथमिक हितधारकों द्वारा उपलब्ध किये गए इनपुट के आधार पर सरकार, बजाय परियोजना के लिए पहले प्रस्तावित 3874.39 वर्ग मीटर के, बेंटनी एस्टेट की सारी संपत्ति जो करीब 18,193 वर्ग मीटर हैं को अधिग्रहित करने का फैसला ले सकती है। क्योंकि एक बार मुख्य भाग के अर्जन हो जाने के बाद शेष भूमि का मालिकों को बहुत कम लाभ होगा । इसके पहल्वस्वरूप अतिरिक्त जमीन होने पर म्यूजियम के प्रस्ताव के साथ एक प्राइम पब्लिक पार्क भी शामिल किया जा सकता है ।
2. यदि सरकार सुझाव न. 1 को स्वीकार नहीं करती है और वर्तमान में प्रस्तावित 3874.39 वर्ग मीटर की भूमि की ज़रूरत के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेती है तो परियोजना बनाने, कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान शेष भूमि के लिए उपयुक्त पहुँच प्रदान करने पे ध्यान दिया जा सकता है ।
3. संग्रहालय व उसके परिसर को डिज़ाइन करते समय पर बंटनी कैसल की स्थापत्य विरासत व सांस्कृतिक प्रचुरता को खास ध्यान दिया जा सकता है और प्रस्तावित परियोजना का मिलान साथ लगते गैंड होटल की वास्तुकला से मिलता हो ।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

9. सामाजिक प्रभाव/ समाघात प्रबंध योजना

9.1 सामाजिक प्रभाव / समाघात शमन के लिए दृष्टिकोण

यह सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना HP RFCTLARR नियम, 2015 के तहत बेंटनी कैसली काली बाड़ी शिमला के अर्जन के नकारात्मक प्रभावों का शमन करने की तैयार की गई हैं। सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना में शमन, निगरानी और संस्थानिक कदमों का एक सेट होता है जो परियोजना के डिजाइन, निर्माण और संचालन चरण के दौरान विपरीत सामाजिक प्रभावों को समाप्त करने या स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए होता है। SIMP का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि विभिन्न विपरीत प्रभावों का शमन हो गया और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ा दिया गया। SIMP को परियोजना के विभिन्न चरणों जैसे निर्माण पूर्व चरण, निर्माण चरण और संचालन के दौरान लागू करना होगा। परियोजना के अलग-अलग चरणों के दौरान सुझाए विभिन्न प्रबंधन कदमों का विवरण तालिका 32 में दिया गया है।

9.2 समाघात/ प्रभावों को टालने शमन करने व प्रतिपूर्ति के लिए कदम

1. द्वितीय हितधारकों जिसमें होटल, टूर एंड ट्रेवल एजेंसियां, सम्बंधित क्षेत्र की व्यापारिक संस्थाएं, नागरिक संगठन/राजनैतिक/धार्मिक/स्वेच्छिक संस्थाएँ/यूनियन/महिला समूह आदि के सर्वेक्षण के विश्लेषण से और पर्यटकों, स्थानीय निवासियों और प्राथमिक हितधारकों द्वारा उपलब्ध किये गए इनपुट के आधार पर सरकार, बजाय परियोजना के लिए पहले प्रस्तावित 3874.39 वर्ग मीटर के, बेंटनी एस्टेट की सारी संपत्ति जो करीब 18,193 वर्ग मीटर हैं को अधिग्रहित करने का फैसला ले सकती है। क्योंकि एक बार मुख्य भाग के अर्जन हो जाने के बाद शेष भूमि का मालिकों को बहुत कम लाभ होगा ।
2. यदि सरकार पूरी एस्टेट को अधिग्रहित करने का निर्णय लेती है तो परिणाम स्वरूप अतिरिक्त भूमि होने पर म्यूजियम के प्रस्ताव के साथ एक पब्लिक पार्क भी शामिल किया जा सकता है, इससे दो जन उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। इस से म्यूजियम के लिए अधिक पर्यटक

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

आकर्षित किए जा सकेंगे। इसके अलावा शिमला के स्थानीय लोगों व सैलानियों की ओर से यहां पर बार-बार भ्रमण किया जा सकेगा। क्योंकि शिमला में पब्लिक स्पेस जैसे पार्कों आदि की भारी कमी है। सर्वे में पाया गया कि जनता म्यूजियम के साथ पार्क की भी इच्छुक है।

3. भू अर्जन और निर्मित भवन की हानि के प्रभाव के शमन हेतु RTFCTLARR Act 2013 के तहत भूअर्जन के लिए मुआवजे के प्रावधान पर्याप्त होंगे ।
4. यदि सरकार मूल प्रस्तावित अर्जन जोकि 3874.39 वर्ग मीटर है का निर्णय लेती है तो परियोजना प्लानिंग एवं कार्यान्वयन के दौरान यह ध्यान रखा जाए की बची हुई सम्पत्ति के लिए उपयुक्त रास्ता छोड़ा जाए ।
5. यह सुझाव है कि वर्तमान राज्य म्यूजियम को इस नई लोकेशन पर लाया जा सकता है। जिससे उसे बहुत अधिक लाभ होगा । इसके अतिरिक्त सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा व दोहरी ढांचागत सुविधाएं खड़ी करने से बचा जा सकेगा चौड़ा मैदान में खाली रह जाने वाले म्यूजियम को, जिसे सक्षम अथारिटी उचित समझे, किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
6. निर्माण चरण के दौरान प्रदुषण स्तर को न्यूनतम रखने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए ।
7. सञ्चालन चरण के दौरान होने वाले कचरा, सीवेज, ठोस अवशिष्ट आदि के उत्पन होने के समघर्तों का पर्याप्त शमन किया जाना चाहिये ।

पुनर्व्यवस्थापन व पुनर्वास शमन कदम

चूंकि 4 सालों से अधिक समय से बैंटनी एस्टेट परिसर में कोई नहीं रह रहा हैं और न ही कोई परोक्ष व अपरोक्ष रूप इस संपत्ति पर आजीविका के निर्भर पाया गया हैं इसलिए पुनर्व्यवस्थापन व पुनर्वास कदमों को उठाने की कोई जरूरत नहीं हैं ।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

पर्यावरण व सांस्कृतिक कदम

- अर्जन के प्रस्तावित भूमि पर कोई पेड़ नहीं हैं। फिर भी यह सुझाव दिया जाता है कि म्यूजियम परिसर के लिए प्रस्तावित लैंडस्केप डिजाइन शिमला के प्राकृतिक हरे पर्यावरण और आसपास के पर्यावरण के साथ मेल खाने वाला होना चाहिए।
- बेंटनी कैसल व बेंटनी काटेज दोनों हालांकि जर्जर स्थिति में हैं लेकिन फिर भी ब्रिटिश राज से इनका वास्तुकला को लेकर महत्व है, जो शिमला के इतिहास की एक झलक हैं। इसलिए सुझाव है कि म्यूजियम व इसके परिसर को वर्तमान बेंटनी कैसल / ब्रिटिश वास्तुकला के समान वास्तु पैटर्न पर डिजाइन किया जाए।

9.3 परियोजना प्रस्ताव में रिक्वायरिंग बॉडी की ओर से बताए गए कदम

परियोजना प्रस्ताव में अर्जन करने वाली संस्था/ विभाग की ओर से कोई शमन या प्रबंधन या कोई और कदम नहीं बताया गया है।

9.4 सांस्थनिक ढांचा व मुख्य व्यक्ति

चूंकि अर्जन से मुख्य शमन कदम RTFCTLARR, 2013 के तहत उचित मुआवजा देकर हैंडल किया जा सकता है इसलिए मुआवजे का फैसला लेने व देने के लिए मुख्य व्यक्ति कलेक्टर जिम्मेदार होगा। अधिनियम कलेक्टर को राजस्व जिला के कलेक्टर के रूप में परिभाषित करता है और जिला उपायुक्त या कोई अन्य अधिकारी जिसे खास तौर पर सरकार की ओर बतौर कलेक्टर का काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

राजस्व व भू दस्तावेज विभाग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भू स्वामित्व, भू पैमाइश तय करने में सबसे ज्यादा सक्षम है और बाजार कीमत तय करने में कलेक्टर की मदद करता है। चूंकि कोई R&R शामिल नहीं इसलिए इस तरह की अथारिटी की जरूरत नहीं है।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

अनुबंध

अनुबंध I: प्ररूप II & III (HP RTFCTLARR Rules, 2015)

प्ररूप -2

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

{ नियम 3 का उप-नियम (3), नियम 7 का उप-नियम (5) और(6) और नियम 14 देखें }

क- सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पैरामीटरों की सूची

1. परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकी विवरण

(क) आयु, लिंग, जाति, धर्म ।

(ख) साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण स्तर ।

2. गरीबी के स्तर

3 दुर्बल समूह

(क) स्त्रियां, (ख) बालक, (ग) वृद्ध, (घ) स्त्री-प्रधान गृहस्थियां, (ङ) निःशक्त व्यक्ति

4 सग्रोत्र संबंधी नमूने और कुटुंब में स्त्रियों की भूमिका ।

5 सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन ।

6 प्रशासनिक संगठन ।

7 राजनीतिक संगठन ।

8 सिविल सोसाइटी संगठन और सामाजिक आन्दोलन ।

9 भूमि का उपयोग और जीविका ।

(क) कृषि और गैर- कृषि उपयोग ।

(ख) भूमि की गुणवत्ता-मृदा, जल, वृक्ष, आदि ।

(ग) पशुधन ।

(घ) औपचारिक और अनौपचारिक संकर्म और रोजगार ।

(ङ) श्रम का गृहस्थवार विभाजन और महिलाओं का कार्य ।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

- (च) प्रवास।
- (छ) गृहस्थवार आय के स्तर।
- (ज) जीविका की अधिमानताएं।
- (झ) खादय सुरक्षा।

10 स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप।

- (क) औपचारिक और अनौपचारिक स्थानीय उद्योग।
- (ख) ऋण तक पहुंच।
- (ग) मजदूरी की दर।
- (घ) विनिर्दिष्ट जीविका के क्रियाकलाप, जिनमें स्त्रियां सम्मिलित हैं।

11 कारक, जो स्थानीय जीविकामें योगदान करते हैं

- (क) प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच।
- (ख) सामान्य संपत्ति संसाधन।
- (ग) प्राइवेट परिसम्पत्तियाँ।
- (घ) सड़कें, परिवहन।
- (ङ) सिंचाई की सुविधाएं।
- (च) बाजार तक पहुंच।
- (छ) पर्यटन स्थल।
- (ज) जीविका संप्रवर्तन कार्यक्रम।
- (झ) सहकारी और अन्य जीविका संबंधी संगम।

12 जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

- (क) प्रत्यक्ष ज्ञान, सौंदर्यपरकता, मोह और अभिलाषा।
- (ख) बंदोबस्त पैटर्न।
- (ग) गृह।
- (घ) सामुदायिक और नागरिक स्थान।
- (ङ) धार्मिक और सांस्कृतिक प्रकार के स्थल।
- (च) भौतिक अवसंरचना (जिसके अतंगत जलापूर्ति, मलवहन प्रणाली आदि हैं)।
- (छ) लोक सेवा अवसंरचना (विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, लोक वितरण व्यवस्था)।

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

(ज) सुरक्षा, अपराध, हिंसा।

(झ) स्त्रियों के लिए सामाजिक मेल-मिलाप के स्थान।

ख – महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र।

1 भूमि, जीविका और आय पर समाघात

(क) नियोजन का स्तर और प्रकार।

(ख) अंतरीय-गृहस्तवार नियोजन पैटर्न।

(ग) आय के स्तर।

(घ) खाद्य सुरक्षा।

(ङ) जीवन निर्वाह का स्तर।

(च) उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और उन पर नियंत्रण।

(छ) आर्थिक निर्भरता या सहजभेद्यता।

(ज) स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन।

(झ) दरिद्रता का जोखिम।

(त्र) स्त्रियों की जीविका के विकल्पों तक पहुंच।

2 भौतिक संसाधनों पर समाघात

(क) प्राकृतिक संसाधनों, मृदा, वायु, जल, वनों पर समाघात।

(ख) जीविका के लिए भूमि और सामान्य संपत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव।

3 प्राइवेट परिसम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात

(क) विद्यमान स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की क्षमता।

(ख) गृह व्यवस्था सुविधाओं की क्षमता।

(ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव।

(घ) बिजली और जलापूर्ति की पर्याप्तता, सड़कें, सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था।

(ङ) प्राइवेट परिसम्पत्तियों जैसे बोरवेल, अस्थायी छप्पर आदि पर समाघात।

4 स्वास्थ्य समाघात

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

(क) आतंरिक प्रवास के कारण स्वास्थ्य समाघात ।

(ख) निम्न पर विशेष बल देते हुए परियोजना क्रियाकलापों के कारण स्वास्थ्य समाघात:—

i स्त्रियों के स्वास्थ्य पर समाघात ।

ii वृद्धों पर समाघात ।

5 संस्कृति और सामाजिक संसंजन पर समाघात

(क) स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं का रूपांतरण ।

(ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन ।

(ग) आर्थिक—पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव ।

(घ) सन्नियमों, विश्वासों मूल्यों और सांस्कृतिक जीवन पर समाघात ।

(ङ) अपराध और अवैध क्रियाकलाप ।

(च) विसंधान का तनाव ।

(छ) परिवार संसंजन के पृथक्करण का समाघात ।

(ज) स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा ।

6 परियोजना चक्र के विभिन्न प्रक्रमों पर समाघात

सामाजिक समाघात के प्रकार, समयानुपात, अवधि और तीव्रता परियोजना चक्र के प्रक्रमों पर निर्भर करेगी और इससे निकटता से जुड़ी रहेगी। नीचे समाघात की एक संकेतक सूची है —

(क) पूर्व सन्निर्माण चरण

i सेवाओं को प्रदान करने में व्यवधान ।

ii लाभकारी निवेश में गिरावट ।

iii भूमि का सट्टा ।

iv अनिश्चितता का तनाव ।

(ख) सन्निर्माण चरण

i पविस्थापन और पुनःअवस्थापन ।

ii प्रवासी सन्निर्माण कार्यशक्ति का आगमन ।

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

iii) उनके स्वास्थ्य पर समाघात, जो लगातार सन्निर्माण स्थल के नजदीक रहते हैं।

(ग) प्रवर्तन चरण

- i. सन्निर्माण चरण की तुलना में नियोजन के अवसरों में कमी।
- ii. परियोजना के आर्थिक फायदे।
- iii. नई अवसंरचना पर फायदे।
- iv. सामाजिक संगठन का नया पैटर्न।

(घ) कार्य से हटाने वाला चरण

- i) आर्थिक अवसरों की कमी।
- ii) पर्यावरण निम्नीकरण और जीविका पर इसका समाघात।

(ङ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समाघात

i) “प्रत्यक्ष समाघात” में वे सभी समाघात सम्मिलित होंगे, जिनका प्रभावित कुटुम्बों (जैसे प्रत्यक्ष भूमि और जीविका खोने वाले) द्वारा अनुभव किया जाना संभावित है।

ii) “अप्रत्यक्ष समाघात” में वे सभी समाघात सम्मिलित होंगे, जिनका भूमि अर्जन द्वारा प्रत्यक्ष रूप में अप्रभावित, परन्तु परियोजना क्षेत्र में रह रहे परिवारों द्वारा अनुभव किया जाना संभावित है।

(च) अतंरीय समाघात

- i) स्त्रियों, बालकों, वृद्धों और निःशक्त लोगों पर समाघात।
- ii) साधनों जैसे लिंग समाघात निर्धारण मिलान सूची और सहजभेद्यता तथा समुत्थान-शक्ति मानचित्रण द्वारा अभिज्ञात समाघात।

(छ) संचित समाघात

i) पनगत परियोजना के लिए अभिज्ञात समाघात के साथ क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के नवारणीय और संभाव्य समाघात।

ii) उन व्यक्तियों पर समाघात, जो प्रत्यक्ष रूप से परियोजना क्षेत्र में नहीं है, परन्तु स्थानीय रूप से या यहां तक कि क्षेत्रीय रूप से जुड़े हैं।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

ग – सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की विषय-वस्तुओं की सारणी

अध्याय	विषय-वस्तु
कार्यकारी सार	<p>क) परियोजना और लोक प्रयोजन।</p> <p>ख) स्थान।</p> <p>ग) भूमि अर्जन का आकार और विशेषता।</p> <p>घ) अनुकल्पों पर विचार।</p> <p>ङ) सामाजिक समाघात।</p> <p>च) कमी करने के उपाय।</p> <p>छ) सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण।</p>
विस्तृत परियोजना ब्यौरा	<p>क) परियोजना की पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना भी है।</p> <p>ख) परियोजना का मूल आधार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में परियोजना किस तरह लोक प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, सूचीबद्ध मानदंडों सहित। ग) परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पाद, उत्पादन लक्ष्य, लागत, जोखिम का ब्यौरा।</p> <p>घ) अनुकल्पों की परीक्षा।</p> <p>ङ) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएं।</p> <p>च) मूल डिजाइन की विशिष्टियां और आकार तथा सुविधाओं का प्रकार।</p> <p>छ) सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता।</p> <p>ज) कार्यबल अपेक्षाएं (अस्थाई और स्थाई)।</p> <p>झ) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा, यदि पहले से किया गया है और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट।</p> <p>ञ) लागू किए गए विधान और नीतियां।</p>

**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

<p>दल की संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची</p>	<p>क) दल के सभी सदस्यों की अर्हता सहितसूची, दल में लिंग विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया है।</p> <p>ख) सामाजिक समाघात निर्धारण की सूचना संग्रहण हेतु प्रयोग होने वाली प्रणाली का विवरण और मूल आधार और साधन।</p> <p>ग) नमूना प्रणाली का उपयोग।</p> <p>घ) सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यावलोकन। विस्तृत निर्देशों को पृथक रूप से प्ररूपों में सम्मिलित किया जाएगा।</p> <p>ड) प्रमुख पणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाइयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची। लोक सुनवाइयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुननिर्वेश को रिपोर्ट में लिख कर प्ररूपों में सम्मिलित किया जाए।</p>
<p>भूमि निर्धारण</p>	<p>क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोत-नक्शों की सहायता से वर्णन करें।</p> <p>ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण समाघात क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित नहीं है)</p> <p>ग) परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि।</p> <p>घ) वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस पास है का उपयोग।</p> <p>ड) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संक्रामित, पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लॉट का आशयित उपयोग।</p> <p>च) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि कितनी होगी और स्थान।</p> <p>छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि कृषि भूमि हो तो सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम।</p> <p>ज) धारित भूमि का आकार, स्वामित्व क्रम, भूमि वितरण और आवासीय सदनो की संख्या।</p> <p>झ) भूमि की प्रक्रिया और स्वामित्व में नए परिवर्तन, पिछले तीन वर्षों में भूमि का अंतरण और उपयोग।</p>

**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

<p>प्रभावित परिवारों और परिसंपत्तियों (जहां अपेक्षित हो) का प्राक्कलन और प्रगणन</p>	<p>निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन इस प्रकार से है-</p> <p>क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित(स्वयं की भूमि, जो अर्जन के लिए प्रस्तावित है)</p> <p>i) किराएदार हैं या अर्जित की जाने वाली भूमि के अधिभोगी हैं।</p> <p>ii) अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी, जिनके किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है।</p> <p>iii) सामान्य सम्पत्ति संसाधनों पर आश्रित हैं जिससे भूमि के अर्जन के कारण उनकी जीविका प्रभावित होगी।</p> <p>iv) राज्य सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के अधीन भूमि प्रदान की गई है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है।</p> <p>v) भूमि अर्जन से पूर्व, शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से रह रहे हैं।</p> <p>vi) अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षों से जीविका का प्राथमिक स्रोत है, पर आश्रित हैं ।</p> <p>ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाघात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हैं)</p> <p>ग) उत्पादक परिसम्पत्तियां और महत्वपूर्ण भूमि की तालिका।</p>
<p>सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक रूपरेखा (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)</p>	<p>(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकी ब्यौरा।</p> <p>ख) आय एवं गरीबी के स्तर।</p> <p>ग) दुर्बल समूह।</p> <p>घ) भूमि उपयोग और जीविका।</p> <p>ङ) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप।</p> <p>च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान है।</p> <p>छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन।</p> <p>ज) प्रशासनिक संगठन।</p> <p>झ) राजनीतिक संगठन।</p> <p>ञ)समुदाय-आधारित और सिविल सोसाइटी संगठन।</p> <p>ट) क्षेत्रीय सक्रियता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं।</p> <p>ठ) जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता।</p>

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

सामाजिक समाघात	<p>क) पहचान में आए समाघातों के लिए कार्यढांचा और दृष्टिकोण।</p> <p>ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का विवरण , जैसे स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति पर समाघात। प्रत्येक प्रकार के समाघात, पृथक पहचान के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघात है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गों पर भेद दर्शक समाघात और जहां लागू हो आकलित समाघात।</p> <p>ग) समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची में सम्मिलित हैं: भूमि, जीविका और आय, भौतिक संसाधन, प्राइवेट परिसम्पत्तियां, लोक सेवाएं और उपयोगिताएं, स्वास्थ्य पर समाघात, संस्कृति और सामाजिक ससंजन तथा लिंग आधारित समाघात।</p>
लागतों और फायदों का विश्लेषण और अर्जन पर सिफारिश	<p>(क) लोक प्रयोजन का निर्धारण, निम्न-विस्थापित अनुकल्प, भूमि की न्यूनतम अपेक्षाएं, सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता, कमी करने के उपायों की व्यवहार्यता और वहां तक, जहां कमी करने के उपायों का सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में वर्णन है, सामाजिक समाघातों के पूर्ण प्रकार और प्रतिकूल सामाजिक लागतों की व्याख्या का समाधान करेगा, के बारे में अंतिम निष्कर्ष ।</p> <p>ख) उपरोक्त विश्लेषण का अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए, कि क्या अर्जन किया जाना चाहिए अथवा नहीं, नियम 9,10^{द्व} में वर्णित साम्य के सिद्धान्त का विश्लेषण के मानदण्ड के रूप में उपयोग होगा।</p>
निर्देश और प्ररूप	निर्देशों और आगे सूचना के लिए।

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

प्ररूप-3

खनियम 3 का उप-नियम (4) देखें,

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

1. कमी करने पर दृष्टिकोण।
2. समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूरित करने के उपाय।

प्ररूप-3

नियम 3 का उप-नियम (4) देखें,

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

- 1 कमी करने पर दृष्टि कोण
2. समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूरित करने के उपाय।
3. उपाय जो अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्वासन तथा पुनर्द्रव्यस्थापन एवं प्रतिकर के निबंधन में सम्मिलित हैं।
- 4 उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन किया है कि उसका परियोजना के प्रस्ताव में पुरःस्थापन होगा।
- 5 अतिरिक्त उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन किया है कि वह सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और लोक सुनवाई के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने के लिए वचनबद्ध होगा।
- 6 सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में संस्थागत संरचना का वर्णन और प्रत्येक न्यूनीकरण उपाय के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति और समय-सीमा तथा प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए लागत सम्मिलित होने चाहिए।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

अनुबंध II: शिमला अर्बन क सर्किल रेट्स की सूची (2013-17)

CIRCLE RATES OF LAND IN RESPECT OF URBAN AREAS OF TEHSIL SHIMLA URBAN DISTRICT SHIMLA FOR THE PERIOD FROM 1.4.2013 TO 31.3.2014 . (RATE PER SQUARE METER IN RUPEES)												
S.No.	Name of Patwar circle	Name of Revenue estate	CATEGORY -I			CATEGORY -II (25% LESS THAN CATEGORY -1)			CATEGORY -III (50% LESS THAN CATEGORY -1)			Remarks
			Property/land, in which any point of the concerned khasra number or part thereof abuts any road in a revenue estate.			Property /land, in which any point of the concerned khasra number or part thereof is land up to a distance of 25 meters from a road.			Property /land in which no point of the concerned khasra number or part thereof is within 25 meters from such road.			
			1st Class Road	2nd Class Road	3rd Class Road	1st Class Road	2nd Class Road	3rd Class Road	1st Class Road	2nd Class Road	3rd Class Road	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Station Ward Bara Shimla	Up Mohal Ridge	7700	7623	7546	5775	5717	5660	3850	3812	3773	List of class roads is attached herewith.
2		Up Mohal Shankli	7700	7623	7546	5775	5717	5660	3850	3812	3773	
3		Bazar Ward Lakker Bazar	7700	7623	7546	5775	5717	5660	3850	3812	3773	
4		Up Mohal Keleston	7700	7623	7546	5775	5717	5660	3850	3812	3773	
5		Up Mohal Station Ward Bara Shimla	7700	7623	7546	5775	5717	5660	3850	3812	3773	
6		Up Mohal Kali Bari	7700	7623	7546	5775	5717	5660	3850	3812	3773	

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7		Up Mohal Upper Kaithu	7700	7623	7546	5775	5717	5660	3850	3812	3773	
8		Up Mohal Lakker Bazar	7700	7623	7546	5775	5717	5660	3850	3812	3773	
9		Up Mohal Tara Hall	7700	7623	7546	5775	5717	5660	3850	3812	3773	
10	Boileauganj	Gahan	6600	6534	6468	4950	4901	4851	3300	3267	3234	
11		Chawag	6600	6534	6468	4950	4901	4851	3300	3267	3234	
12		Bazar Ward Boileauganj	6600	6534	6468	4950	4901	4851	3300	3267	3234	
13		Karalru	6600	6534	6468	4950	4901	4851	3300	3267	3234	
14		Up Mohal Deodi	6600	6534	6468	4950	4901	4851	3300	3267	3234	
15		Andari	6600	6534	6468	4950	4901	4851	3300	3267	3234	
16		Bagog	6600	6534	6468	4950	4901	4851	3300	3267	3234	
17		Up Mohal Raj Bhawan	6600	6534	6468	4950	4901	4851	3300	3267	3234	
18		Station Ward Boileauganj	6600	6534	6468	4950	4901	4851	3300	3267	3234	
19		Up Mohal Chaura Maidan	6600	6534	6468	4950	4901	4851	3300	3267	3234	
20		Up Mohal Summerhill	6600	6534	6468	4950	4901	4851	3300	3267	3234	
21		Bag	6600	6534	6468	4950	4901	4851	3300	3267	3234	
22	Khalini	Kalyana	4400	4356	4312	3300	3267	3234	2200	2178	2156	

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23		Kanlog	4400	4356	4312	3300	3267	3234	2200	2178	2156	
24		Dalni	4400	4356	4312	3300	3267	3234	2200	2178	2156	
25		Khalini	4400	4356	4312	3300	3267	3234	2200	2178	2156	
26		Ram Nagar	4400	4356	4312	3300	3267	3234	2200	2178	2156	
27	Sanjauli	Up Mohal Sanjauli Chowk	7700	7623	7546	5775	5717	5660	3850	3812	3773	
28		Up Mohal Sanjauli Bazar	7700	7623	7546	5775	5717	5660	3850	3812	3773	
29		Up Mohal Chalaunthi	7700	7623	7546	5775	5717	5660	3850	3812	3773	
30	Chotta Shimla	Up Mohal Jakhu	5500	5445	5390	4125	4084	4043	2750	2723	2695	
31		Up Mohal U.S. Club	5500	5445	5390	4125	4084	4043	2750	2723	2695	
32		Chotta Shimla Khas	5500	5445	5390	4125	4084	4043	2750	2723	2695	
33		Kasumpti Junga	5500	5445	5390	4125	4084	4043	2750	2723	2695	
34		Chotta Shimla Dehat	5500	5445	5390	4125	4084	4043	2750	2723	2695	
35		Kasumpti Koti	5500	5445	5390	4125	4084	4043	2750	2723	2695	
36		Bazar Ward Chotta Shimla	5500	5445	5390	4125	4084	4043	2750	2723	2695	
37		Up Mohal Benmore	5500	5445	5390	4125	4084	4043	2750	2723	2695	



बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38		Up Mohal Nav Vahar	5500	5445	5390	4125	4084	4043	2750	2723	2695	
39		Up Mohal Bemloi	5500	5445	5390	4125	4084	4043	2750	2723	2695	
40	Tuti Kandi	Nabha House	5500	5445	5390	4125	4084	4043	2750	2723	2695	
41		Phagli	5500	5445	5390	4125	4084	4043	2750	2723	2695	
42		Panjari	5500	5445	5390	4125	4084	4043	2750	2723	2695	
43		Dhar	5500	5445	5390	4125	4084	4043	2750	2723	2695	
44	Kaithu	Bharari	4400	4356	4312	3300	3267	3234	2200	2178	2156	
45		Up Mohal Kaithu first	4400	4356	4312	3300	3267	3234	2200	2178	2156	
46		Bazar Ward Kaithu	4400	4356	4312	3300	3267	3234	2200	2178	2156	
47		Up Mohal Kaithu Second	4400	4356	4312	3300	3267	3234	2200	2178	2156	
48		Gawahi	4400	4356	4312	3300	3267	3234	2200	2178	2156	
49	Bazar Ward Bara Shimla	Bazar Ward Bara Shimla	9900	9801	9702	7425	7351	7277	4950	4901	4851	
50		Up Mohal Krishna Nagar	9900	9801	9702	7425	7351	7277	4950	4901	4851	



(Signature)
Deputy Commissioner, Shimla
Shimla District,
Shimla, H.P.

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

CIRCLE RATES OF LAND IN RESPECT OF URBAN AREAS OF TEHSIL SHIMLA URBAN DISTRICT SHIMLA FOR THE PERIOD FROM 1.4.2014 TO 31.3.2015. (RATE PER SQUARE METER IN RUPEES)												
S.No.	Name of Patwar circle	Name of Revenue estate	CATEGORY -1			CATEGORY -11 (25% LESS THAN CATEGORY -1)			CATEGORY -111 (50% LESS THAN CATEGORY -1)			Remarks
			Property/land, in which any point of the concerned khasra number or part thereof abuts any road in a revenue estate.			Property /land, in which any point of the concerned khasra number or part thereof is land up to a distance of 25 meters from a road.			Property /land in which no point of the concerned khasra number or part thereof is within 25 meters from such road.			
			1st Class Road	2nd Class Road	3rd Class Road	1st Class Road	2nd Class Road	3rd Class Road	1st Class Road	2nd Class Road	3rd Class Road	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Station Ward Bara Shimla	Up Mohal Ridge	8239	8157	8074	6179	6118	6056	4120	4079	4037	List of class of roads is attached herewith.
2		Up Mohal Shankli	8239	8157	8074	6179	6118	6056	4120	4079	4037	
3		Bazar Ward Lakker Bazar	8239	8157	8074	6179	6118	6056	4120	4079	4037	
4		Up Mohal Keleston	8239	8157	8074	6179	6118	6056	4120	4079	4037	
5		Up Mohal Station Ward Bara Shimla	8239	8157	8074	6179	6118	6056	4120	4079	4037	
6		Up Mohal Kali Bari	8239	8157	8074	6179	6118	6056	4120	4079	4037	

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7		Up Mohal Upper Kaithu	8239	8157	8074	6179	6118	6056	4120	4079	4037	
8		Up Mohal Lakker Bazar	8239	8157	8074	6179	6118	6056	4120	4079	4037	
9		Up Mohal Tara Hall	8239	8157	8074	6179	6118	6056	4120	4079	4037	
10	Boileauganj	Gahan	7062	6991	6921	5297	5243	5191	3531	3496	3461	
11		Chawag	7062	6991	6921	5297	5243	5191	3531	3496	3461	
12		Bazar Ward Boileauganj	7062	6991	6921	5297	5243	5191	3531	3496	3461	
13		Karairu	7062	6991	6921	5297	5243	5191	3531	3496	3461	
14		Up Mohal Deodi	7062	6991	6921	5297	5243	5191	3531	3496	3461	
15		Andari	7062	6991	6921	5297	5243	5191	3531	3496	3461	
16		Bagog	7062	6991	6921	5297	5243	5191	3531	3496	3461	
17		Up Mohal Raj Bhawan	7062	6991	6921	5297	5243	5191	3531	3496	3461	
18		Station Ward Boileauganj	7062	6991	6921	5297	5243	5191	3531	3496	3461	
19		Up Mohal Chaura Maidan	7062	6991	6921	5297	5243	5191	3531	3496	3461	
20		Up Mohal Summerhill	7062	6991	6921	5297	5243	5191	3531	3496	3461	
21		Bag	7062	6991	6921	5297	5243	5191	3531	3496	3461	

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Khalini	Kalyana	4708	4661	4614	3531	3496	3461	2354	2331	2307	
23		Kanlog	4708	4661	4614	3531	3496	3461	2354	2331	2307	
24		Daini	4708	4661	4614	3531	3496	3461	2354	2331	2307	
25		Khalini	4708	4661	4614	3531	3496	3461	2354	2331	2307	
26		Ram Nagar	4708	4661	4614	3531	3496	3461	2354	2331	2307	
27	Sanjauli	Up Mohal Sanjauli Chowk	8239	8157	8074	6179	6118	6056	4120	4079	4037	
28		Up Mohal Sanjauli Bazar	8239	8157	8074	6179	6118	6056	4120	4079	4037	
29		Up Mohal Chalaunthi	8239	8157	8074	6179	6118	6056	4120	4079	4037	
30	Chotta Shimla	Up Mohal Jakhu	5885	5826	5767	4414	4370	4325	2943	2913	2884	
31		Up Mohal U.S. Club	5885	5826	5767	4414	4370	4325	2943	2913	2884	
32		Chotta Shimla Khas	5885	5826	5767	4414	4370	4325	2943	2913	2884	
33		Kasumpti Junga	5885	5826	5767	4414	4370	4325	2943	2913	2884	
34		Chotta Shimla Dehat	5885	5826	5767	4414	4370	4325	2943	2913	2884	
35		Kasumpti Koti	5885	5826	5767	4414	4370	4325	2943	2913	2884	
36		Bazar Ward Chotta Shimla	5885	5826	5767	4414	4370	4325	2943	2913	2884	
37		Up Mohal Benmore	5885	5826	5767	4414	4370	4325	2943	2913	2884	

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38		Up Mohal Nav Vahar	5885	5826	5767	4414	4370	4325	2943	2913	2884	
39		Up Mohal Bemloi	5885	5826	5767	4414	4370	4325	2943	2913	2884	
40	Tuti Kandi	Nabha House	5885	5826	5767	4414	4370	4325	2943	2913	2884	
41		Phagli	5885	5826	5767	4414	4370	4325	2943	2913	2884	
42		Panjari	5885	5826	5767	4414	4370	4325	2943	2913	2884	
43		Dhar	5885	5826	5767	4414	4370	4325	2943	2913	2884	
44	Kaithu	Bharari	4708	4661	4614	3531	3496	3461	2354	2331	2307	
45		Up Mohal Kaithu first	4708	4661	4614	3531	3496	3461	2354	2331	2307	
46		Bazar Ward Kaithu	4708	4661	4614	3531	3496	3461	2354	2331	2307	
47		Up Mohal Kaithu Second	4708	4661	4614	3531	3496	3461	2354	2331	2307	
48		Gawahi	4708	4661	4614	3531	3496	3461	2354	2331	2307	
49	Bazar Ward Bara Shimla	Bazar Ward Bara Shimla	10593	10487	10381	7945	7865	7786	5297	5244	5191	
50		Up Mohal Krishna Nagar	10593	10487	10381	7945	7865	7786	5297	5244	5191	

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

CIRCLE RATES OF LAND IN RESPECT OF URBAN AREAS OF TEHSIL SHIMLA URBAN DISTRICT SHIMLA FOR THE PERIOD FROM 1.4.2015 TO 31.3.2016 .(RATE PER SQUARE METER IN-RUPEES)												
S.No.	Name of Patwar circle	Name of Revenue estate	CATEGORY -1			CATEGORY -11 (25% LESS THAN CATEGORY -1)			CATEGORY -111 (50% LESS THAN CATEGORY -1)			Remarks
			Property/land, in which any point of the concerned khasra number or part thereof abuts any road in a revenue estate.			Property /land, in which any point of the concerned khasra number or part thereof is land-up to a distance of 25 meters from a road.			Property /land in which no point of the concerned khasra number or part thereof is within 25 meters from such road:			
			1st Class Road	2nd Class Road	3rd Class Road	1st Class Road	2nd Class Road	3rd Class Road	1st Class Road	2nd Class Road	3rd Class Road	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Station Ward Bara Shimla	Up Mohal Ridge	8651	8564	8478	6488	6423	6359	4326	4282	4239	List of roads is attached herewith.
2		Up Mohal Shankli	8652	8565	8479	6489	6424	6359	4326	4283	4240	
3		Bazar Ward Lakker Bazar	8653	8566	8480	6490	6425	6360	4327	4283	4240	
4		Up Mohal Keleston	8654	8567	8481	6491	6425	6361	4327	4284	4241	
		Up Mohal Station Ward Bara Shimla	8655	8568	8482	6491	6426	6362	4328	4284	4241	
6		Up Mohal Kali Bari	8656	8569	8483	6492	6427	6362	4328	4285	4242	

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7		Up Mohal Upper Kalthu	8657	8570	8484	6493	6428	6363	4329	4285	4242	
8		Up Mohal Lakker Bazar	8658	8571	8485	6494	6428	6364	4329	4286	4243	
9		Up Mohal Tara Hall	8659	8572	8486	6494	6429	6365	4330	4286	4243	
10	Boileauganj	Gahan	7415	7341	7267	5561	5506	5450	3708	3671	3634	
11		Chawag	7416	7342	7268	5562	5507	5451	3708	3671	3634	
12		Bazar Ward Boileauganj	7417	7343	7269	5563	5507	5452	3709	3672	3635	
13		Karairu	7418	7344	7270	5564	5508	5453	3709	3672	3635	
14		Up Mohal Deodi	7419	7345	7271	5564	5509	5453	3710	3673	3636	
15		Andari	7420	7346	7272	5565	5510	5454	3710	3673	3636	
16		Bagog	7421	7347	7273	5566	5510	5455	3711	3674	3637	
17		Up Mohal Raj Bhawan	7422	7348	7274	5567	5511	5456	3711	3674	3637	
18		Station Ward Boileauganj	7423	7349	7275	5567	5512	5456	3712	3675	3638	
19		Up Mohal Chaura Maidan	7424	7350	7276	5568	5513	5457	3712	3675	3638	
20		Up Mohal Summerhill	7425	7351	7277	5569	5513	5458	3713	3676	3639	
21		Bag	7426	7352	7277	5570	5514	5458	3713	3676	3639	
22		Khalini Kalyana	4943	4894	4844	3707	3671	3633	2472	2447	2422	

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23		Kanlog	4944	4895	4845	3708	3671	3634	2472	2448	2423	
24		Dalni	4945	4896	4846	3709	3672	3635	2473	2448	2423	
25		Khalini	4946	4897	4847	3710	3673	3635	2473	2449	2424	
26		Ram Nagar	4947	4898	4848	3710	3674	3636	2474	2449	2424	
27	Sanjauli	Up Mohal Sanjauli Chowk	8651	8564	8478	6488	6423	6359	4326	4282	4239	
28		Up Mohal Sanjauli Bazar	8652	8565	8479	6489	6424	6359	4326	4283	4240	
29		Up Mohal Chalaunthi	8653	8566	8480	6490	6425	6360	4327	4283	4240	
30	Chotta Shimla	Up Mohal Jakhu	6179	6117	6055	4634	4588	4541	3090	3059	3028	
31		Up Mohal U.S. Club	6180	6118	6056	4635	4589	4542	3090	3059	3028	
32		Chotta Shimla Khas	6181	6119	6057	4636	4589	4543	3091	3060	3029	
33		Kasumpti Junga	6182	6120	6058	4637	4590	4544	3091	3060	3029	
34		Chotta Shimla Dehat	6183	6121	6059	4637	4591	4544	3092	3061	3030	
35		Kasumpti Koti	6184	6122	6060	4638	4592	4545	3092	3061	3030	
36		Bazar Ward Chotta Shimla	6185	6123	6061	4639	4592	4546	3093	3062	3031	
37		Up Mohal Benmore	6186	6124	6062	4640	4593	4547	3093	3062	3031	

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38		Up Mohal Nav Vahar	6187	6125	6063	4640	4594	4547	3094	3063	3032	
39		Up Mohal Bemloi	6188	6126	6064	4641	4595	4548	3094	3063	3032	
40	Tuti Kandi	Nabha House	6189	6127	6065	4642	4595	4549	3095	3064	3033	
41		Phagli	6190	6128	6066	4643	4596	4550	3095	3064	3033	
42		Panjari	6191	6129	6067	4643	4597	4550	3096	3065	3034	
43		Dhar	6192	6130	6068	4644	4598	4551	3096	3065	3034	
44	Kaithu	Bharari	4943	4894	4844	3707	3671	3633	2472	2447	2422	
45		Up Mohal Kaithu first	4944	4895	4845	3708	3671	3634	2472	2448	2423	
46		Bazar Ward Kaithu	4945	4896	4846	3709	3672	3635	2473	2448	2423	
47		Up Mohal Kaithu Second	4946	4897	4847	3710	3673	3635	2473	2449	2424	
48		Gawahi	4947	4898	4848	3710	3674	3636	2474	2449	2424	
49	Bazar Ward Bara Shimla	Bazar Ward Bara Shimla	11123	11012	10901	8342	8259	8176	5562	5506	5451	
50		Up Mohal Krishna Nagar	11123	11012	10901	8342	8259	8176	5562	5506	5451	



Deputy Commissioner, Shimla

**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

CIRCLE RATE OF LAND IN RESPECT OF URBAN AREAS OF TEHSIL SHIMLA (U), DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH FOR THE PERIOD OF 01.04.2016 TO 31.03.2017																
(UNIT: PER SQUARE METER PER RUPEES)																
Sr.No	Name of Patwar Circle	Name of Revenue Estate	Category of Roads	Criteria Factor	Category of land										Remarks	
					Category (i)		Category (ii)		Category (iii)		Category (iv)		Category (v)			
					Distance upto 25 meters		Distance more than 25 to 50 meters		Distance more than 50 to 100 meters		Distance more than 100 to 1000 meters		Distance more than 1000 meters			
					Only Basic Rate		20% less than Basic Rate of Cat. I		40% less than Basic Rate of Cat. I		50% less than Basic Rate of Cat. I		60% less than Basic Rate of Cat. I			
					Uncultivated Land	Cultivated Land	Uncultivated Land	Cultivated Land (Including Banjar)	Uncultivated Land	Cultivated Land	Uncultivated Land	Cultivated Land (Including Banjar)	Uncultivated Land	Cultivated Land		
Factor-1	Factor-1.2	Factor-1	Factor-1.2	Factor-1	Factor-1.2	Factor-1	Factor-1.2	Factor-1	Factor-1.2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Station Ward Bara Shimia	Up Mohal Ridge	I-Other Road	Basic Rate	5850	7020	4680	5616	3510	4212	2925	3510	2340	2808		
			II-State High Way	25 % More than Basic	7313	8775	5850	7020	4388	5265	3355	4388	2925	3510		
			III-National High Way	50% more than Basic	8775	10530	7020	8424	5265	6318	4388	5265	3510	4212		
2	Up Mohal Shankli	I-Other Road	Basic Rate	5840	7008	4672	5606	3504	4205	2920	3504	2336	2803			
		II-State High Way	25 % More than Basic	7300	8760	5840	7008	4380	5256	3350	4380	2920	3504			
		III-National High Way	50% more than Basic	8760	10512	7008	8410	5256	6307	4380	5256	3504	4205			
3	Water Ward Lohar Dazer	I-Other Road	Basic Rate	5850	7020	4680	5616	3510	4212	2925	3510	2340	2808			
		II State High Way	25 % More than Basic	7313	8775	5850	7020	4388	5265	3355	4388	2925	3510			
		III National High Way	50% more than Basic	8775	10530	7020	8424	5265	6318	4388	5265	3510	4212			
4	Up Mohal Keleton	I-Other Road	Basic Rate	5850	7020	4680	5616	3510	4212	2925	3510	2340	2808			
		II-State High Way	25 % More than Basic	7313	8775	5850	7020	4388	5265	3355	4388	2925	3510			
		III-National High Way	50% more than Basic	8775	10530	7020	8424	5265	6318	4388	5265	3510	4212			



**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

5	Up Mohal Station Ward Iken Shimia	I-Other Road	Basic Rate	5800	7032	4680	5625	3516	4219	2930	3516	2344	2813	
		II-State High Way	25 % More than Basic	7325	8790	5860	7032	4395	5274	3663	4395	2930	3516	
		III-National High Way	50% more than Basic	8790	10548	7032	8438	5274	6329	4395	5274	3516	4219	
6	Up Mohal Kal Bai	I-Other Road	Basic Rate	5800	7032	4688	5626	3516	4219	2930	3516	2344	2813	
		II-State High Way	25 % More than Basic	7325	8790	5860	7032	4395	5274	3663	4395	2930	3516	
		III-National High Way	50% more than Basic	8790	10548	7032	8438	5274	6329	4395	5274	3516	4219	
7	Up Mohal Upper Kalchu	I-Other Road	Basic Rate	5855	7026	4684	5621	3513	4216	2928	3513	2342	2810	
		II-State High Way	25 % More than Basic	7319	8782	5855	7026	4381	5270	3659	4381	2928	3513	
		III-National High Way	50% more than Basic	8783	10539	7026	8431	5270	6323	4381	5270	3513	4216	
8	Up Mohal Lakkar Bazar	I-Other Road	Basic Rate	5850	7020	4680	5615	3510	4212	2925	3510	2340	2800	
		II-State High Way	25 % More than Basic	7313	8775	5850	7020	4388	5265	3656	4388	2925	3510	
		III-National High Way	50% more than Basic	8775	10530	7020	8424	5265	6318	4388	5265	3510	4212	
9	Up Mohal Tara Hell	I-Other Road	Basic Rate	5850	7020	4680	5616	3510	4212	2925	3510	2340	2808	
		II-State High Way	25 % More than Basic	7313	8775	5850	7020	4388	5265	3656	4388	2925	3510	
		III-National High Way	50% more than Basic	8775	10530	7020	8424	5265	6318	4388	5265	3510	4212	
10	Bhalepuraj Galian	I-Other Road	Basic Rate	5700	6240	4150	4992	3120	3744	2600	3120	2080	2496	
		II-State High Way	25 % More than Basic	6900	7800	5200	6240	3900	4680	3250	3900	2600	3120	
		III-National High Way	50% more than Basic	7800	9360	6240	7488	4680	5616	3900	4680	3120	3744	
11	Chowag	I-Other Road	Basic Rate	5205	6246	4164	4997	3123	3748	2603	3123	2082	2496	
		II-State High Way	25 % More than Basic	6506	7808	5205	6246	3904	4685	3253	3904	2603	3123	
		III-National High Way	50% more than Basic	7806	9369	6246	7493	4685	5621	3904	4685	3123	3748	

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

12	Bazar Ward Bolleaugan	I-Other Road	Basic Rate	5205	6246	4164	4997	3133	3740	2609	3123	2082	2498	
		II State High Way	25 % More than Basic	6506	7808	5205	6246	3904	4685	3253	3904	2603	3123	
		III National High Way	50% more than Basic	7808	9109	6246	7485	4685	5621	3904	4685	3123	3748	
13	Kareru	I-Other Road	Basic Rate	5210	6252	4168	5002	3126	3751	2605	3126	2084	2501	
		II State High Way	25 % More than Basic	6513	7815	5210	6252	3908	4689	3256	3910	2605	3125	
		III National High Way	50% more than Basic	7815	9278	6252	7502	4689	5627	3908	4689	3125	3751	
14	Up Mohal Deoli	I-Other Road	Basic Rate	5220	6264	4176	5011	3132	3758	2610	3132	2088	2505	
		II State High Way	25 % More than Basic	6525	7830	5220	6264	3915	4698	3263	3915	2610	3132	
		III National High Way	50% more than Basic	7830	9396	6264	7517	4698	5630	3915	4698	3132	3758	
15	Andari	I-Other Road	Basic Rate	5220	6264	4175	5011	3132	3758	2610	3132	2088	2506	
		II State High Way	25 % More than Basic	6525	7830	5220	6264	3915	4698	3263	3915	2610	3132	
		III National High Way	50% more than Basic	7830	9396	6264	7517	4698	5638	3915	4698	3132	3758	
16	Bagu	I-Other Road	Basic Rate	5220	6264	4176	5011	3132	3758	2610	3132	2088	2506	
		II State High Way	25 % More than Basic	6525	7830	5220	6264	3915	4698	3263	3915	2610	3132	
		III National High Way	50% more than Basic	7830	9396	6264	7517	4698	5638	3915	4698	3132	3758	
17	Up Mohal Raj Bhawan	I-Other Road	Basic Rate	5225	6270	4180	5015	3135	3762	2613	3135	2090	2508	
		II State High Way	25 % More than Basic	6531	7838	5225	6270	3919	4703	3266	3919	2613	3135	
		III National High Way	50% more than Basic	7838	9405	6270	7524	4703	5643	3919	4703	3135	3762	
18	Station Ward Bolleaugan	I-Other Road	Basic Rate	5215	6258	4172	5005	3129	3755	2608	3129	2085	2503	
		II State High Way	25 % More than Basic	6519	7823	5215	6258	3911	4694	3259	3911	2608	3129	
		III National High Way	50% more than Basic	7823	9387	6258	7510	4694	5632	3911	4694	3129	3755	

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

19	Up Mohal Chaura Maldan	I-Other Road	Basic Rate	5220	6264	4175	5011	3152	3758	2610	3132	2088	2908	
		II-State High Way	25 % More than Basic	6525	7830	5220	6264	3915	4688	3263	3915	2610	3132	
		III-National High Way	50% more than Basic	7830	9396	6264	7517	4688	5638	3915	4688	3132	3758	
20	Lo Mohal Summer Hill	I-Other Road	Basic Rate	5210	6252	4168	5002	3126	3751	2605	3126	2084	2501	
		II-State High Way	25 % More than Basic	6513	7815	5210	6252	3908	4689	3256	3908	2625	3126	
		III-National High Way	50% more than Basic	7815	9378	6252	7502	4689	5627	3908	4689	3126	3751	
21	Bag	I-Other Road	Basic Rate	5210	6252	4168	5002	3126	3751	2605	3126	2084	2501	
		II-State High Way	25 % More than Basic	6513	7815	5210	6252	3908	4689	3256	3908	2625	3126	
		III-National High Way	50% more than Basic	7815	9378	6252	7502	4689	5627	3908	4689	3126	3751	
22	Khalini Kalyana	I-Other Road	Basic Rate	5000	6000	4000	4800	3000	3600	2500	3000	2000	2400	
		II-State High Way	25 % More than Basic	6250	7500	5000	6000	3750	4500	3125	3750	2500	3000	
		III-National High Way	50% more than Basic	7500	9000	6000	7200	4500	5400	3750	4500	3000	3600	
23	Kimb	I-Other Road	Basic Rate	5010	6012	4008	4810	3006	3607	2505	3006	2004	2405	
		II-State High Way	25 % More than Basic	6263	7515	5010	6012	3758	4509	3131	3758	2505	3006	
		III-National High Way	50% more than Basic	7515	9018	6012	7214	4509	5411	3758	4509	3006	3607	
24	Dhni	I-Other Road	Basic Rate	5010	6012	4008	4810	3006	3607	2505	3006	2004	2405	
		II-State High Way	25 % More than Basic	6263	7515	5010	6012	3758	4509	3131	3758	2505	3006	
		III-National High Way	50% more than Basic	7515	9018	6012	7214	4509	5411	3758	4509	3006	3607	

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

25	Chalni	I-Other Road	Basic Rate	5020	6024	4016	4819	3017	3614	2510	3012	2008	2410		
		II-State High Way	25 % More than Basic	6275	7530	5010	6024	3765	4518	3138	3765	2510	3012	4012	
		III-National High Way	50% more than Basic	7530	9036	6014	7225	4518	5422	3765	4518	3012	3614		
26	Horn Nagar	I-Other Road	Basic Rate	5210	6252	4168	5002	3126	3751	2605	3126	2084	2501		
		II-State High Way	25 % More than Basic	6513	7815	5210	6252	3908	4689	3256	3908	2605	3126		
		III-National High Way	50% more than Basic	7815	9378	6252	7502	4689	5627	3908	4689	3126	3751		
27	Sanjuli	Up Mohal Sanjuli Chowk	I-Other Road	Basic Rate	5750	6900	4600	5520	3420	4140	2875	3450	2300	2760	
			II-State High Way	25 % More than Basic	7180	8625	5750	6900	4313	5175	3584	4313	2875	3450	
			III-National High Way	50% more than Basic	8625	10350	6900	8280	5175	6210	4313	5175	3450	4140	
28	Da Mohal Sanjuli Bazar	I-Other Road	Basic Rate	5755	6906	4604	5525	3453	4144	2878	3453	2302	2762		
		II-State High Way	25 % More than Basic	7194	8583	5755	6906	4316	5180	3597	4316	2878	3453		
		III-National High Way	50% more than Basic	8633	10356	6906	8287	5180	6215	4316	5180	3453	4144		
29	Up Mohal Chalaant	I-Other Road	Basic Rate	5700	6840	4560	5472	3420	4104	2850	3420	2280	2736		
		II-State High Way	25 % More than Basic	7125	8520	5700	6840	4275	5130	3563	4275	2850	3420		
		III-National High Way	50% more than Basic	8550	10260	6840	8208	5130	6156	4275	5130	3420	4104		
30	Chana Shimla	Up Mohal Jekhu	I-Other Road	Basic Rate	5400	6480	4320	5184	3240	3888	2700	3240	2160	2592	
			II-State High Way	25 % More than Basic	6750	8100	5400	6480	4050	4800	3375	4050	2700	3240	
			III-National High Way	50% more than Basic	8100	9720	6480	7776	4860	5832	4050	4860	3240	3888	

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

31	Up Mohal U.S.Club	I-Other Road	Basic Rate	5405	6406	4324	5189	3243	3892	2703	3243	2162	2594	
		II-State High Way	25 % More than Basic	6756	8108	5405	6406	4054	4865	3378	4054	2703	3243	
		III-National High Way	50% more than Basic	8108	9729	6406	7783	4865	5837	4054	4865	3243	3892	
32	Chotta Shimla khas	I-Other Road	Basic Rate	5410	6492	4328	5194	3246	3895	2705	3246	2164	2597	
		II-State High Way	25 % More than Basic	6763	8115	5410	6492	4058	4869	3381	4058	2705	3246	
		III-National High Way	50% more than Basic	8115	9738	6492	7790	4869	5843	4058	4869	3246	3895	
33	Ksumpati Junga	I-Other Road	Basic Rate	5410	6492	4328	5194	3246	3895	2705	3246	2164	2597	
		II-State High Way	25 % More than Basic	6763	8115	5410	6492	4058	4869	3381	4058	2705	3246	
		III-National High Way	50% more than Basic	8115	9738	6492	7790	4869	5843	4058	4869	3246	3895	
34	Chetta Shimla Dehat	I-Other Road	Basic Rate	5405	6406	4324	5189	3243	3892	2703	3243	2162	2594	
		II-State High Way	25 % More than Basic	6756	8108	5405	6406	4054	4865	3378	4054	2703	3243	
		III-National High Way	50% more than Basic	8108	9729	6406	7783	4865	5837	4054	4865	3243	3892	
35	Kasumptal Koti	I-Other Road	Basic Rate	5410	6492	4328	5194	3246	3895	2705	3246	2164	2597	
		II-State High Way	25 % More than Basic	6763	8115	5410	6492	4058	4869	3381	4058	2705	3246	
		III-National High Way	50% more than Basic	8115	9738	6492	7790	4869	5843	4058	4869	3246	3895	
36	Bazaar Ward Chatta Shimla	I-Other Road	Basic Rate	5400	6480	4320	5184	3240	3888	2700	3240	2160	2592	
		II-State High Way	25 % More than Basic	6750	8100	5400	6480	4050	4860	3375	4050	2700	3240	
		III-National High Way	50% more than Basic	8100	9720	6480	7776	4860	5832	4050	4860	3240	3888	
37	Up Mohal Benmore	I-Other Road	Basic Rate	5420	6504	4336	5205	3252	3902	2710	3252	2168	2602	
		II-State High Way	25 % More than Basic	6775	8130	5420	6504	4065	4878	3388	4065	2710	3252	
		III-National High Way	50% more than Basic	8130	9756	6504	7805	4878	5864	4065	4878	3252	3902	

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

38	Up Moha Nav Bahar	I-Other Road	Basic Rate	5410	6492	4328	5194	3746	3895	2705	3246	2164	2597		
		II-State High Way	25 % More than Basic	5763	8125	5410	6492	4058	4869	3381	4058	2705	3246		
		III-National High Way	50% more than Basic	8115	9798	6492	7790	4869	5843	4258	4869	3246	3895		
39	Up Moha Tembi	I-Other Road	Basic Rate	5410	6492	4328	5194	3246	3895	2705	3246	2164	2597		
		II-State High Way	25 % More than Basic	5763	8125	5410	6492	4058	4869	3381	4058	2705	3246		
		III-National High Way	50% more than Basic	8115	9798	6492	7790	4869	5843	4258	4869	3246	3895		
40	Tuli Kandi	Rukha House	I-Other Road	Basic Rate	5430	6516	4344	5212	3238	3910	2715	3238	2172	2605	
			II-State High Way	25 % More than Basic	5788	8145	5430	6516	4073	4887	3394	4073	2715	3258	
			III-National High Way	50% more than Basic	8145	9774	6516	7818	4887	5864	4073	4887	3258	3910	
41	Phagi		I-Other Road	Basic Rate	5432	6518	4346	5215	3239	3911	2716	3239	2173	2607	
			II-State High Way	25 % More than Basic	5790	8148	5432	6518	4074	4889	3395	4074	2716	3259	
			III-National High Way	50% more than Basic	8148	9778	6518	7822	4889	5867	4074	4889	3259	3911	
42	Panari		I-Other Road	Basic Rate	5425	6522	4348	5218	3261	3913	2718	3261	2174	2609	
			II-State High Way	25 % More than Basic	5794	8153	5425	6522	4076	4892	3397	4076	2718	3261	
			III-National High Way	50% more than Basic	8153	9783	6522	7826	4892	5870	4076	4892	3261	3913	
43	Other		I-Other Road	Basic Rate	5430	6516	4344	5213	3238	3910	2715	3238	2172	2606	
			II-State High Way	25 % More than Basic	5788	8145	5430	6516	4073	4887	3394	4073	2715	3258	
			III-National High Way	50% more than Basic	8145	9774	6516	7819	4887	5864	4073	4887	3258	3910	
44	Kalthu	Bharari	I-Other Road	Basic Rate	4650	5580	3720	4464	2780	3348	2325	2780	1860	2232	
			II-State High Way	25 % More than Basic	5813	6975	4650	5580	3488	4185	2906	3488	2325	2780	
			III-National High Way	50% more than Basic	6975	8370	5580	6696	4185	5022	3488	4185	2780	3348	

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

45	Up Mohal Kathu First	I-Other Road	Basic Rate	4655	5586	3724	4465	2793	3352	2328	2793	1852	2234	
		II-State High Way	25 % More than Basic	5819	6983	4625	5586	3491	4190	2909	3491	2328	2793	
		III-National High Way	50% more than Basic	6983	8379	5586	6703	4190	5027	3491	4190	2793	3352	
46	Bazar Ward Kathu	I-Other Road	Basic Rate	4660	5592	3728	4474	2796	3355	2330	2796	1864	2237	
		II-State High Way	25 % More than Basic	5825	6990	4660	5592	3495	4194	2913	3495	2330	2796	
		III-National High Way	50% more than Basic	6990	8388	5592	6710	4194	5033	3495	4194	2796	3355	
47	Up Mohal Kathu Second	I-Other Road	Basic Rate	4655	5586	3724	4469	2793	3352	2320	2793	1862	2234	
		II-State High Way	25 % More than Basic	5819	6983	4625	5586	3491	4190	2909	3491	2328	2793	
		III-National High Way	50% more than Basic	6983	8379	5586	6703	4190	5027	3491	4190	2793	3352	
48	Gawhi	I-Other Road	Basic Rate	4650	5580	3720	4464	2790	3348	2325	2790	1860	2232	
		II-State High Way	25 % More than Basic	5813	6975	4650	5580	3488	4185	2906	3488	2325	2790	
		III-National High Way	50% more than Basic	6975	8370	5580	6696	4185	5022	3488	4185	2790	3348	
49	Bazar Ward Bera Shimla	I-Other Road	Basic Rate	8200	9840	6560	7872	4920	5904	4100	4920	3280	3936	
		II-State High Way	25 % More than Basic	10256	12360	8200	9840	6150	7380	5125	6150	4100	4920	
		III-National High Way	50% more than Basic	12360	14760	9840	11808	7380	8856	6150	7380	4920	5904	
50	Up Mohal Kishna Nagar	I-Other Road	Basic Rate	8200	9840	6560	7872	4920	5904	4100	4920	3280	3936	
		II-State High Way	25 % More than Basic	10250	12300	8200	9840	6150	7380	5125	6150	4100	4920	
		III-National High Way	50% more than Basic	12300	14760	9840	11808	7380	8856	6150	7380	4920	5904	

Deputy Commissioner Shimla

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

CLASS OR ROADS IN RESPECT OF URBAN AREAS OF TEHSIL SHIMLA URBAN, DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH FOR THE PERIOD WITH EFFECT FROM 1-4-2013 TO 31-3-2014.

Sr. No.	Name of Patwar Circle	Name of Revenue Estate.	1st Class Road	2nd Class Road	3rd Class Road
1	2	3	4	5	6
1	Station Ward Bara Shimla	Up Mohal Ridge	i) Scandal point to Jodha Niwas PC Chamber via Ridge ii) PC Chamder to Holy Lodge jakhu via Jodha Niwas	-	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
2		Up Mohal Shankli	i) Lakkar Bazar bus stand to Agarwal Dharmsala Via State Bank of India	-	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
3		Bazar Ward Lakker Bazar	i) Ridge to I.G.M.C. ii) Lakkar Bazar to Long Wood	-	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
4		Up Mohal Keleston	i) State Bank to Eversunny ii) Long wood to Kelston via Hari Niwas	-	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
5		Up Mohal Station Ward Bara Shimla	i) Railway Board Building to Western Commnad via D.C Office Shimla ii) Victory Tunnel to Winter Field Shimla 171001	-	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6
6	Up Mohal Kali Bari	i) Tara Hall to Snow View ii) General Post office the Mall Shimla to Finagas Estate via Bantony Castle iii) CTO to Head office SBI .			All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
7	Up Mohal Upper Kaithu	i) Capital Hotel to Sun rise & Pine View via Pereol Pump			All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
8	Up Mohal Lakker Bazar	i) Ridge to I.G.M.C. ii) Lakkar Bazar to Long Wood			All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
9	Up Mohal Tara Hall	i) Tara Hall to Lakkar Bazar Bus Stand circular road			All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
10	Boileauganj	Gahan			Shiv Bawari to Gahan
11	Chawag				All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
12	Bazar Ward Boileauganj	i) Gopal Mandir to Bazar Boileauganj			All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6
13	Karairu	i) Shimla -Mandi National High way road ii) Bus Stand -Shoghi National High Way road.	-	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	
14	Up Mohal Deodi	Petor hoff to Boileauganj road	-	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	
15	Andari	i) Boileauganj to Tawi Road ii) Boileauganj to Andri Road	-	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	
16	Bagog		Railway Station to M.I Quarter H.P. University via Sr. Secondary School Summerhil	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	
17	Up Mohal Raj Bhawan	NH Tunnel 103 to Boileauganj crossing	i) Kotshera Road ii) Chaurra Maidan to summer hill via I.T.I. iii) Petor Hoff to Boileauganj via Advance Study.	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	
18	Station Ward Boileauganj Khas	i)Boileauganj crossing to Gopal Mandir ii) Boileauganj to Chakkar	-	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6
19	Up Mohal Chaura Maidan	i) Voctory Tunnel to 103 Tunnel NH. ii) AG office to All India Radio Station Shimla	H.P. Vidhan Sabha to Annadale	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	
20	Up Mohal Summerhi II	H.P. University complex road.		All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	
21	Bag		Kotshera College to Summer Hostel	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	
22	Khalini	Kalyana		All Roads .	
23	Kanlog	Kanlog to Khalini N.H.	Kanlog to N.H.	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	
24	Dalni	Dalni Nala to Lalpani Nala		All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	
25	Khalini	i) N.H. Tara Mata Mandir B.C.S. To Kanlog ii) Dalni Nala to Fagli . iii) Khalini Bye pass to Chhota Shimla Via Taland iii) Post office Chhota Shimla to Charli Villa		All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6
26		Ram Nagar	Lalpani Nala to Fagli	Ramnagar to N.H.	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
27	Sanjauli	Up Mohal Sanjauli Chowk	i) Gas Godowan To Sanjauli Chowk ii) Sanjauli Chowk to Bothwell iii) Sanjauli Chowk to I.G.M.C. iv) Bothwell to Chorview v) Sanjauli Local bus stand to Engine ghar		All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
28		Up Mohal Sanjauli Bazar	i) Sanjauli Chowk to Dhali Tanal ii) Sanjauli Bazar to Dhigudar	Sanjauli Bazar to Chalaunti	Sanjauli Bazar to Ali Manjil
29		Up Mohal Chalaunth	Northowk Sanjauli Chowk to Chalaunti	Chalaunti to Sanjauli Bazar	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
30	Chotta Shimla	Up Mohal Jakhu	Navbhar to Sanjauli N.H.	Navbhar to Jakhu	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
31		Up Mohal U.S. Club	i) Mali road hotel Marina to Indira Ghandhi Khel Parisar ii) High court Nala to Lift N.H.	Machhali vali kothi to U.S. Club	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
32		Chotta Shimla Khas	Chotta Shimla to Kasumpti	H.P. Sectt. to Flowerdell	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6
33	Kasumpti Junga	i)Vikasnagar to Panthaghati ii) Panthaghati to Kasumpti	Vikasnagar to Kasumpti Chowk	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	
34	Chotta Shimla Dehat	N.H. Petrol pump to Vikasnagar	Vikasnagar to Kasumpti Chowk	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	
35	Kasumpti Koti	Flowerdell to H.P. Sectt.	Ayurvedic Hosptal to Kasumpti Chowk	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	
36	Bazar Ward Chotta Shimla	N.H. Bazar Chotta Shimla road	—	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	
37	Up Mohal Benmore	Raj Bhawan to hotal Marina via Oakover	Raj Bhawan to Machhali vali kothi	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	
38	Up Mohal Nav Vahar	Nav Vahar to Chotta Shimla N.H.	Nav Vahar to Raj Bhawan	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	
39	Up Mohal Bemloi	i)Taland to High court Nala N.H. ii) Khalini to Dalni nala	—	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	
40	Tuti Kandi Nabha House	i)103 Tunal to Vicatory Tunal N.H. ii)103 Tunal to Gsss Fagali iii) Bye pass road Dhar to Fagali	—	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads	

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6
41		Phagli	Nabha House boundary to Fagali Ram Nagar boundary Bye pass road	i) Bye pass road Fagali to Ram Nagar boundary ii) Gsss Fagali to Fagali Bye pass road	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
42		Panjari	i) Old Barriar to R.T.O.Office ii) Turisum Information centre to I.S.B.T.Bye pass road	i) Old Barriar to Mantal Hospital ii) I.S.B.T.Bye pass road to Panjari	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
43		Dhar	i) R.T.O.Office to103 Tunal ii) I.S.B.T.Bye pass road to Nabha House boundary iii) I.S.B.T.Bye pass road to Zoo Road iv)I.S.B.T.Bye pass road to Tuti Kandi	103 tanal to Tuti Kandi Bye pass road	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
44	Kaithu	Bharari		Lakkar Bazar -Puabo Road	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
45		Up Mohal Kaithu flrst		Vidhan Sabha -Annadale Road	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
46		Bazar Ward Kaithu	Bus stand Shimla via victory Tunnel to Tara Hall School		All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6
47		Up Mohal Kaithu Second	-	-	All Roads.
48		Gawahi	-	-	All other Roads.
49	Bazar Ward Bara Shimla	Bazar Ward Bara Shimla	i) C.T.O. to Lift Via Mall Road ii) C.T.O. to Naj Via Lower Bazar iii) Lower Bazar Tunal to Bus stand Via Ram Bazar iv) Ram Bazar to Gurudawara Cart Road Via D.D.U. Hospital	-	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads
50		Up Mohal Krishna Nagar	Cart Road to Lalpani	-	All other Roads which have not been included in 1st Class and 2nd Class Roads



Deputy Commissioner, Shimla

2

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

अनुबंध III: प्राथमिक हितधारकों का सर्वेक्षण प्रश्नावली व् चित्र



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

Primary Stakeholders House-Hold Survey Questionnaire

Namaskar. I amcoming from PLAN Foundation, a Partner organization of SIAU HP. A museum is proposed at Bantony Castle by Govt of HP. For that we need your opinion. Information provided by you will be kept confidential and will be used only for research purpose to improve the plan. This survey will take approx 15 minutes. Thanks in advance for your co- operation and valuable time

House-Hold Survey No.: Date:.....

Address:

Quarter/house No..... Locality:.....

City:..... State: H.P PIN:.....

Personal Details:

1) Name of Respondent: Age of the respondent:

2) Gender:

() Male () Female () Transgender

3) Religion

() Hindu () Muslim () Sikh ()Buddhist ()
Other.....

4) Category

() SC () ST () OBC () General ()
other.....

5) What is your Family Pattern?

() Joint () nuclear ()Individual

1 ()	Interview is administered to the HH Head
2 ()	Interview is administered to a close family member

6) Who is the HH head?

Name:..... Gender:..... Age:

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

7) His/Her Relation to HH Head:

- Son daughter wife Husband
 Mother Father relative/other (Specify).....

Contact No. of Respondent: E-mail ID of Respondent:

Contact No. of HH Head :..... E-mail ID of HH Head:.....

8) Total No. of HH Members Living on the land to be Acquired :

9) Marital Status of the interviewee?

- Single Married Divorced Widowed Separated
 Other (Specify).....

10) Is Interviewee literate or Illiterate?

- Literate Illiterate

11) Highest Education level (attained / perusing (A/P))?

- Below 10th grade
 High school graduate
 High school dropout
 Senior Secondary graduate
 Senior Secondary dropout
 Diploma
 Graduation
 College dropout
 Post-Graduation
 Doctorate
 Other (Specify).....

12) Is the member Physically Handicapped/ challenged (Y/N)? If yes please state the type of disablement ?

.....
.....

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

13) Employment Status of the Interviewee?

Employed Unemployed Student Business Other.....

14) Total duration of being employed (in Years)

.....

Reason for the member for not working?

Retired

Student

Housewife

Cannot find a job

Pregnant

Illness/ PH

Too old

Too young

Does not need to work

Looks after housework/ elders/children

Not allowed to work

Does not want to work

Others (Specify).....

15) What is Your Primary Occupation/Profession/type of business? Please Mention Details.

.....

16) How Do you Categorize your profession/Business?

Formal Informal

17) Does Your profession/ Business require some licensing/permissions/ Certification/ Registration?

Yes No

18) If Yes, please mention the details of licensing/permissions/ Certification/ Registration?

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

.....

.....

.....

19) Whether business is Licensed under any SMC or any other State/centre licensing Agency (Y/N). Mention details of department under which license is obtained?

.....

.....

20) Who are you working for?

- Own Business
- Family Business (Paid)
- Family Business (Unpaid)
- Small Enterprise (<10)
- Medium/large enterprise (>10)
- Government
- Others (Specify).....
- Not Applicable (primary/ secondary)

21) What Is Your Annual Income from your Primary Occupation? (INR)

- <1,50,000
- 1,50,000-3,00,000
- 3,00,000-6,00,000
- 6,00,000-10,00,000
- >10,00,000
- Pension
- Not Applicable

22) Do You Have a Secondary Occupation/Profession/type of business?

- Yes
- No

23) If yes, What is Your Secondary Occupation/Profession/type of business?
Please Mention Details.

.....

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

24) How Do you Categorize your Secondary profession/Business?

- Formal Informal

25) Does Your secondary profession/ Business require some licensing/permissions/
Certification/ Registration?

- Yes No

26) If Yes, please mention the details of licensing/permissions/ Certification/
Registration?

.....
.....
.....

27) Whether secondary business is Licensed under any SMC or any other
State/centre licensing Agency (Y/N). Mention details of department under
which license is obtained?

.....
.....

28) Who are you working for (secondary occupation)?

- Own Business
 Family Business (Paid)
 Family Business (Unpaid)
 Small Enterprise (<10)
 Medium/large enterprise (>10)
 Government
 Others (Specify).....
 Not Applicable (primary/ secondary)

29) What Is Your Annual Income from your Secondary Occupation? (INR)

- <1,50,000
 1,50,000-3,00,000
 3,00,000-6,00,000
 6,00,000-10,00,000
 >10,00,000

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

Pension

Not Applicable

30) How Long Have You been Living here as HH/ Family?(Years)

31) What was your place of residence before You shifted Here?

.....
.....

32) What was the reason for Migration?

.....
.....

33) Do you own a vehicle (s)? If so please mention the no. of vehicles of each type owned.

4-wheeler....

2-wheeler....

cycle...

None

34) Other Household assets you own? Multiple ticks and number of each.

TV....

Refrigerator....

Landline/Mobile phone.....

Washing Machine

computer/laptop....

Air conditioner....

Food Processor/mixer/grinder...

Microwave Oven....

Air cooler/heater....

Other (specify).....

35) What are you monthly HH Savings (approx)?

36) What are you annual HH savings (Approx.)?

37) How do you consider yourself?

very poor

Poor

Lower MIG

Upper MIG

Rich

Very Rich

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

I) **Housing and infrastructure**

38) What is your ownership status of your house?

- owner of the house
- renter (if so how much is the rent?)
- provided by employer
- user not paying rent
- other
- I do not know

39) If Rented please provide Details of Owner:

Name:..... Address:.....

Contact No.:..... E-mail:.....

40)What is the main building material? (the surveyor should make observation and confirm it with the Interviewee - tick only one)

- 1 brick
- 2 concrete
- 3 wooden
- 4 stone
- 5 soil
- 6 other (specify).....
- 7 i do not know

41)How many rooms are there in your house (including the living room)?
..... Rooms

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

42) How Do You normally spend Your leisure Time?

.....
.....

43) Are there enough recreational facilities in your vicinity to spend your leisure time? If No, What are your expectations/ suggestions?

.....
.....

Land use

44) How Do you use the parcel of land that is to be acquired?

- () Agriculture () Residential () Commercial ()
Industrial
() other.....

45) Do you generate any income from the Parcel of land to be acquired?

- () Yes , How..... () No

.....

46) If Yes, How much Income is generated per month?

.....
.....

47) Do you own Livestock on the premises of land that is to be acquired?

- () Yes () No

48) If yes, How Do you use your livestock product?

- () Self Sustenance () Commercial () Other.....

49) If the produce is sold commercially, How much monthly income do you have from the produce?

- () <10,000 pm () 10-20,000 pm () 20-30,000 pm () 30-50,000
pm () >50,000 pm

50) Give details of type and No. of Livestock Owned

S. No	Type of LiveStock	No. of each type	Age of Livestock

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

51) How do you procure food for you HH?

- Grow on the parcel of land to be acquired?
- Buy from the Local Market
- Other (specify)

Health/Water supply/sanitation

52) What is the domestic water source in your house?

- plumbing inside the house (bathroom, kitchen, WC)
- water pump
- well water
- water tank
- interior tap water (one tap)
- interior water supply system (multiple taps)
- plumbing outside the house
- other (please specify)

53) Do you have any problems with water supply?

- 1. Yes (Specify)
- 2. No

.....
.....

54). What are your problems with water supply? (tick as much as relevant. Can be more than one)

- 1 Water cuts. How frequent
- 2 Not clean

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

- 3 () Expensive
- 4 () Difficult to access
- 5 () Low quality (hardness)
- 6 () Other (please state).....

55) Do you use domestic water for drinking purposes?

- 1. Yes
- 2. No (please state your drinking water Source).....

.....
.....

56) Do you have any problems with drinking water supply?

- 1. Yes
- 2. No

57) What are your problems with drinking water supply? (tick as much as relevant. Can be more than One)

- () Not clean
- () Expensive
- () Difficult to access
- () Low quality (hardness)
- () Other (please state).....

58) What type of sanitation facility do you have?

- () Interior WC with toilet flush tank
- () Exterior WC with toilet flush tank
- () Interior toilet without flush tank
- () Exterior toilet without flush tank

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

() Public WC

() Other (please specify).....

59) Do any of household members have a permanent/chronic disease/health problem?

1. Yes (please explain by giving name)

2. No

.....
.....

60) Did any of the household members face a major health problem which required treatment within the last 12 months?

1. Yes (please explain by giving the member code)

2. No

.....
.....

61) Did any of the household members suffer from any contagious diseases within the last 12 months?

1. Yes (please explain by giving the member code)

2. No

.....
.....

62) Did any of the household members suffer from any water borne diseases within the last 12 months?

1. Yes (please explain by giving the member code)

2. No

.....
.....

63) How frequently do family member in your HH fall sick?

1. () Very frequent

2. () frequent

3. () sometimes

4. ()

Rarely

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

64) What is the major reason due to which member usually fall sick?

- () Unclean drinking water () No proper sanitation facilities ()
Pollution
() Weather () Other (specify).....

65) When you experience a health problem, which health facility do you go?

.....
.....

66) Are you satisfied with the health facilities in the region? Do you experience any problems? Please Explain.

.....
.....

IV Perception & Expectation

67) How was your income status, standard of living when compared to 5 years ago?

1. Better 2. The same 3. Worse

68) What has been the reason for this?

.....
.....

69) What Do you think would be the benefits of the project?

For Your Family	For the city

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

--	--

70) What kind of adverse effects can the project cause?

For Your Family	For the city

71) Did your household have any disputes with another household in the past?

1 () Yes

2 () No

72) If "Yes" what was the reason, how was it resolved? Please specify.

.....
.....

V Crime and Public Safety

73) How do you estimate the level of crime in your community?

() Very low () Low () Medium () High () very high

74) Has the level of crime changed in your community lately and why?

.....
.....

75) What types of crime are committed most often in your community and why?

.....
.....

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

76) How do you characterize local police authorities based on (Performance of duties, competence, Professionalism, Sufficiency of equipment etc.?)

() not competent () moderately competent () Highly competent

77) What do you do in case of fire?

.....
.....

78) How quickly fire brigade responds to emergencies?

() no/very slow response () moderate response () brisk response

79) How do you characterize Fire brigade based on (Performance of duties, competence, Professionalism, Sufficiency of equipment etc.?)

() not competent () moderately competent () Highly competent

80) What are the main reasons of fire?

.....
.....

VI) Transport and Public Amenities

81) Are there any local roads/footpaths/transport mediums within the area to be acquired that is used by the Locals? If yes, please mention its details.

.....
.....
.....

82) Are there any irrigation facilities in the area to be Acquired? If yes please mention its details.

.....
.....
.....

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

83) Does the area acquired provide any access to Market for the Locals? If yes, please mention its details.

.....
.....
.....

84) Does the area to be acquired provide any tourist site/attractions? If yes please mention its details.

.....
.....
.....

85) Does the area to be acquired Has any Religious/cultural monument of significance? If yes please mention its details.

.....
.....
.....

86) Does the area to be acquired Has any community and civic/public spaces? If yes please mention its details.

.....
.....
.....

87) Does the area to be acquired has any Public service infrastructure (schools, health facilities, anganwadi centres, public distribution system)? If yes mention details.

.....
.....
.....

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

88) Does the area to be acquired has any Social gathering points for women? If yes please mention its details

.....
.....
.....

89) Does the area to be acquired has any Physical infrastructure (including water supply sewage systems etc.)? If yes please mention its details.

.....
.....
.....

90) Does the area to be acquired has any Concerns regarding Safety, Crime, Violence of any sort Particularly Regarding vulnerable groups such as Women, Children, Physically Challenged and the elderly? If yes please mention its details.

.....
.....
.....

91) Any other important detail you would like Highlight about the land to be acquired?

.....
.....
.....

92) How many hours in a day is electricity supplied to the HH?

.....
.....

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

93) How frequent are electricity cuts in the locality?

- very frequent sometimes rarely never don't know

94) How is the condition of roads in the Community?

- very poor Poor Normal good Excellent

95) How do you dispose your solid waste from the HH?

- MC collects waste from house
 you dispose waste in nearby public dustbins
 you burn your HH Waste
 no particular place to dump waste and thus is disposed at random location
 other (specify)

96) How would you rate the Solid waste management system in the community?

- very poor Poor Normal good Excellent

VII) Details Requiring Acquisition And Compensation

97) Are you aware of the ongoing Acquisition scheme of Bentony Castle :

- Yes No

98) Were Any Awareness programs/meetings conducted by the govt. for the acquisition?

- yes No

99) If Yes , Did you or any member of your HH participate in them?

- Yes (No.)..... No

Name of member who participated?

100) If Yes state the source through which you got to know?

- Govt. newspaper advertisement neighbors
 other.....

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

101) Have the Negotiations Started/ completed?

- Not Started In Progress Completed
 I Don't Know

102) Do You prefer Payment In Cash or Kind?

- In Kind (Land to Land) Cash House in Resettlement Site
 Shop in Resettlement site Other (Specify).....

103) Factors to be considered in providing alternate place.

- Access to Family and Friends
 Income from HH Activity
 Income from Business Activity
 Daily Job
 Close to Market
 Other (Specify)

104) With the compensation you get, are you able to buy a parcel of similar/better size and quality?

- 1) yes, I can buy land which is better quality and/or bigger in size
2) yes, I can buy a land of similar size and quality
3) no I cannot buy a similar/better land
4) I don't Know
5) Not Applicable (the negotiation haven't completed)

105) Do you completely depend on compensation from the land parcel to be acquired?

- yes Partially No I do not know

106) How do you plan to use the money?

.....
.....
.....

107) Are there other people that have legally recognizable rights to your site (e.g. Customary Agreement holders, tenants etc). If so, are they aware of

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

the acquisition/negotiations? Do you Inform them about the process? (the surveyor will take the names and contact details of these people).

.....

108) (In Case of Land Owner) Who will be your legal heir for the land After you? (State name, relation with the land Owner). In case of multiple heirs, note the details of all and their relation with the Land Owner.

S. No	Name of heir	Present Age	Gender	Relationship with Owner

109) Did/do you have any grievances about the land acquisition? If so, have you communicated This to the government? How is this dealt with? Explain in Detail.

.....

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

VIII) Rehabilitation and Resettlement

110) Do you have a Direct/indirect income from the land being acquired? If yes,
How?

Yes No

How?

.....
.....

111) How much are you dependent on the income from the above land?

not at all Partially normal A Lot completely

112) How much is your monthly income from the above mentioned land?

113) If the land is acquired, will you loose your livelihood? If Yes, How?

.....
.....
.....

114) Has the Government offered you compensation for your loss of Livelihood?

Yes No

115) If yes, how has the compensation been offered?

To provide employment on the new project for which land is acquired?

To provide employment on somewhere else?

Compensate with money to the loss of your income?

any other mode (specify).....

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

116) Are you Satisfied with the compensation being offered? If no, Why?

.....
.....
.....

117) How do you want your compensation to be for your loss of livelihood?

- () To provide employment on the new project for which land is acquired?
- () To provide employment on somewhere else?
- () Compensate with money to the loss of your income?
- () any other mode (specify).....

118) What would be your preference for an alternate livelihood if given an option?

.....
.....
.....

119) Do have the relevant Qualification for your above stated preference?
Explain.

.....
.....

120) Why have you not opted for the above preference until now? Explain your shortcomings/reasons in detail.

.....
.....

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

अनुबंध IV: द्वितीय हितधारक सर्वेक्षण प्रश्नावली व चित्र

Secondary Stakeholders House-Hold Survey Questionnaire

Namaskar. I amcoming from PLAN Foundation, a Partner organization of SIAU HP. A museum is proposed at Bantony Castle by Govt of HP. For that we need your opinion. Information provided by you will be kept confidential and will be used only for research purpose to improve the plan. This survey will take approx 15 minutes. Thanks in advance for your co- operation and valuable time

House-Hold Survey No.: Date:.....

Address:

Quarter/house No..... Locality:.....

City:..... State: H.P PIN:.....

Personal Details:

1) Name of Respondent: Age of the respondent:

2) Gender:

() Male () Female () Transgender

3) Religion

() Hindu () Muslim () Sikh () Buddhist ()

Other.....

4) Category

() SC () ST () OBC () General ()

other.....

5) What is your Family Pattern?

() Joint () nuclear () Individual

1 ()	Interview is administered to the HH Head
2 ()	Interview is administered to a close family member

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

6) Who is the HH head?

Name:..... Gender:..... Age:

7) His/Her Relation to HH Head:

() Son () daughter () wife () Husband
() Mother () Father () relative/other

(Specify).....

Contact No. of Respondent: E-mail ID of Respondent:

Contact No. of HH Head :..... E-mail ID of HH Head:.....

8) Total No. of HH Members Living on the land to be Acquired :

9) Marital Status of the interviewee?

() Single () Married () Divorced () Widowed () Separated
() Other (Specify).....

10) Is Interviewee literate or Illiterate? (ability to read and write in any language)

() Literate () Illiterate

11) Highest Education level (attained / perusing (A/P))?

- () Below 10th grade
- () High school graduate
- () High school dropout
- () Senior Secondary graduate
- () Senior Secondary dropout
- () Diploma
- () Graduation
- () College dropout
- () Post-Graduation
- () Doctorate
- () Other (Specify).....

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

12) Is the member Physically Handicapped/ challenged (Y/N)? If yes please state the type of disablement ?

.....
.....

13) Employment Status of the Interviewee?

() Employed () Unemployed () Student () Business () Other.....

14) Total duration of being employed (in Years)

.....

15) Reason for the member for not working?

- () Retired
- () Student
- () Housewife
- () Cannot find a job
- () Pregnant
- () Illness/ PH
- () Too old
- () Too young
- () Does not need to work
- () Looks after housework/ elders/children
- () Not allowed to work
- () Does not want to work
- () Others (Specify).....

16) What is Your Occupation/Profession/type of business? Please Mention Details.

Primary Occupation :.....

Secondary Occupation:

17) How Do you Categorize your profession/Business?

Primary Occupation: () Formal (Taxed) () Informal (Untaxed)

Secondary Occupation: () Formal (Taxed) () Informal (Untaxed)

18) Does Your profession/ Business require some licensing/permissions/
Certification/ Registration?

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

Primary Occupation: () Yes () No

Secondary Occupation: () Yes () No

19) If Yes, please mention the details of licensing/permissions/ Certification/
Registration?

Primary Occupation:

.....

Secondary Occupation:

.....

20) Whether business is Licensed under SMC or any other State/centre licensing
Agency (Y/N). Mention details of department under which license is obtained?

21) Primary Occupation:

.....

Secondary Occupation:

.....

22) Who are you working for?

Primary Occupation	Secondary Occupation
() Own Business	() Own Business
() Family Business (Paid)	() Family Business (Paid)
() Family Business (Unpaid)	() Family Business (Unpaid)
() Small Enterprise (<10)	() Small Enterprise (<10)
() Medium/large enterprise (>10)	() Medium/large enterprise (>10)
() Government	() Government
() Others (Specify).....	() Others (Specify).....
() Not Applicable (primary/ secondary)	() Not Applicable (primary/ secondary)

23) What Is Your Annual Income from your Primary and Secondary Occupation?
(INR)

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

Primary Occupation	Secondary Occupation
() <1,50,000	() <1,50,000
() 1,50,000-3,00,000	() 1,50,000-3,00,000
() 3,00,000-6,00,000	() 3,00,000-6,00,000
() 6,00,000-10,00,000	() 6,00,000-10,00,000
() >10,00,000	() >10,00,000
() Pension	() Pension
() Not Applicable	() Not Applicable

24) How Long Have You been Living here as HH/ Family?(Years)

25) What was your place of residence before You shifted Here?

.....
.....

26) What was the reason for Migration?

.....
.....

27) Do you own a vehicle (s)? If so please mention the no. of vehicles of each type owned.

() 4-wheeler.... () 2-wheeler.... () cycle... () None

28) Other Household assets you own? Multiple ticks and number of each.

- () TV....
- () Refrigerator....
- () Landline/Mobile phone....
- () Washing Machine
- () computer/laptop....
- () Air conditioner....
- () Food Processor/mixer/grinder...

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

- Microwave Oven....
- Air cooler/heater....
- Other (specify).....

29)What are you monthly HH Savings (approx)?.....

30)What are you annual HH savings (Approx.)?.....

- II) Under which income bracket do you fall?(on basis of annual HH income)
- EWS (< 1,00,000) LIG (1- 2 lac) MIG (2-9 lacs)
 - HIG(> 9 Lacs)

III) **Housing and infrastructure**

31)What is your ownership status of your house?

- owner of the house
- renter (if so how much is the rent?).....
- provided by employer
- user not paying rent
- other.....
- I do not know

32)If Rented please provide Details of Owner:

Name:..... Address:.....

Contact No.:..... E-mail:.....

Does not Know

33)What is the main building material? (the surveyor should make observation and confirm it with the Interviewee - tick only one)

- 1 brick
- 2 concrete

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

- 3 () wooden
- 4 () stone
- 5 () soil
- 6 () other (specify).....
- 7 () i do not know

34) How many rooms are there in your house (including the living room)?
..... Rooms

35) How Do You normally spend Your leisure Time?
.....
.....

36) Are there enough recreational facilities in your vicinity to spend your leisure time? If No, What are your expectations/ suggestions?
.....
.....

IV) Health/Water supply/sanitation

- 37) What is the domestic water source in your house?
- () plumbing inside the house (bathroom, kitchen, WC)
 - () water pump
 - () well water
 - () water tank
 - () interior tap water (one tap)
 - () interior water supply system (multiple taps)
 - () plumbing outside the house
 - () other (please specify)

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

38) Do you have any problems with water supply?

2. Yes (Specify)

2. No

.....
.....

39). What are your problems with water supply? (tick as much as relevant. Can be more than one)

1 () Water cuts. How frequent

2 () Not clean

3 () Expensive

4 () Difficult to access

5 () Low quality (hardness)

6 () Other (please state).....

40) Do you use domestic water for drinking purposes?

1. Yes

2. No (please state your drinking water

Source).....

.....
.....

41) Do you have any problems with drinking water supply?

1. Yes

2. No

42) What are your problems with drinking water supply? (tick as much as relevant. Can be more than One)

() Not clean

() Expensive

() Difficult to access

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

- () Low quality (hardness)
- () Other (please state).....

43) What type of Toilet facility do you have?

- () Interior toilet with flush tank
- () Exterior toilet with flush tank
- () Interior toilet without flush tank
- () Exterior toilet without flush tank
- () Public toilet
- () Other (please specify).....

44) Do any of household members have a permanent/chronic disease/health problem?

- 1. Yes (please explain by giving name)
- 2. No

.....
.....

45) Did any of the household members face a major health problem which required treatment within the last 12 months?

- 1. Yes (please explain by giving the member code)
- 2. No

.....
.....

46) Did any of the household members suffer from any contagious diseases within the last 12 months?

- 1. Yes (please explain by giving the member code)
- 2. No

.....
.....

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

47) Did any of the household members suffer from any water borne diseases within the last 12 months?

1. Yes (please explain by giving the member code) 2. No

.....
.....

48) How frequently do family member in your HH fall sick?

1. () Very frequent 2. () frequent 3. () sometimes 4. ()

Rarely

49) What is the major reason due to which member usually fall sick?

- () Unclean drinking water () No proper sanitation facilities ()
Pollution
() Weather () Other (specify).....

50) When you experience a health problem, which health facility do you go?

.....
.....

51) Are you satisfied with the health facilities in the region? Do you experience any problems? Please Explain.

.....
.....

IV Crime and Public Safety

52) How do you estimate the level of crime in your community?

- () Very low () Low () Medium () High () very high

53) Has the level of crime changed in your community lately and why?

.....
.....

54) What types of crime are committed most often in your community and why?

.....

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

.....

55) How do you characterize local police authorities based on (Performance of duties, competence, Professionalism, Sufficiency of equipment etc.?
() not competent () moderately competent () Highly competent

56) What do you do in case of fire?

.....
.....

57) How quickly fire brigade responds to emergencies?
() no/very slow response () moderate response () brisk response

58) How do you characterize Fire brigade based on (Performance of duties, competence, Professionalism, Sufficiency of equipment etc.?
() not competent () moderately competent () Highly competent

59) What are the main reasons of fire?

.....
.....

V) Transport and Public Amenities

60) Are there any local roads/footpaths/transport mediums within the area to be acquired that is used by the Locals? If yes, please mention its details.

.....
.....
.....

61) Are there any irrigation facilities in the area to be Acquired? If yes please mention its details.

.....
.....
.....

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

62) Does the area acquired provide any access to Market for the Locals? If yes, please mention its details.

.....
.....
.....

63) Does the area to be acquired provide any tourist site/attractions? If yes please mention its details.

.....
.....
.....

64) Does the area to be acquired Has any Religious/cultural monument of significance? If yes please mention its details.

.....
.....
.....

65) Does the area to be acquired Has any community and civic/public spaces? If yes please mention its details.

.....
.....
.....

66) Does the area to be acquired has any Public service infrastructure (schools, health facilities, anganwadi centres, public distribution system)? If yes mention details.

.....
.....
.....

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

67) Does the area to be acquired has any Social gathering points for women? If yes please mention its details

.....
.....
.....

68) Does the area to be acquired has any Physical infrastructure (including water supply sewage systems etc.)? If yes please mention its details.

.....
.....
.....

69) Does the area to be acquired has any Concerns regarding Safety, Crime, Violence of any sort Particularly Regarding vulnerable groups such as Women, Children, Physically Challenged and the elderly? If yes please mention its details.

.....
.....
.....

70) Any other important detail you would like Highlight about the land to be acquired?

.....
.....
.....

71) How many hours in a day is electricity supplied to the HH?

.....
.....

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

72) How frequent are electricity cuts in the locality?

- very frequent sometimes rarely never don't know

73) How is the condition of roads in the Community?

- very poor Poor Normal good Excellent

74) How do you dispose your solid waste from the HH?

- MC collects waste from house
 you dispose waste in nearby public dustbins
 you burn your HH Waste
 no particular place to dump waste and thus is disposed at random location
 other (specify)

75) How would you rate the Solid waste management system in the community?

- very poor Poor Normal good Excellent

VI) Details Requiring Acquisition And Compensation

76) Are you aware of the ongoing Acquisition scheme of Bantony Castle :

- Yes No

77) Were Any Awareness programs/meetings conducted by the govt. for the acquisition?

- yes No

78) If Yes , Did you or any member of your HH participate in them?

- Yes (No.)..... No

Name of member who participated?

**बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

79) If Yes state the source through which you got to know?

- () Govt. () newspaper () advertisement () neighbors
() other.....

80) Do you think that Museum at Bantony Castle is necessary for Shimla city?

Yes/ No

81) What impacts, both positive and negative of the project do you foresee?

S.N	Positive Impact	Remark	S.	Negative Impact	Remark
1	Attract the tourist		1	Land Acquisition	
2	Enhance local		2	Loss of livelihood	
3	Increase employment		3	Loss of income	
4	Increase facilities		4	Loss of house/shop	
5	Creation of knowledge		5	Loss of customers & supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of social/cultural/economic	
7	Cultural preservation		7	Increase in Migration	
8			8	Disadvantage to the environment (damage)	
9	Others(Specify)		10	Other(Specify)	

VIII) Rehabilitation and Resettlement

82) Do you have a Direct/indirect income from the land being acquired? If yes,

How?

- () Yes () No

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

How?

.....
.....

83)How much are you dependent on the income from the above land?

() not at all () Partially () normal () A Lot () completely

84)How much is your monthly income from the above mentioned land?

85)If the land is acquired, will you loose your livelihood? If Yes, How?

.....
.....

86)Has the Government offered you compensation for your loss of Livelihood?

() Yes () No

87)If yes, how has the compensation been offered?

- () To provide employment on the new project for which land is acquired?
- () To provide employment on somewhere else?
- () Compensate with money to the loss of your income?
- () any other mode (specify).....

88)Are you Satisfied with the compensation being offered? If no, Why?

.....
.....

89)How do you want your compensation to be for your loss of livelihood?

- () To provide employment on the new project for which land is acquired?
- () To provide employment on somewhere else?
- () Compensate with money to the loss of your income?
- () any other mode (specify).....

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

90) What would be your preference for an alternate livelihood if given an option?

.....
.....

91) Do you have the relevant Qualification for your above stated preference? Explain.

.....
.....

92) Why have you not opted for the above preference until now? Explain your shortcomings/reasons in detail.

.....
.....

IV Perception & Expectation

93) How was your income status, standard of living when compared to 5 years ago?

1. Better 2. The same 3. Worse

94) What has been the reason for this?

.....
.....

95) What Do you think would be the benefits of the project?

For Your Family	For the city

96) What kind of adverse effects can the project cause?

For Your Family	For the city

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

Declaration

I hereby Declare that the information Provided by me in the survey for the SIA for the purpose of Acquisition of Bantony Castle, the mall Shimla is correct to the best of my knowledge.

Name:

Signature of interviewee:.....

Date:

Place:

Phn:

E-mail :

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

अनुबंध V: पर्यटक सर्वेक्षण प्रश्नावाली व् चित्र



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

Tourist Survey Questionnaire

Namaskar. I amcoming from PLAN Foundation, a Partner organization of SIAU HP. A museum is proposed at Bantony Castle by Govt of HP. For that we need your opinion. Information provided by you will be used only for the Study purpose to improve the plan. This survey will take approx 10 minutes. Thanks in advance for your co- operation and valuable time

Tourist Survey No.: Date:.....

Name	
Place of residence	
Phone No.	
Email/Web	
How many days you are staying at Shimla	
Are you planning to go other places in HP If yes where?	
Which places you have or planning to visit in Shimla	
How is your experience about tourism facility in Shimla	
Do you know about state museum at Shimla	
If Yes, Do you like to visit?	
Now as we have conveyed you that State Museum is located at Chaura Maidan do you like to go there? Pls describe	
Any other comment	

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1. Do you know that **Museum at Bantony Castle is proposed?** If yes what are **source of information**.....

2. Do you think that Museum at Bantony Castle is necessary for Shimla city?
Yes/ No

3. What impacts, both positive and negative of the project do you foresee?

S.N	Positive Impact	Remark	S.N	Negative Impact	Remark
1	Attract the tourist		1	Land Acquisition	
2	Enhance local		2	Loss of livelihood	
3	Increase employment		3	Loss of income	
4	Increase facilities		4	Loss of house/shop	
5	Creation of knowledge		5	Loss of customers & supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of social/cultural/economic	
7	Cultural preservation		7	Increase in Migration	
8			8	Disadvantage to the environment (damage	
	Others(Specify)			Other(Specify	

.....
.....
.....
Signature

Date

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

अनुबंध VI: होटल सर्वेक्षण प्रश्नावाली व् चित्र



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

Hotel Survey Questionnaire

Namaskar. I amcoming from PLAN Foundation, a Partner organization of SIAU HP. A museum is proposed at Bantony Castle by Govt of HP. For that we need your opinion. Information provided by you will be used only for **study** purpose to improve the plan. This survey will take approx 10 minutes. Thanks in advance for your co- operation and valuable time

Hotel Survey No.: Date:.....

Name of Hotel			
Address			
Phone No.			
Email/Web			
Name of Respondent			
Status	Owner	Employee (Designation).....	

1. Do you know that Museum at Bantony Castle is proposed? If yes what are source of information.....
2. Do you think that Museum at Bantony Castle is necessary for Shimla city?
Yes/ No
3. What impacts, both positive and negative of the project do you foresee?

**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

S.N	Positive Impact	Remark	S.N	Negative Impact	Remark
1	Attract the tourist		1	Land Acquisition	
2	Enhance local economy		2	Loss of livelihood	
3	Increase employment		3	Loss of income	
4	Increase facilities		4	Loss of house/shop	
5	Creation of knowledge platform		5	Loss of customers & supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of social/cultural/economic	
7	Cultural preservation		7	Increase in Migration	
8			8	Disadvantage to the environment (damage of park, tree etc)	
	Others(Specify)			Other(Specify)	

4. Will this Museum at Bantony Castle will impact your Hotel? Pls Describe.....

.....
.....

5. Any other comment over this project

.....
.....
.....

Signature

Date

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

अनुबंध VII: संस्थानिक हितधारक सर्वेक्षण प्रश्नावाली व् चित्र



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

Institutional Survey Questionnaire

Namaskar. I am coming from PLAN Foundation, a Partner organization of SIAU HP. A museum is proposed at Bantony Castle by Govt of HP. For that we need your opinion. Information provided by you will be kept confidential and will be used only for research purpose to improve the plan. This survey will take approx 10 minutes. Thanks in advance for your co- operation and valuable time

Institutional Survey No.: Date:.....

Name of Department	
Address	
Phone No.	
Email/Web	
Name of Respondent	
Designation	

6. Do you know that **Museum at Bantony Castle is proposed? If yes what are source of information.....**
7. Do you think that Museum at Bantony Castle is necessary for Shimla city?
Yes/ No
8. What impacts, both positive and negative of the project do you foresee?

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

S.N	Positive Impact	Remark	S.N	Negative Impact	Remark
1	Attract the tourist		1	Land Acquisition	
2	Enhance local economy		2	Loss of livelihood	
3	Increase employment opportunity		3	Loss of income	
4	Increase facilities		4	Loss of house/shop	
5	Creation of knowledge platform		5	Loss of customers & supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of social/cultural/economic	
7	Cultural preservation		7	Increase in Migration	
8			8	Disadvantage to the environment (damage of park,tree etc)	
	Others(Specify)			Other(Specify)	

9. How will this **Museum at Bantony Castle** will impact your Department? Pls Describe.....

.....
.....

10. Any other comment over this project

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

.....
.....
.....
.....
.....

6 Is there any other options or land available for establishment of proposed Museum (Y/N) if yes pls. describe.

.....
.....
.....

7. Do you think the acquisition of private property for Museum complies “public interest” ? Y/N/ can't say. If Yes/No pls. describe

.....
.....
.....
.....
.....

Signature

Date

**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

अनुबंध: VIII: राय सर्वेक्षण प्रश्नावाली व चित्र

Opinion Survey Questionnaire

Namaskar. This survey is being conducted by PLAN Foundation, a Partner organization of SIAU (HIPA) Fairlawn HP. A museum is proposed at Bantony Castle (which is located near Hotel Grand, Kalibari road, The Mall Shimla) by Govt of HP. For that we need your opinion. Information provided by you will be used only for study purpose to improve the plan. This survey will take approx 10 minutes. Thanks in advance for your co- operation and valuable time

Survey No.: Date:.....

Name of establishment					
Address					
Phone			email		
Website					
Name of Respondent					
Designation					
Status Pls tick in box	Owner	<input type="checkbox"/>	Employee	<input type="checkbox"/>	If Employee pls mention Designation.....

1. Do you know that Museum at Bantony Castle is proposed? If yes what are source of information (Pls tick in box)

Friend	<input type="checkbox"/>	Newspaper	<input type="checkbox"/>	Can't say	<input type="checkbox"/>	Other (specify)	<input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------	------------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

**2. Do you think that Museum at Bantony Castle is necessary for Shimla city?
Yes/ No**

3. What impacts, both positive and negative of the project do you foresee? (Pls tick multiple options given below)

**बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

S.N.	Positive Impact	Pls. Tick	S.N.	Negative Impact	Pls. Tick
1.	Attract the tourists			Land Acquisition	
2.	Enhance the local economy		2.	Loss of livelihood	
3.	Increase employment opportunity		3.	Loss of Income	
4.	Increase the facilities		4.	Loss of house/shop	
5.	Creation of Knowledge platform		5.	Loss of customer & supply chain	
6.	Increase the property value		6.	Disruption of social/cultural/economic environment	
7.	Cultural preservation		7.	Increase in Migration	
8.	Other (Specify)		8.	Other (Specify)	

4. Will this **Museum at Bantony Castle** will impact your business? Pls Describe.....

.....

5. Any other comment over this project

.....

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

6. Will this Museum at Bantony Castle will make any impact on your life style, income, knowledge or on other? If yes describe

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...

I have given above information as per my knowledge & information. I am not under influence of any stakeholder or others.

Signature

Date

For Office use only


Field Investigator Name..... Code.....

Date of Survey date of data processing.....


Format Checked by Date..... Signature

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट


अनुबंध IX: Letter No. Bhasni-8/2013-Bantony Castle 7644



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट



बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

अनुबंध X: जमाबंदी की नकल

राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश - नकल जमाबंदी				रसीद संख्या : 09021610662		नकल शुल्क : 2		
				नाम : -		सेवा शुल्क : 40		
				पितापति : -		कुल शुल्क : 42		
जिला : शिमला				साल : 2009-2010		रकबा ईकाई: वर्ग-मीटर		
तहसील : शिमला (शहरी)								
मन्सूबदार : शिमला शहरी								
पट्टाधार : स्टेशन वॉर्ड बड़ा शिमला								
हदबस्त नं. : मोहाल : उप मोहाल कालीबाडी								
खेद नं.	खाली नं.	जम मालिक व पदावत	जम करतदार व पदावत	जम प्लॉट व टैग नम्बर अंकवाची	नम्बर प्लॉट इला	रकबा हर केंद्र व प्रिजिन खाल मर विस्तार अराजी मेट्रीक ईकाईयों में	हिस्सा या पैनाला हकीकत व तरीका बाध	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	131	कुल जम (5) विधान (1) जम पुर व	काली बाबू	803	1304-48	काल व पुर मर	250	खुला
108	132	खण्ड पुर (1) जम पुर रामकुमा पुर		804	जमी खण्ड	खण्ड नं.(1)	200	खुला
		विधान (1) जम पुर रामकुमा पुर व		805	184-78			खुला खण्ड खण्ड खण्ड
		खीरती खीरती खीरती खीरती खीरती		806	50-48			खुला खण्ड खण्ड खण्ड
		रामकुमा जम बाबा (1) जम जम कुमा		807	12-06			खुला खण्ड खण्ड खण्ड
		खुला खण्ड पुर व खीरती खीरती खीरती		808	15-50			खुला खण्ड खण्ड खण्ड
		विधान (1) जम कुमा खीरती खीरती खीरती		809	147-02			खुला खण्ड खण्ड खण्ड
		(1) जम कुमा खीरती खीरती खीरती		810	21-58			खुला खण्ड खण्ड खण्ड
		खुला खण्ड व खीरती खीरती खीरती		811	18-40			खुला खण्ड खण्ड खण्ड
		खीरती खीरती खीरती खीरती खीरती		812	115-80			खुला खण्ड खण्ड खण्ड
		खीरती खीरती खीरती खीरती खीरती		813	1294-83			खुला खण्ड खण्ड खण्ड
		खीरती खीरती खीरती खीरती खीरती		814	591-22			खुला खण्ड खण्ड खण्ड
		खीरती खीरती खीरती खीरती खीरती		815				खुला खण्ड खण्ड खण्ड

हिमाचल प्रदेश - शिमला

दिनांक: 28-Jun-2016


पृष्ठ संख्या: 1

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6
				885	01-69
				विमान कमीशन	रै.सु.पिनल
					1583-85
				886	
				विमान कमीशन	रै.सु.पिनल
					06-05
				887	
				विमान कमीशन	रै.सु.पिनल
					10-15
				888	
				विमान कमीशन	रै.सु.पिनल
					3253-84
				889	
				विमान कमीशन	रै.सु.पिनल
				1164/900	219-70
				विमान कमीशन	रै.सु.पिनल
				1165/900	6204-74
				विमान कमीशन	अन्य संकेत
				885	28-48
				पुनिय सुधारण	रै.सु.पिनल
				886	06-09
				पुनिय सुधारण	रै.सु.पिनल
				क्र. 2	18193-80
				अन्य	
					18193-80
					रै.सु.पिनल
					45-18
					रै.सु.पिनल
					01-69
					रै.सु.पिनल
					31-52
					रै.सु.पिनल
					1294-83
					रै.सु.पिनल
					219-70
					रै.सु.पिनल

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					सं.सु.सगम			
					05-75			
					सं.सु.सगम			
					381347			
					सं.सु.सगम			
					115-60			
					सं.सु.सगम			
					10-15			
					सं.सु.सगम			
					08-05			
					सं.सु.सगम			
					06-08			
					जम्मे रकम			
					10714-03			
					सं.सु.सगम का डी.सी.सी.			
					591-22			
					सं.सु.सगम का डी.सी.सी.			
					147-02			



SUGAM CENTRE
DC Office, Shimla

 28/6/16

Certified that this copy has been generated from the database of Revenue Department Tehsil
 शिमला(एडरी) as accessed by Tehsil Operator GPR2SUGAM on 28-June-2016 from Tehsil
 शिमला(एडरी)

To Verify, enter the Copy No above Bar Code at
<http://admis.hp.nic.in/himbhoomilk>
 For Validity Refer : Notific. No/Rev-OF/10-1/2009 Dated 14-Feb-2011

Jam03021610662



दिनांक: 28-Jun-2016

पृष्ठ संख्या: 4

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

अनुबंध XI: जनसुनवाई सूचना और उपस्थिति

कार्यालय उप मंडल समाहर्ता एवं उपमंडल अधिकारी (ना.) शिमला (शहरी)
हिमाचल प्रदेश
जन सुनवाई हेतु सूचना

3598
18/10/16

Address: (हिमाचल प्रदेश भू-अधियहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के खंड 5 के अंतर्गत)

Subject: (हि.) जैसा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भाषा, एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला (अर्बन), जिला शिमला को सार्वजनिक उद्देश्य हेतु तथा राज्य की कला व पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए एक शहरी संग्रहालय स्थापित करने के उद्देश्य से अधियहण करने का प्रस्ताव रखा है।

DA (हि.) हिमाचल प्रदेश सामाजिक समाघात/प्रभाव आकलन इकाई के द्वारा अधिनियम 4 भू-अधियहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अधीन सामाजिक प्रभाव/समाघात आकलन रिपोर्ट व सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना को (हिंदी व अंग्रेजी दोनों में) तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

DA (हि.) भू-अधियहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के खंड 5 के अंतर्गत इस नोटिस के द्वारा सभी संबंधित लोगों से सामाजिक प्रभाव/समाघात आकलन रिपोर्ट व सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना (हिंदी व अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित) के सन्दर्भ में प्रतिक्रिया/विचार आमंत्रित किए जाते हैं ताकि अन्य/अतिरिक्त सूचना/विचार जो उपयुक्त समझे जायें को अंतिम रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सके।

अतः भू-अधियहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के खंड 5 के अंतर्गत जो कि हिमाचल में प्रभावी है द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, मैं हेमिस नेगी, हि.प्र.प्र. सेवा, उप मंडल समाहर्ता एवं उपमंडल अधिकारी शिमला (शहरी) (ना.) निम्न अनुसार जन सुनवाई हेतु समय/दिनांक व स्थान अधिसूचित करता हूँ :

सुनवाई का स्थान : बचत भवन, उपायुक्त कार्यालय शिमला

सुनवाई की तिथि : 05/11/2016

समय : 10-00 AM से 5-00 PM तक

अतः कोई भी इच्छुक व्यक्ति नगर निगम शिमला की सीमा परिधि के अंतर्गत, जिसे उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में कोई आपत्ति हो, इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि के 3 सप्ताह के भीतर, जन सुनवाई के दिन लिखित में मेरे समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं। ड्राफ्ट रिपोर्ट, (हिंदी व अंग्रेजी) जिलाधीश कार्यालय, नगर निगम कार्यालय व अधियहण करने वाले विभाग भाषा एवं संस्कृति विभाग के कार्यालय में तथा जिलाधीश शिमला की वेबसाइट www.hpshimla.nic.in और www.himachal.nic.in/hipa पर उपलब्ध है।

COLLECTOR,
Shimla Sub-Division
Shimla

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

सम्पत्ति का विवरण

जिला	तहसील	स्थान/लोकेशन		रकबा वर्ग मीटर	
		राजस्व गाव	खसरा नंबर	वर्ग मीटर	
शिमला	शिमला (शहरी)	उप मोहाल काली बाडी शिमला	886	50-49	गैर मुमकिन अहाता
			887	12-96	गैर मुमकिन बरामदा
			888	18-56	गैर मुमकिन बरामदा
			889	147-92	गैर मुमकिन मकान तीन मंजिला
			890	21-56	गैर मुमकिन केन्टीन कच्ची
			891	18-60	गैर मुमकिन केन्टीन
			892	115-60	गैर मुमकिन कार्यालय कच्चा दो मंजिला
			893	1294-83	गैर मुमकिन सेहन
			894	591-22	गैर मुमकिन कार्यालय कच्चा तीन मंजिला
			895	01-69	गैर मुमकिन पहरा घर
			896	1538-86	गैर मुमकिन अहाता
			897	06-95	गैर मुमकिन शोचालय
			898	10-15	गैर मुमकिन गोदाम
		कुल खसरा नंबर	13	3874-39	

आज दिनांक 13 अक्टूबर 2016 को मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी

उप मंडल (शिमला) उपमंडल अधिकारी
Shimla Sub-~~शिमला~~ (शहरी) (ना.)
Shimla
Dated 13th, October, 2016

Endst.No.Reader/2016- 664 - 73

Forwarded to:

1. The Deputy Commissioner, Shimla for information and necessary action please.
2. The Commissioner, Municipal Corporation with the request to direct the Ward Counsel of Kali Bari Area to be present on the above mentioned date and time during public hearing.
3. The Director Language and Culture for necessary action please.
4. The District Public Relation Officer, Shimla with Four spare copies for publication in two local news papers and submit bill to the Director Language and Culture Department for payment.
5. The District Information officer Shimla with the request to upload the information on the website of the State Government/ Deputy Commissioner Shimla.
6. The Deputy Director (Research) SIRD Himachal Pradesh Social Impact Assessment Unit, HIPA, Fair lawns, Shimla-12 for information and necessary action.
7. The Tehsildar, Shimla (Urban) with 100 spare copies for publication in the municipal limit. One copy of the notice be got affixed on the convenient place on or near the land being acquired and compliance be reported.
8. M/S Plan Foundation, Broadway Enclave, Sanjauli, Shimla-171006 for information and necessary action.
9. The Assistant Commissioner to Deputy Commissioner, Shimla with the request to book the Bachat Bahawan for the public hearing in the name of SDO Shimla (Urban) on 5th, November 2016 from 10-00 AM to 5-00 PM.

उप मंडल (शिमला) उपमंडल अधिकारी
Shimla Sub-Division
Shimla

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

17/11/16
Dir. Shimla
Add. Dir.
DU
RD
Sd. (Tg.)
7A

BEFORE COLLECTOR CUM - SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL)
SHIMLA, (URBAN)

3579
7/11/16

PUBLIC HEARING NOTICE

Under Section 5 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

Whereas it appears to the Government of Himachal Pradesh through the Department of Language, Art and Culture intends to acquire Bantony Castle Estate, Up Mohal Kali Bari, Tehsil Shimla (Urban) District Shimla at the public expenses for a public purpose namely setting up of Urban Museum for the use of general public for the promotion of Art & Tourism in the State as per the schedule given below:

Himachal Pradesh Social Impact Assessment Unit as per section 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 has prepared and submitted the Draft Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan (both in Hindi and English) for the public under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

This notice is hereby issued under the provision of section 5 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 to all whom it may concern for seeking feedback on the findings of the Draft Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan (published both in Hindi and English) and to seek any other additional information as deemed necessary for incorporation in the final document/report.

Therefore, in exercise of the powers conferred under section 5 of the Right to Fair compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. I, Hemis Negi, HPAS, Sub Division Collector Shimla (Urban) do hereby notify the date /time and venue for the public hearing as under:

Place of public hearing	Bachat Bhawn, Deputy Commissioner, Shimla Office
Date of Hearing	05/11/2016
Time	10-00 AM to 5-00 PM

Therefore, any person interested, who has any objections, to the aforesaid draft report within the limits of Shimla Municipal Corporation, within three weeks of the publication of this notice may file objection in writing before me on the date of public hearing. The Draft report both in English and Hindi is available in the office of Deputy Commissioner, Shimla, Commissioner Municipal Corporation Shimla, and acquiring department i.e. Art and Culture department & on the web site i.e. www.hpshimla.nic.in and www.himachal.nic.in/hipa

COLLECTOR,
Shimla Sub-Division
Shimla

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

SCHEDULE OF PROPERTY					
District	Tehsil	Location			Area in SQ. Mtrs
		Village	No. old Khasra	Sq. Mtrs	
Shimla	Shimla(Urban)	Up Mohal Kali Bari	886	50-49	Gair mumkin Ahahata
			887	12-96	Gair Mumkin Bramda
			888	18-56	Gair Mumkin Bramda
			889	147-92	Gairmumkin Makan three story
			890	21-56	Gair Mumkin Canteen kachhi
			891	18-60	Gair Mumkin Canteen
			892	115-60	Gairm Mumkin office Kaccha two story
			893	1294-83	Gair Mumkin Sehan
			894	591-22	Gairm Mumkin office Kaccha three story
			895	01-69	Gair mumkin Para Ghar
			896	1538-86	Gair mumkin Ahahata
			897	06-95	Gair Mumkin toilet
			898	10-15	Gair Mumkin Godam
		Kita	13	3874-39	

Issued on dated the 13th, October, 2016.

Endst.No.Reader/2016- 655-63
Sub Divisional Collector Shimla (urban)
Shimla, 13th October, 2016

Forwarded to:

1. The Deputy Commissioner, Shimla for information and necessary action please.
2. The Commissioner, Municipal Corporation with the request to direct the Ward Counsel of Kali Bari Area to be present on the above mentioned date and time during public hearing.
3. The Director Language and Culture for necessary action please.
4. The District Public Relation Officer, Shimla with Four spare copies for publication in two local news papers and submit bill to the Director Language and Culture Department for payment.
5. The District Information officer Shimla with the request to upload the information on the website of the State Government/ Deputy Commissioner Shimla.
6. The Deputy Director (Research) SIRD Himachal Pradesh Social Impact Assessment Unit, HIPA, Fair lawns, Shimla-12 for information and necessary action.
7. The Tehsildar, Shimla (Urban) with 100 spare copies for publication in the municipal limit. One copy of the notice be got affixed on the convenient place on or near the land being acquired and compliance be reported.
8. M/S Plan Foundation, Broadway Enclave, Sanjauli, Shimla-171006 for information and necessary action.
9. The Assistant Commissioner to Deputy Commissioner, Shimla with the request to book the Bachat Bahawan for the public hearing in the name of SDO@Shimla(Urban) on 5th, November 2016 from 10-00 AM to 5-00 PM.

COLLECTOR,
Sub Divisional Collector Shimla (Urban)
Shimla


बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

Attendance of participants who attended the Public hearing for the purpose of acquisition of Bantony Castle on 05/11/2016 in the Bachat Bhawan, under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

Sr. No	Name of participants	Signature	Mobile No.
1	Hemis Nyi Samlu	[Signature]	94181-16667
2	Ritok SURYAVANSHI	[Signature]	9418036094
3	Bal Raj Negi	[Signature]	94181-40690
4	Jileendra Datta	[Signature]	91290-57008
5	Viral Misra	[Signature]	7827826665
6	Hanu Sood	[Signature]	9816088388
7	Narish Kumar (Anjabkaran)	[Signature]	9418005732
8	Devender Sharma, J.T.A. (Archives) Language Deptt. Shimla-9	[Signature]	94184-33779
9	Pratima Chauhan Chauhan -9 City Council	[Signature]	8988179721
10	Vikram Kumar	[Signature]	9218522144
11	Deepak Chauhan Vipalpur	[Signature]	94187-04627
12	Rajinder Parmar (DP Nagar)	[Signature]	981667864
13	Ajay Malhotra (Social Welfare Organization)	[Signature]	9816132561
14	Virender Kumar	[Signature]	91293-95446
15	Him Institute for Rural Development H.P.	[Signature]	
16	Vishwanath	[Signature]	9418700382
17	ANUJ GOEL	[Signature]	9816000083
18	Virender Sibalohia	[Signature]	94595-57001

बैटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

अनुबंध XII: जनसुनवाई के दौरान प्राप्त किये गए आपत्ति/सुझाव



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

अधिग्रहण से आम आदमी को लाभ होगा या जनता के करोड़ों रूपए यूं ही इस सम्पत्ति को खर्च करने में बर्बाद हो जाएंगे।

8. इतने पैसे से शिमला के नजदीक और शहर बसाया जा सकता है। जिसके लिए बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था की जा सकती है। जिससे शिमला की यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी व पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

9. शिमला यातायात व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि कच्ची घाटी या पंथाघाटी से मुख्य शिमला तक पहुंचने के लिए एक घंटे से भी अधिक समय लगता है। इसके बारे में सरकार व अधिकारियों को सोचने की जरूरत है।

आम जनता सरकार से मांग करती है कि वह उपरोक्त विषयों पर ध्यान दें, जिससे प्रदेश का विकास सुनिश्चित हो और लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो।

धन्यवाद सहित

आम जनता के हस्ताक्षर

1. विनाय सिंघ 16 Njay Malhotra 9816132561
2. नरेश शर्मा 981658510517 Harsh Kukreja 9816072777
3. भूषेन्द्र कुमार 98160068013 18 Lucky Sharma # 9736030346
4. दिनेश शर्मा 8988363322 19 Ashok Verma # 9805598382
5. रमेश शर्मा 9816095169 20 Vamkuthula 9816463074
6. गौरव लाम्बा 948039857 21 Denuh 9816437000
7. संजीव शर्मा 9418957077 22 Venu Sood 9816599460
8. दीपक शर्मा 9816071823 23 Harpreet Singh 9418500998
9. अशोक - वरुणा 8679711000 24 Ramesh Sharma 9459301888
10. नरेश पाल 9816969213 25
11. Inder Kuth 9418110072 26
12. Anit Kohli - 9816122200 27
13. Naveen Paul - 9816026770 28
14. Sanjeev Gupta 9218500911 29
15. Raj verma 9418044414 30
16. Deepak Kohal # 9816365031
17. Kamlesh Nezi # 8091250002

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

To,

Sub Divisional Land Acquisition Collector (Urban),
D.C. office, Mall Road,
Shimla

Subject : Objection on behalf of the Legal heirs of Sukarma Devi , Daughter of Late Shri Ram Krishan ,
Son of Late Shri Lehnu Mal in acquisition of (Bantony Castle , Kali Bari) build on Khasra No.887
.888,889,890,891,892,893,894,895,896,897 & 898

Sir,

This has reference to the notice no Reader/2016-655-63 Dated 13/10/2016 on the subject cited
above where in it has been stated that any person (s) can file objections before you on the date of
public hearing within three weeks of the publication of this notice.

In this context it is brought to your kind notice that we are a party in the case and have already
intimated you as per Annexure A enclosed

Further as per notice the area of acquisition mentioned as 3874.39 Sq. Mts whereas the area of
the estate much more than what is proposed to be acquired. The Govt. should acquire Entire area
of the estate and not as mentioned in the notice dated 13.10.2016.

We are sons & daughters of late. Shri Sukarma Devi Sood (Chimra) W/o Late Shri Hans Raj Sood
(Chimra) and D/O Late Shri Ram Krishan Sood , Son of Late Shri Lehnu Mal Sood


We wish to inform the honorable authority that the property which is sought be acquired was
owned by Sh. Ram Krishan Sood Son of Sh. Lehnu Mal , who was ancestor of five sons namely
Chander Pal, Amar Nath, Vishwa Nath, Govind and Hem Raj and one daughter Smt. Sukarma Devi
Smt. Sukarma Devi died in the year 2009 and was succeeded by her son Rajesh
Chimra, daughters : Neelam Bhagra, Madhu Sood and Desh Bandhu son of Late Sh. Sukarma Devi
is survived by Aruna Sood W/O late Desh Bandhu Sood , Manu Sood, Ankur Chimra
and Nandani Vaid sons and daughters of late Sh Desh Bandhu Sood.

The keys facts & Objections are stated as following :

1) That after the death of Shri Ram Krishan, his estate was to devolve on his sons, children and widow
of predeceased son as well as upon her daughter. However, at the time of attestation of mutation of his
estate which mutation was attested on 26.10.1993 vide mutation No.11, of
Up Mohal Kalibari, Mohal Station Ward Bada Shimla, name of Smt Sukarma Devi, his daughter was
omitted and it was wrongly represented at the time of the attestation of mutation that Late Sh. Ram
Krishan was only having sons and no daughter. Any proof after that is forged by existing beneficiaries
for their own interest. The fact that Sukarma Devi was daughter of late Ram Krishan Sood was known
to his sons and they intentionally and willfully omitted to bring this fact to the notice of the Assistant
Collector Concerned at the time of attestation of mutation. Being the daughter Smt. Sukarma Sood was
entitled to 1/6" share in the estate of Sh. Ram Krishan in the Bantony Castle.

Presented by
Sh. Manu Sood
on 5/11/2016
Lm
5/11/2016

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

The Sub Divisional Collector,
Shimla Urban,
SHIMLA

Subject: Objections on behalf of the owners to the draft report prepared By Social Impact Assessment Unit under section 5 of the Right To Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 in respect of intended acquisition of part of Bantony Estate vide notification No LCD-F (5)-2/2001-L dated 1st June, 2016.

Respectfully sheweth

PRELIMINARY OBJECTIONS

- I. That the draft report so prepared and for which the objections have been invited on 5.11.2016 vide Your public notice No Reader/ 2016-655-63 dated 13th October, 2016 has not been prepared by the persons / officials whom the task was assigned by H P Government to form the Social Impact Unit vide notification dated 1.6.2016 mentioned as subject. The Chair person and the members have outsourced their statutory duty under the law to a private organization / NGO namely PLAN organization and have not involved themselves personally for the task assigned to them under the notification. This duty of judicial nature cannot be shifted, ^{delegated} ~~delegated~~ or outsourced to any other person or organization. Thus this report is liable to be rejected on this ground.
- II. That Himachal Pradesh Government has moved its machinery to acquire the entire Bantony Estate in response and study of various aspects, recommendations and objections of the owners thus the draft report so prepared for only 3874.39 sq. meters becomes infructuous, null and void.

That the acquiring department, i.e. The Director, Languages, Art and Culture department has not provided any proof in shape of documents or otherwise such as names of the committee members or officers so designated who explored to look for availability of some other suitable land and after their search came to conclude that no other suitable land for the required public purpose was available. This denial of non-availability of land is just a mechanical refusal without any efforts or action in this matter to complete the formalities of officially recording without putting any efforts to search for other suitable land for the purpose. This is a lapse because of which no further action of preparing any report could have taken place.

- IV. That it is obvious that this latest and new attempt to acquire the best and most valuable part of the property and rendering the balance land of no practical use to the owners smacks of another attempt, like the previous many others, of malafides by the government to harass the

[Handwritten signature]

*Presented by
Sh. Vishnu Nath
Social Ady.
on 5/11/2016
by
5/11/2016*

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

The Sub Divisional Collector,
Shimla Urban,
SHIMLA

Subject: Objections on behalf of the owners to the draft report prepared By Social Impact Assessment Unit under section 5 of the Right To Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 in respect of intended acquisition of part of Bantony Estate vide notification No LCD-F (5)-2/2001-L dated 1st June, 2016.

Respectfully sheweth

PRELIMINARY OBJECTIONS

- I. That the draft report so prepared and for which the objections have been invited on 5.11.2016 vide Your public notice No Reader/ 2016-655-63 dated 13th October, 2016 has not been prepared by the persons / officials whom the task was assigned by H P Government to form the Social Impact Unit vide notification dated 1.6.2016 mentioned as subject. The Chair person and the members have outsourced their statutory duty under the law to a private organization / NGO namely PLAN organization and have not involved themselves personally for the task assigned to them under the notification. This duty of judicial nature cannot be shifted, ^{delegated} ~~delegated~~ or outsourced to any other person or organization. Thus this report is liable to be rejected on this ground.
- II. That Himachal Pradesh Government has moved its machinery to acquire the entire Bantony Estate in response and study of various aspects, recommendations and objections of the owners thus the draft report so prepared for only 3874.39 sq. meters becomes infructuous, null and void.


Presented by
Sh. Vishva Nath
Social Study
on 5/11/2016
by
5/11/2016

That the acquiring department, i.e. The Director, Languages, Art and Culture department has not provided any proof in shape of documents or otherwise such as names of the committee members or officers so designated who explored to look for availability of some other suitable land and after their search came to conclude that no other suitable land for the required public purpose was available. This denial of non-availability of land is just a mechanical refusal without any efforts or action in this matter to complete the formalities of officially recording without putting any efforts to search for other suitable land for the purpose. This is a lapse because of which no further action of preparing any report could have taken place.


- IV. That it is obvious that this latest and new attempt to acquire the best and most valuable part of the property and rendering the balance land of no practical use to the owners smacks of another attempt, like the previous many others, of malafides by the government to harass the

[Signature]

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट




बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

Hindu Undivided family Messers Ram Krishan & Sons or that Hindu undivided family Ram Krishan And Sons constituted with Sukarma Devi as its member copartner. Law, as it stood at relevant time, is clear that only male members in the family would constitute a Hindu undivided family. Smt Sukarma Devi was married in the year 1944 and thus had ceased to be a member in the family comprised of Lala Ram Krishan as karta long time before the property was purchased by Ram Krishan and Sons.

11. That it is again objected to, being wrong, the inclusion of names of Ranjay Trehan, Rajesh Sood and Manu Sood in the history of ownership of the property as done at page 55 of the draft report for the reasons already mentioned above.
12. It is wrong and strongly objected to include the name of Smt Sukarma Devi in the list of effected families at page 60 of the draft report as membership of Hindu Undivided Family, Ram Krishan & sons whose karta was Lala Ram Krishan. Sukarma Devi, his daughter had been married long time back in the year 1944 and also being a female could not be included as a member / coparcener of Hindu Undivided family as per the law existing at the relevant time. The conclusion to include the name Of Smt Sukarma Devi was absolutely wrong. Even in revenue records, nowhere, the name of Sukarma Devi existed as owner or title holder and it seems these records were never examined thoroughly and properly while preparing the report.
13. Names of Rajesh Sood, Manu Sood and Ranjay Trehan have again been included wrongly, for the reasons already explained, in demographic table at page 66 of the draft report despite the remarks in the draft report that Shri Ranjay Trehan could never be traced or contacted. It is not understood, how his name was fished out to be included at various columns of the draft report when he was never available nor any records show his title. The report of the land Acquisition Collector, Shimla during the acquisition proceedings of the year 2013 clearly excludes his name from being a title or interest holder. In the property intended to be acquired.
14. It is a very clear case of mala fide treatment of owners by the H P government with respect to *Bantony Estate*. Under the headings LIVLIHOOD of the draft report, it is absolutely wrong to say that the owners have or had no livelihood from this vast property. It was under tenancy of H P Government till the beginning of the year 2011 as also with two private individuals who used to run canteen here while government offices were functioning. There was ample scope of livelihood and many projects, being the best and premium sight in the town, but the same was always marred and blocked by H P Government and one particular political party because of battles between the ruling and opposition parties by issuing repeated notices and actions of acquisition and refusal to vacate the premises under tenancy. Even when the owners got vacant possession of the property and tried to restore it to give it a decent and presentable look for earning livelihood to a very large family, false excuses, reasons of heritage etc were quoted by the government to stop the legal repair and restoration work thus causing a huge financial loss of more than rupees twenty lakhs to the owners. When the clarification of these obstacles



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

was sought and found to be without basis, another futile attempt to acquire the property in the year 2013 was initiated. The property was under the shadow of MALAFIDE acquisition right since the year 1968 to 1971, 1975 to 1986, 1986 to 1996 (when the Hon'ble High Court intervened to set aside a wrong award) again from 2004 to 2008 (when takeover through negotiation was finalized, only to back out after giving false assurances of takeover). It can under no stretch of imagination be said that this property did not or could not provide livelihood to the owners.


15. It is again objected to the names of Rajesh Sood, Manu Sood and Ranjay Trehan in VALUNERABLE GROUP at page 67, (Para 6.3) of the draft report. Mere verbal or unsupported claim of title or stake in the property cannot be made part of assessment of social impact. For example if one hundred false claimants are arranged to claim a stake on verbal statements by any owner or a person who may not be interested in the acquisition, it would become almost impossible to proceed with the acquisition as the determination of the correctness of the stake of such false persons claiming to be stake holders will consume so much time that the entire acquisition proceedings would be liable to lapse because of time limitations under various sections provided under the new acquisition act of the year 2013.

16. It is repeated again and objected to include the name of Smt Sukarma Devi as member or coparcener of Hindu Undivided family whose karta was Sh Ram Krishan as has been done at page 68 of the draft report under the heading kinship pattern at page 68. This is contrary to legal provisions.

17. The suggestion in the draft report under the heading MITIGATION MEASURES at page 76 of the report for compensation to the interested persons is objected to because it is a well known fact and existing procedure that The Collectors, Land Acquisition throughout the state of H P never take any steps to assess the correct MARKET VALUE nor do they allow the claimants of compensation to lead evidence to prove the correct market rate before announcement of award. The Land Acquisitions Act provides that market value along with solotium etc is to be given to the persons who are interested or effected but the collectors avoid it and announce the awards on the basis of circle rates thus shifting the burden of assessing the market value of the property being acquired to higher courts such as that of the District Judge or High Court. This approach of the collectors is a clear cut case of adopting an attitude of shirking the duties of assessing the market rates assigned under the acquisition act and as such causes unnecessary inconvenience and litigation etc.

18. It also objected to the process of assessment of true negative mitigation at page 77 of the report. No ways have been suggested to overcome such impact or actual cost assessed. It is a vague approach as put in the draft report.

19. It is submitted that an observation at page 78 in draft report is absolutely right that no approach to remaining land will remain if partial acquisition of the property as proposed by the



बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

government. This will render the balance unacquired land in Bantony Estate as useless and unapproachable by the owners. This observation in draft report also strengthens the plea of the owners that if acquisition is to be done, it should be done for the entire Bantony Estate and not partial 3874.39 Sq Meters.

20. It is again a casual objectionable approach while preparing this draft report about increase in number of visit of tourists as at page 81. No efforts have ever been made or depicted in the report as to how many tourists ever visited the existing museums so that any comparison could be made. This surmise seems to be an attempt to please the persons who intend to execute this project.

21. In conclusion, it is submitted that the draft report at pages 91 and 93 has rightly observed and finally recommended that the entire estate should be acquired to reduce the mitigation circumstances as well as complexities. This is also a correct observation in draft report that the remaining land when acquired by H P Government will afford more opportunities for increase of tourist influx and other facilities to the public as well as to the town.

Any point not covered under these objections by oversight but forming the part of the draft report will be agitated if and when HP government will start acquisition proceedings.

It is, therefore, prayed that the draft report prepared for which the objections are being sought be rejected and filed. No action of acquisition of part of land in Bantony estate i.e. acquisition of only 3874.39 Sq Meters against the interest of the owners be taken on the basis of this report and the final recommendations in the draft report of acquiring the entire Bantony Estate be taken and completed.



 (Chanderpal) (Vishwanath) (Kirti Sood) (Anil K Sood) (Ajay Sood) (Atul & Sood) (Mudita) (Rashi) (Veena Sood)

OBJECTORS- CO-OWNERS

Sterling Castle, Longwood,
Shimla- 171001.

Shimla: Dated 5th November, 2016

**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

अनुबंध XIII: जनसुनवाई के दौरान प्राप्त की गई आपतियों पे दिए जवाब व टिप्पियाँ

आम जनता के द्वारा उठाई गयी आपतियां		
क्रमांक	उठाये गए आपतियां	जवाब व टिप्पणियां
1	आम जनता में यह आक्रोश है कि राज्य सरकार इस सम्पत्ति को क्यों ले रही है।	परियोजना व जन उद्देश्य अध्याय 1.1 के तहत परिभाषित किया गया है।
2	भाषा एवं संस्कृति विभाग के पास मालरोड पर एक सम्पत्ति है, जिसको सुचारु रूप से चलाना मुश्किल है। इसके अलावा जो और सम्पत्ति इस विभाग इस विभाग के पास है, उसका तो रख-रखाव विभाग नहीं कर पा रहा। अब और सम्पत्ति लेने का क्या औचित्य है, आम जनता में इस बात को लेकर आपत्ति व रोष है।	जन उद्देश्य व परियोजना विवरण अध्याय 2.2 व 2.3 के तहत रिपोर्ट में समझाया गया है।
3	इस सम्पत्ति की कीमत करोड़ों में है, जो सरकार सम्पत्ति मालिक को पैसा देगी, उससे दो गुणा सम्पत्ति मालिक बाद में न्यायालय द्वारा ले लेंगे।	मुआवजे का फैसला RTFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के मुताबिक किया जाएगा।
4	इस सम्पत्ति में जो मकान बने हैं, जिन्हें भाषा एवं संस्कृति विभाग को देना है। उनकी हालत बहुत खराब है। इसे बनाने के लिए करोड़ों रूपए सरकार के खर्च होंगे, जो आम आदमी के पैसे की बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह करोड़ों रूपए आम आदमी के खून-पसीने की कमाई है, जो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अभी तक सरकार ने भूमि मालिक को 35 करोड़ का प्रलोभन दिया है, जो बढ़कर 100 करोड़ से भी ऊपर हो सकता है।	मुआवजे का फैसला RTFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के मुताबिक किया जाएगा।

**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

5	इतना पैसा यदि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण व अन्य विकास कार्यों पर खर्च करती है आम आदमी को कितना फायदा होगा, ये सरकार में बैठे अधिकारी व राजनीतिज्ञ समझ नहीं पा रहे हैं।	परियोजना व जन उद्देश्य अध्याय 1.1 के तहत परिभाषित किया गया है।
6	आम आदमी में यह रोष है कि शिमला का यातायात प्रदूषण, सड़क व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। इन मूलभूत सुविधाओं के बारे में सोचने की बजाए सरकार सफेद हाथी पालने जा रही है। इस पैसे से प्रदेश सरकार बहुत से अन्य जनहित कार्यों पर खर्च कर आम आदमी की जरूरतों को पूरा कर सकती है।	परियोजना व जन उद्देश्य अध्याय 1.1 के तहत परिभाषित किया गया है।
7	जो अधिकारी इस अग्रिहण कार्य में लगे हैं। जनता यह जानना चाहती है कि क्या इस अग्रिहण से आम आदमी को लाभ होगा या जनता के करोड़ों रूपए यूं ही इस सम्पत्ति को खर्च करने में बर्बाद हो जाएंगे।	परियोजना व जन उद्देश्य अध्याय 1.1 के तहत परिभाषित किया गया है।
8	इतने पैसे से शिमला के नजदीक और शहर बसाया जा सकता है। जिसके लिए बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था की जा सकती है। जिससे शिमला की यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी व पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।	परियोजना व जन उद्देश्य अध्याय 1.1 के तहत परिभाषित किया गया है।
9	शिमला यातायात व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि कच्ची घाटी या पंथाघाटी से मुख्य शिमला तक पहुंचने के लिए एक घंटे से भी अधिक समय लगता है। इसके बारे में सरकार व अधिकारियों को सोचने की जरूरत है।	परियोजना व जन उद्देश्य अध्याय 1.1 के तहत परिभाषित किया गया है।

**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

स्वर्गीय श्रीमती सुकर्मा देवी, श्री मनु सूद और श्री राजेश सूद के द्वारा उठाई गयी आपतियां		
क्रमांक	उठाये गए आपतियां	जवाब व टिप्पणियां
	मुख्य तथ्य व आपतियों निम्न प्रकार से हैं।	
1	श्री राम कृष्ण के निधन के बाद उसकी जायदाद को उसके बेटों, बच्चों और पहलेमर चुके बेटे की विधवा और उसकी बेटी के नाम हस्तांतरित कर दिया गया था। हालांकि उसके अप मोहाल कालीबाड़ी ,मोहाल स्टेशन वार्ड शिमला में इंतकाल के सत्यापन के दौरान उसकी बेटी श्रीमती सुकर्मा देवी का नाम हटा दिया गया था और उस समय इंतकाल के सत्यापन के मौके पर ये गलत बताया गया था कि स्वर्गीय श्री राम कृष्ण के बेटे ही हैं, बेटी नहीं हैं। उसके बाद अपने स्वार्थ व हितों के लिए मौजूदा लाभार्थियों ने ऐसे किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ की। तथ्य यह है कि सुकर्मा देवी स्वर्गीय श्री राम कृष्ण की बेटी थी और यह बात उसके बेटों को मालूम थी। उन्होंने इरादतन व जानबूझ कर इस तथ्य को इंतकाल के सत्यापन के समय संबंधित सहायक कलेक्टर के नोटिस में लाने का काम किया। बेटी होने के नाते श्रीमती सुकर्मा देवी श्री राम कृष्ण की बेंटनी कैसल में स्थित जायदाद में से 1/6 हिस्से को प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं।	जमीन का टाइटल/ मालिकाना का फैसला करना सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन की परिधि में नहीं आता।
2	हम माननीय अथारिटी से प्रार्थना करते हैं कि राजस्व प्रविष्टियां तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट नहीं करती हैं। हम सुकर्मा देवी के वारिस मुआवजे, जिसे आपकी ओर से आकलित किया जा सकता है, के 1/6वें भाग के अधिकारी हैं।	जमीन का टाइटल/ मालिकाना का फैसला करना सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन की परिधि में नहीं आता।
3	माननीय सरकार की ओर से निर्धारित की गई मुआवजे की राशि मौजूदा बाजार दरों से तुलनात्मक तौर पर बहुत ही कम है, इसलिए यह प्रस्तुत मुआवजे से तीन चार गुणा ज्यादा होना चाहिए।	मुआवजे का फैसला RTFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के मुताबिक किया जाएगा।
4	अधिकारी वर्ग की ओर से प्रापर्टी के मुख्य उपर के लॉन व दो मकानों को अधिग्रहित करने की मंशा जाहिर की गई है। इस तरह जमीन के बड़े भाग को छोड़ दिया गया है, इस पर हमारी आपति है और दलील है कि सारी संपत्ति अधिग्रहित की जानी चाहिए।	रिपोर्ट में पहले की सिफारिश की जा चुकी है।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

5	मौजूदा लाभार्थियों के खिलाफ माननीय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में केस नंबर CS/6/2015(राजेश चिमरा बनाम चंद्र पाल सूद) एक सिविल प्रोसीजर/ मुकदमा दायर किया गया है और माननीय हाईकोर्ट की ओर से उद्धृत संपत्ति पर "यथा स्थिति" बनाए रखने के आदेश पारित हुए हैं।	कोई टिपण्णी नहीं
6	आगे यह प्रार्थना की जाती है कि अगर यह अदालत मुआवजे की राशि के अधिकारी व्यक्तियों को फैसला करने मुआवजा राशि को निर्धारित करने में नाकाम रहती है, तो जिला जज के समक्ष रेफरेंस दायर किया जाएगा, ऐसे में गैर कानूनी व गलत राजस्व प्रविष्टियों के आधार पर अवार्ड पास ही नहीं किया जा सकेगा/ या ट्रेजरी में रखा जाना चाहिए।	SIA अध्ययन के दायरे में नहीं आता है

**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

श्री चंद्रपाल, श्री विश्वनाथ , श्रीमती कीर्ति सूद, श्री अनुज गोयल, श्री अनिल सूद, श्री अजय सूद, श्री अतुल सूद, मुदिता सूद, राशी सूद और श्रीमती वीणा सूद के द्वारा उठाये गइ आपतियां

क्रमां क	उठाये गए आक्षेप	जबाब व टिप्पणियां
	प्रारंभिक आक्षेप	
I	<p>कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया और जिसके लिए आपके सार्वजनिक नोटिस नंबर रीडर/ 2016-655-63 दिनांक 13 अक्टूबर 2016 के तहत आपतियां मांगवाई गई,उसे 1 जून 2016 की सरकार की ओर से सामाजिक प्रभाव इकाई को गठन को लेकर जारी अधिसूचना के तहत जिन व्यक्तियों व कर्मियों को काम सौंपा गया था,ने तैयार नहीं किया है। अध्यक्ष और सदस्यों ने कानूनके तहत अप नी वैधानिक ड्यूटी को एक निजी संस्था/प्लान आर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स कर दिया और अधिसूचना के तहत उन्हें सौंपे गए काम में उन्होंने खुद को व्यक्तिगत तौर पर शामिल नहीं किया। इस तरह न्यायिक किस्म की ड्यूटी को किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित,नामित या आउटसोर्स नहीं किया जा सकता।</p>	<p>एसआईए अध्ययन और उसके बाद ड्राफ्ट एसआईए रिपोर्ट को " HP RTFCTLARR (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015 के तहत तैयार किया गया है जहां पर नियम 4,5,6 एसआईएयू और एसआईए टीम के चयन व उसके कार्य के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट तौर पर दर्ज किया गया है।</p>
II	<p>कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न पहलुओं के अध्ययन,सिफारिशों व मालिकों की आपतियों के जवाब में पूरी बेंटनी एस्टेट को अधिग्रहण करने के लिए अपनी मशीनरी को हरकत में लाया था जबकि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई गई है वो केवल 3874.39 वर्गमीटर के बारे में तैयार की गई हैं,इस तरह यह इन्फ्रक्चुअस व शून्य हो जाती है।</p>	<p>कोई टिपण्णी नही </p>

**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

III	<p>कि अधिग्रहण करने वाला विभाग, उदाहरणतय: भाषा, कला, व संस्कृति विभाग के निदेशक ने दस्तावेजों या किसी अन्य रूप में, जैसे कमेटी के सदस्यों या अधिकारियों नामों को, जिन्हें किसी अन्य बेहतर जगह की उपलब्धता की तलाश के लिए नामित किया हो और अपनी खोज के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हो कि इस सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई और जगह उपलब्ध नहीं थी, के सबूत मुहैया नहीं करवा पाए। जमीन की अनुपलब्धता को लेकर यह इंकार इस मामले में आधिकारिक दस्तजावेजों में औपचारिकता को दर्ज करने के लिए दर्ज बिना किसी प्रयास व कार्रवाई के चलते किया गया इंकार हैं। जबकि इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य जगह पर उपयुक्त जमीन तलाश करने की कोशिश ही नहीं की गई। यह एक चूक है क्योंकि इस कार्रवाई के बगैर किसी भी तरह की आगे की रिपोर्ट को तैयार करने का काम ही नहीं सकता था।</p>	<p>हिमाचल प्रदेश सरकार के भाषा, कला व संस्कृति विभाग के 26 जुलाई 2016 के पत्रांक संख्या Bhasni-8/2013- Bantony Castle 7644 के मुताबिक इस काम के लिए शहर में कोई और वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं हैं।</p>
IV	<p>कि यह स्पष्ट है कि इस संपत्ति के इस बेहतर व सबसे बेशकीमती हिस्से को अधिग्रहण करने व शेष भाग को व्यावहारिक तौर पर मालिकों के किसी भी तरह के व्यावहारिक इस्तेमाल न होने को छोड़ देने को पूर्व की कई कोशिशों की तरह मालिकों को उत्पीड़ित करने की सरकार की बुरी मंशा के प्रयासों की तरह ही वर्तमान व नई कोशिश भी मालिकों के मुंह पर तमाचे मारने का प्रयास हैं। स्थानीय विधायक सुरेश भारद्वाज ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को तैयार के समय उनसे पूछे गए सवाल के जवाब में बिलकुल सही कहा कि यह राजनीति से प्रेरित एजेंडा हैं और इस प्रस्तावित अधिग्रहण में जनहित की जरूरत पर भी सवाल खड़ा किया।</p>	<p>प्रोजेक्ट और जन उद्देश्य को अध्याय 1.1 के तहत परिभाषित किया गया हैं।</p>
मेरिट पर आपतियां व प्रार्थनाएं		

**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

1	<p>कि ड्राफ्ट रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 9 व 10 में सुझाए गए शमन कदम इस मायने में चालू किस्म के हैं कि बाजार दर पर मापदंडों की वास्तविक मात्रा की गणना की प्रक्रिया में गए बगैर केवल कुछ नियमों को उद्धृत कर दिया गया।</p>	<p>विस्तृत परियोजना वयवहारिकता/ प्रस्ताव की गैर मौजूदगी में परियोजना लगत औत चरण, प्रस्तावित आधारभूत ढांचा सुविधाएँ, कार्यबल आवश्यकता, आउटपुट, जोखिम, उत[अदन लक्ष्य नहीं किया जा सका </p>
2	<p>कि ड्राफ्ट रिपोर्ट के पृष्ठ नंबर 15 पर यह निष्कर्ष गलत है कि साल 2004 में बातचीत को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। हिमाचल सरकार के भाषा, कला व संस्कृति विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 5 अप्रैल 2004 को हुई बैठक की लिखित कार्यवाही में यह पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि वार्ताएं पूरी हुई थी। जमीन, भवनों व वृक्षों की कीमत को भी अंतिम रूप दे दिया गया था व मालिकों को मुहैया कराई गई लिखित कार्यवाही में इसका जिक्र है। यह हिमाचल प्रदेश सरकार थी जो सौदे को पूरा करने में विफल रही। संभवतः (जैसा कि मालिकों को बताया गया) इस उद्देश्य के लिए धन की कमी रही जिससे मालिकों को बेवजह कठिनाइयों व उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।</p>	<p>फलस्वरूप गलती को सुधार लिया गया है।</p>
3	<p>कि रिपोर्ट के पृष्ठ नंबर 23 पर क्रम संख्या 8 में प्रस्तावित व कानूनन जरूरी शेष व सामाजिक लागत के आखिरी आकलन की रकम को मुहैया नहीं कराया गया।</p>	<p>विस्तृत परियोजना वयवहारिकता/ प्रस्ताव की गैर मौजूदगी में परियोजना लगत औत चरण, प्रस्तावित आधारभूत ढांचा सुविधाएँ, कार्यबल आवश्यकता, आउटपुट, जोखिम, उत[अदन लक्ष्य नहीं किया जा सका </p>

**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

4	<p>कि ड्राफ्ट रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 25 व बाद में अन्य स्थानों पर यह स्पष्ट किया गया है कि जिस संपत्ति को अधग्रहित करने की मंशा जाहिर की गई है वह शिमला में सबसे ज्यादा प्राइम संपत्ति हैं लेकिन इसकी बाजार कीमत को प्रीमियम दरों पर जो शहर में किसी भी अन्य संपत्ति से कहीं अधिक है, के आकलन के लिए विशेष प्रवधानों या प्रयासों को अमलीजामा पहनाने के लिए कुछ नहीं किया गया।</p>	<p>मुआवजा RTFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा।</p>
5	<p>ड्राफ्ट रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 29 पर क्रमांक 2 व 3 पर यह स्वीकार किया गया है कि किसी भी तरह के लागत अध्ययन को नहीं किया जा सकता। इस बावत दिए गए कारण खोखले हैं क्योंकि रिपोर्ट को तैयार करते समय संबंधित जगहों से जरूरी सूचनाओं को एकत्रित करने का प्रयास ही नहीं किया गया।</p>	<p>विस्तृत परियोजना वयवहारिकता/ प्रस्ताव की गैर मौजूदगी में परियोजना लगत औत चरण, प्रस्तावित आधारभूत ढांचा सुविधाएँ, कार्यबल आवश्यकता, आउटपुट, जोखिम, उत[अदन लक्ष्य नहीं किया जा सका </p>
6	<p>कि रिपोर्ट के पृष्ठ नंबर 31 पर तालिका 7 में कुछ प्राथमिक हितधारकों जैसे रंजन त्रेहन,राजेश व मनु सूद के नाम को बिना आधार व उनके स्वामित्व के किसी भी सबूत और दस्तावेज के उपलब्ध न होने के बावजूद गलत तरीके शामिल किया गया हैं और रिपोर्ट में बाद के पन्नों पर भी ये बार- बार जिक्र आया है कि रंजन त्रेहन से इस बावत बार -बार प्रयास करने पर भी संपर्क नहीं हो पाया।इस तरह संपत्ति के संदर्भ में जिन लोगों के पक्ष में कोई मालिकाना टाइटल ही नहीं हैं, के नामों को मंशाओं, जिन्हें केवल रिपोर्ट तैयार करने व्यक्ति वाले ही जानते हैं ,के तहत शामिल किया गया है।</p>	<p>संजय त्रेहन,राजेश सूद औा मनु सूद के नामों को संपत्ति में हिस्सेदारी के दावेदारों में बतौर हितधारक हिमाचलप्रदेश सरकार के भाषा ,कला व संस्कृति विभाग के दिनांक 1 फरवरी 2016 के पत्रांक संख्या LCD-F (5)-2/2001-II-Loose के मुताबिक जोड़ा गया।</p>

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

7	<p>कि हितधारकों के साथ विचारविमर्श की सूची (पृष्ठ संख्या 31,32 और अन्य पृष्ठों) दर्शाती है कि प्रश्नावली के रूप में कुछ फार्म स्ट्रीट वैंडर्स,हॉकरों और माल रोड व लक्कड़ बाजार के दुकानदारों को दिए गए व आउटसोर्स टीम ने इनसे दस्तखत भी करवाए,इन फार्मों को विभिन्न लोगों से भरवाया गया। इनमें से अधिकांश व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी म्यूजियम में गए ही नहीं और इनमें से कई तो म्यूजियम शब्द का अर्थ तक नहीं जानते। इस तरह प्रश्नावली के रूप में तैयार किए गए फार्मों पर उनकी राय की न तो कोई कीमत है या सामाजिक प्रभाव रिपोर्ट तैयार करने में किसी तरह से वह मददगार हैं।</p>	<p>जिन लोगों के बीच सर्वे किया गया प्रश्नावलियों को उन्हीं संबंधित व्यक्तियों की ओर से खुद भरा गया या जिस व्यक्ति का सर्वे किया जा रहा था उसकी मौजूदगी में सर्वे करने वाले व्यक्ति ने , उसकी राय को स्पष्टतया नोट कराने के लिए उसके खुद के कहने पर खुद भरा गया ।</p>
8	<p>कि यह समझ से परे है कि रिपोर्ट के पृष्ठ 38 पर मालिकों / हितधारकों की सूची में रंजन त्रेहन,राजेश सूद और मनु सूद के नामों को कैसे शामिल कर लिया गया। लगता है कि उन्हें शामिल करने के लिए उनके मौखिक शब्दों को पर ही विचार कर लिया गया और ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करते समय 2013 में अधिग्रहण प्रक्रिया को शुरू करने के दौरान अधिग्रहण कलेक्टर,शिमला(शहरी) की ओर से टाइटल व हित को लेकर दर्ज अस्वीकृति को नजरअंदाज कर दिया। इस तथ्य के बावजूद की रंजन त्रेहन से विभिन्न प्रयासों के बाद भी संपर्क नहीं हो पाया,जैसा कि ड्राफ्ट रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, उसका नाम शामिल किया गया। इससे ऐसा लगता है कि ऐसा उसे व उसके साथ बाकी व्यक्तियों राजेश सूद व मनु सूद को अनुचित लाभ देने के लिए किया गया है।</p>	<p>संजय त्रेहन,राजेश सूद औा मनु सूद के नामों को संपत्ति में हिस्सेदारी के दावेदारों में बतौर हितधारक हिमाचलप्रदेश सरकार के भाषा ,कला व संस्कृति विभाग के दिनांक 1 फरवरी 2016 के पत्रांक संख्या LCD-F (5)-2/2001-II-Loose के मुताबिक जोड़ा गया। जमीन के टाइटल/ स्वामित्व का फैसला करना एसआईए अध्ययन की परिधि के तहत नहीं आता</p>

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

<p>9</p>	<p>कि जैसा पृष्ठ 46 में जिक्र किया गया है कि आपतिकर्ताओं ने बार- बार दोहराया है कि उन्हें कोई आपति नहीं होगी अगर हिमाचल प्रदेश सरकार इस पूरी एस्टेट को अधिग्रहित करती है और इस संपत्ति का मौजूदा बाजार दर पर मुआवजा व सोलोशियम इत्यादि अदा करती हैं। सरकार के विभिन्न विभागों के साथ-साथ भू अधिग्रहण कलेक्टर ,शिमला(शहरी) के दस्तावेजों में ये पहले से ही दर्ज है कि साल 2010 में इस संपत्ति की जमीन की औसत कीमत 23000 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर से कहीं ज्यादा हैं।स्वाभाविक तौर पर संपत्ति के बेहतर व प्रीमियम हिस्से की 2010 में 23000 रुपए प्रति वर्ग मीटर जो औसत कीमत थी उससे कहीं ज्यादा बाजार कीमत मिलेगी।</p>	<p>मुआवजा RTFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा।</p>
----------	---	---

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

<p>10</p>	<p>कि रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या के 54 पर यह सुझाव देना व रिपोर्ट करना पूरी तरह से गलत है कि बैंटनी कैसल की संपत्ति को लाला राम कृष्ण ने 150,लोअर बाजार शिमला में राम कृष्ण एंड संस के नाम और स्टाइल की ओर से चलाए जा रहे कारोबार के फंड से खरीदा था। राम कृष्ण एंड संस के नाम व स्टाइल के तहत 150,लोअर बाजार, शिमला या किसी अन्य स्थान पर कोई कारोबार नहीं चलाया जा रहा है।जब यह संपत्ति राम कृष्ण एंड संस के नाम से खरीदी गई थी तो एक स्वतंत्र हिस्सेदारी कारोबार,जो कि एक पंजीकृत फर्म ,जिसमें लाला राम कृष्ण और उसके पांच बेटे हिस्सेदार थे,लेहणुमल राम कृष्ण एंड संस के नाम व स्टाइल से 150,लोअर बाजार शिमला में,चलाया जाता था,स्टेटस में यह परिवार एक अविभाजित हिंदू परिवार था और श्री रामकृष्ण परिवार के मुखिया/कर्ता थे।राम कृष्ण एंड संस की किसी भी समय पर कभी भी कोई कारोबारी गतिविधि नहीं थी और अविभाजित हिंदू परिवार राम कृष्ण एंड संस ने इस संपत्ति को अपनी संपत्ति आय जिसमें अन्य स्रोतों जैसे कृषि आय भी शामिल है,से खरीदा था। यह कहना भी गलत है और इस बावत आपत्ति है कि श्रीमती सुकर्मा देवी मैसर्स राम कृष्ण एंड संस के अविभाजित हिंदू परिवार की सदस्य थी या अविभाजित हिंदू परिवार राम कृष्ण एंड संस के साथ सुकर्मा देवी बतौर सह -हिस्सेदार सदस्य शामिल थी । राम कृष्ण एंड संस की ओर से संपत्ति खरीदने से बहुत पहले ही ,जैसा उस समय कानून में स्पष्ट था कि अविभाजित हिंदू परिवार में केवल पुरुष ही शामिल होते थे व लाला राम कृष्ण इसके कर्ता थे।</p>	<p>जरूरी सुधार किया जा चुका है</p>
-----------	--	------------------------------------

**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

11	<p>कि इस पर दोबारा आपति दर्ज की जाती है,जैसा कि ड्राफ्ट रिपोर्ट पृष्ठ 55 पर किया गया है कि संपत्ति के स्वामित्व के इतिहास में रंजन ब्रेहन,राजेश सूद व मनु सूद के नाम गलत शामिल किए गए है व इस बावत उपर पहले ही कारण बताए गए हैं।</p>	<p>संजय ब्रेहन,राजेश सूद औा मनु सूद के नामों को संपत्ति में हिस्सेदारी के दावेदारों में बतौर हितधारक हिमाचलप्रदेश सरकार के भाषा ,कला व संस्कृति विभाग के दिनांक 1 फरवरी 2016 के पत्रांक संख्या LCD-F (5)-2/2001-II-Loose के मुताबिक जोड़ा गया। जमीन के टाइटल/ स्वामित्व का फैसला करना एसआईए अध्ययन की परिधि के तहत नहीं आता।</p>
12	<p>ड्राफ्ट रिपोर्ट के पृष्ठ 60 में प्रभावित परिवारों की सूची में श्रीमती सुकर्मा देवी का नाम शामिल करना गलत व इस पर मजबूत आपति दर्ज की जाती है कि उसे राम कृष्ण एंड संस जिसका कर्ता लाला राम कृष्ण था,की अविभाजित हिंदू परिवार का सदस्य बताया गया है। उसकी पुत्री सुकर्मा देवी की बहुत पहले 1944 में शादी हो चुकी थी व महिला होने के नाते उस समय के कानून के मुताबिक उसे अविभाजित हिंदू परिवार के हिस्सेदार सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता था । श्रीमती सुकर्मा देवी के नाम को शामिल करने का निष्कर्ष पूरी तरह से गलत था। यहां तक कि राजस्व दस्तावेजों में भी मालिक व टाइटल धारक के रूप में सुकर्मा देवी का नाम कहीं नहीं हैं।ऐसा लगता है कि रिपोर्ट तैयार करते समय उन दस्तावेजों की पड़ताल सही तरीके से नहीं की गई।</p>	<p>संजय ब्रेहन, राजेश सूद और मनु सूद के नामों को संपत्ति में हिस्सेदारी के दावेदारों में बतौर हितधारक हिमाचलप्रदेश सरकार के भाषा ,कला व संस्कृति विभाग के दिनांक 1 फरवरी 2016 के पत्रांक संख्या LCD-F (5)-2/2001-II-Loose के मुताबिक जोड़ा गया। जमीन के टाइटल/ स्वामित्व का फैसला करना एसआईए अध्ययन की परिधि के तहत नहीं आता।</p>

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

<p>13</p>	<p>राजेश सूद ,मनु सूद और रंजन त्रेहन के नामों को गलत शामिल किया गया जैसे की पहले भी कारण बताए जा चुके हैं, ड्राफ्ट रिपोर्ट के पृष्ठ 56 पर जनांकिक तालिका में की गई टिप्पणी कि श्री रंजन त्रेहन को ढूँढा व कभी भी संपर्क नहीं किया जा सका ,बावजूद इसके उसका नाम शामिल किया गया। यह समझ में नहीं आ रहा कि जब वह कभी उपलब्ध ही नहीं हुआ और कोई दस्तावेज उसका टाइटल ही नहीं दर्शा रहा हैं तो ड्राफ्ट रिपोर्ट के विभिन्न कॉलमों में उसका नाम कैसे शामिल किया गया। साल 2013 में अधिग्रहित की जाने वाली संपत्ति की अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान उसके नाम को हितधारकों व टाइटल से भू अधिग्रहण कलेक्टर शिमला की रिपोर्ट में स्पष्टतया बाहर कर दिया था।</p>	<p>संजय त्रेहन, राजेश सूद और मनु सूद के नामों को संपत्ति में हिस्सेदारी के दावेदारों में बतौर हितधारक हिमाचलप्रदेश सरकार के भाषा ,कला व संस्कृति विभाग के दिनांक 1 फरवरी 2016 के पत्रांक संख्या LCD-F (5)-2/2001-II-Loose के मुताबिक जोड़ा गया। जमीन के टाइटल/ स्वामित्व का फैसला करना एसआईए अध्ययन की परिधि के तहत नहीं आता।</p>
-----------	--	---

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

<p>14</p>	<p>ड्राफ्ट रिपोर्ट में आजीविका शीर्षक के तहत बेंटनी कैसल के संदर्भ में किया जिक्र हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से मालिकों के साथ बदसलूकी का बिलकुल स्पष्ट मामला है। यह कहना पूरी तरह से गलत है कि इस विशाल संपत्ति से मालिकों की कोई आजीविका नहीं चलती है/थी। यह 2011के शुरू तक हिमाचल प्रदेश सरकार के पास किराए पर थी। इसी तरह जब यहां पर सरकारी कार्यालय काम करते थे तो, तो दो निजी व्यक्ति यहां पर कैंटीन चलाते थे। शहर में बेहतर व प्रमुख स्थान पर इस संपत्ति के होने की वजह से यहां पर बहुत से प्रोजेक्टों व आजीविका की बेशुमार गुंजाइश थी। लेकिन इस गुंजाइश को हर बार हिमाचल सरकार ने तबाह किया व बाधा पैदा की, खास कर एक विशेष राजनीतिक दल ने, सतारूढ दल और विपक्षी दल के बीच की जंग की वजह से। बार-बार नोटिस जारी किए जाते रहे और अधिग्रहण की कारवाई की जाती रही। किराए के तहत संपत्ति को खाली करने से इंकार किया जाता रहा। जब मालिकों ने संपत्ति से कब्जा खाली करवाया और इसे बहाल करने के लिए ताकि यह बेहतर दिख सके और इतने विशाल परिवार की आजीविका का जरिया बन सके तो सरकार की ओर से हैरिटेज का झूठा बहाना बनाकर कानूनी तौर पर किए जाने वाली मरम्मत व बहाली के काम को रूकवा दिया जिसकी वजह से मालिकों को करीब बीस लाख रुपए का बड़ा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। जब इन बाधाओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगे गए व इनको बिना आधार के पाया गया तो 2013 में संपत्ति को अधिग्रहण करने की एक और वेबजह कोशिश शुरू की गई। यह संपत्ति साल 1968 से 1971, 1975से 1986, 1986से 1996(जब माननीय हाई कोर्ट ने गलत अवार्ड को निरस्त कर दिया) और दोबारा 2004 से 2008(टेकओवर का झूठा भरोसा देने के बाद केवल पीछे हटने के लिए जब वार्ता के जरिए टेकओवर को अंतिम रूप दे दिया गया था,) तक गलत मंशा से अधिग्रहण अधिकार की छाया में रही। कल्पनाओं में कितने ही पंख क्यो न लगा दिए जाए फिर भी इस संपत्ति के बारे यह नहीं कहा जा सकता कि इस संपत्ति ने मालिकों के लिए आजीविका नहीं दी या नहीं दे सकती।</p>	<p>मालिकों /हितधारकों के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया से तीन साल से ज्यादा समय से यह जमीन आजीविका का प्राथमिक स्रोत नहीं था।</p>
-----------	--	--

**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

<p>15</p>	<p>ड्राफ्ट रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67(पैरा 6,3) के कमजोर समूह शीर्षक के तहत राजेश सूद ,मनु सूद और रंजन त्रेहन के नामों को शामिल करने पर दोबारा आपति दर्ज की जाती हैं। संपत्ति पर टाइटल व हिस्से के लिए मौखिक और अप्रमाणित दावा कर देने से इसे सामाजिक प्रभाव आकलन का भाग नहीं बनाया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर अगर किसी भू मालिक या व्यक्ति की ओर से जो अधिग्रहण कराने के पक्ष में नहीं है,संपत्ति पर मौखिक बयानों के आधार पर सौ झूठे दावेदारों का इंतजाम कर देता है तो अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना लगभग असंभव हो जाएगा,क्योंकि झूठे व्यक्तियों के ओर से किए गए संपत्ति पर किए दावों व दावेदारों की सत्यता को सुनिश्चित करने में इतना समय लग जाएगा कि सारी नए प्रक्रिया अधिग्रहण अधिनियम 2013 की विभिन्न धाराओं के तहत समय सीमा की वजह से रद्द हो जाएगी।</p>	<p>राजेश सूद और मनु सूद(श्रीमती सुकर्मा देवी के कानूनी वारिस)और संजय त्रेहन के नामों को संपत्ति में हिस्सेदारी के दावेदारों में बतौर हितधारक हिमाचलप्रदेश सरकार के भाषा ,कला व संस्कृति विभाग के दिनांक 1 फरवरी 2016 के पत्रांक संख्या LCD-F (5)-2/2001-II-Loose के मुताबिक जोड़ा गया। जमीन के टाइटल/ स्वामित्व का फैसला करना एसआईए अध्ययन की परिधि के तहत नहीं आता</p>
<p>16</p>	<p>इसे यहां दोबारा दोहराया गया है और सुकर्मा देवी के नाम को अविभाजित हिंदू परिवार जिसके कर्ता श्री राम कृष्ण थे,के हिस्सेदारों में शामिल किया गया है। इस पर आपति दर्ज की जाती है। ऐसा ड्राफ्ट रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 68 में स्वामित्व के प्रकार शीर्षक के तहत किया गया है। यह कानूनी प्रावधानों के विपरीत हैं।</p>	<p>फलस्वरूप जरूरी गलतियों को सुधार लिया गया हैं।</p>

**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

<p>17</p>	<p>ड्राफ्ट रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 76 पर शमन कदमों शीर्षक के तहत संबंधित व्यक्तियों को मुआवजे को लेकर दिए सुझावों पर आपत्ति दर्ज की जाती है, क्योंकि ये जगजाहिर तथ्य है कि मौजूदा प्रक्रिया के तहत पूरे प्रदेश में कलेक्टर भू अधिग्रहण सही बाजार कीमत का आकलन करने के लिए कभी भी कदम नहीं उठाते हैं, न ही वह अवार्ड की घोषणा करने से पहले मुआवजे के दावेदारों को असल बाजार कीमत को साबित करने के लिए सबूत मुहैया कराने की इजाजत देते हैं। भूअधिग्रहण अधिनियम के मुताबिक प्रभावितों व हितधारकों को बाजार कीमत के साथ सोलोशियम का भुगतान किया जाना है लेकिन कलेक्टर इसे टाल जाते हैं और सर्कल रेट पर अवार्ड घोषित कर देते हैं। इस तरह अधिग्रहण की जाने वाली संपत्ति की बाजार कीमत का आकलन का भार उपर की अदालतों पर हस्तांतरित कर देते हैं। कलेक्टर का इस तरह का नजरिया अधिग्रहण अधिनियम के तहत उसे बाजार कीमत का आकलन करने की सौंपी गई ड्यूटी से बचने की प्रवृत्ति का स्पष्ट मामला है।</p>	<p>मुआवजे का फैसला RTFCLARR Act, 2013 के प्रावधानों के मुताबिक किया जाएगा।</p>
<p>18</p>	<p>रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 76 पर दर्शाई गई वास्तविक नकारात्मक शमन के आकलन की प्रक्रिया पर भी आपत्ति दर्ज की जाती है। इस तरह के प्रभावों पर काबू पाने व वास्तविक लागत का आकलन करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिया गया है। यह एक चलताउ दृष्टिकोण है जिसे ड्राफ्ट रिपोर्ट में दर्शाया गया है।</p>	<p>विस्तृत परियोजना वाष्कारिकता/ प्रस्ताव की गैर मौजूदगी में परियोजना लगत औत चरण, प्रस्तावित आधारभूत ढांचा सुविधाएँ, कार्यबल आवश्यकता, आउटपुट, जोखिम, उत[अदन लक्ष्य नहीं किया जा सका </p>

**बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट**

19	निवेदन यह है कि ड्राफ्ट रिपोर्ट के पृष्ठ 78 पर यह अवलोकन करना बिलकुल सही है कि अगर सरकार की ओर से प्रस्तावित संपत्ति का आंशिक अधिग्रहण किया जाता है तो शेष बची जमीन के लिए कोई रास्ता नहीं जाएगा। इससे बेंटनी कैसल में बची गैर-अधिग्रहित जमीन किसी काम की नहीं रहेगी और मालिकों की यहां तक पहुंच बंद हो जाएगी। ड्राफ्ट रिपोर्ट में यह राय कि अगर अधिग्रहण किया जाना चाहिए तो पूरी बेंटनी एस्टेट का किया जाना चाहिए न कि आंशिक 3874 वर्गमीटर का, इस बावत भूमालिकों की दलीलों को मजबूत करती हैं।	रिपोर्ट के मुताबिक है।
20	ड्राफ्ट रिपोर्ट को तैयार करते समय पृष्ठ संख्या 81 पर सैलानियों के भ्रमण की बढ़ोतरी को लेकर दोबारा लापरवाहीपूर्ण व आपतियोग्य दृष्टिकोण अपनाया गया। रिपोर्ट में यह दर्शाने की कि मौजूदा म्यूजियम में कितने सारे सैलानी जाते हैं, न तो प्रयास किया गया और न ही दर्शाया गया ताकि कोई तुलना की जा सकती। ऐसा लगता है कि यह अटकलें, जो इस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करना चाहते हैं, उनको खुश करने के लिए लगाई गई हैं।	SIA अध्ययन के दायरे में नहीं आता है।
21	निष्कर्षतः ड्राफ्ट रिपोर्ट के पृष्ठ 91 व 93 पर सही राय व्यक्त की गई है और आखिर में सिफारिश की गई है कि जटिलताओं व शमन परिस्थितियों को कम करने के लिए पूरी एस्टेट को का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। यह भी सही है कि सैलानियों के ज्यादा प्रवाह के लिए ज्यादा अवसर और शहर व जनता के लिए अन्य सुविधाएं मुहैया होंगी।	रिपोर्ट के मुताबिक हैं।

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

अनुबंध XIV: आयोजित जनसुनवाई की प्रतिलिपि

विडिओ क्लिप 1 : जनसुनवाई की शुरुवात और बैनर की रिकॉर्डिंग

विडियो क्लिप 2 और 3

मनु सूद : “हमारा आलरेडी कोर्ट में सिविल सूट चला है और उसपे स्टे भी है और जो टोटल प्रॉपर्टी है उसका पार्ट है ये बेंटनी कैसल हमारी इसमें ऑब्जेक्शन है। सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन हमारी ये है की जैसे आप बोल रहे हैं की 19,000/20,000 स्क्वेयर मीटर है एंड गवर्नमेंट उसका एक पार्टिकुलर पार्ट ले रही है तो फिर अगर लेना ही है तो फिर सारा लो । वो पार्ट ले के सिर्फ बाकी सारा बेकार हो जायेगा हम तो खुद चाहते हैं की गवर्नमेंट ले और कुछ ऐसा जैसा प्रोजेक्ट हो ट्रिज्म से रिलेटिड हो ये जैसे आर्ट एंड कल्चर का म्यूजियम बना रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है शिमला शहर के लिए बट एटलीस्ट ये है की इसके को-ओनर हैं जैसे की हम हैं वो न मरे इस चीज़ के लिए ।

ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी दादी जी के फादर ने खरीदी थी। मेरी दादी के 5 ब्रदर्स थे और वो अकेली सिस्टर थी एंड जो जैसे की हमारे कल्चर में लड़की को जो देना हो वो उसको खुद मिल जाता है। तो हमें तो ये था की जब डिविज़न होगा तो जो दादी का शेयर है वो उन्हें खुद मिल जायेगा । तो वी आर जस्ट सरप्राइजड की 2014 में जब ये दोबारा से अक्वायर कर रहे थे तो नोटिस वगेरह आया तो उसमे हमारा कहीं नाम कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हुआ । हमने बात की तो कोई नतीजा न निकलने पर हमें कोर्ट जाना पड़ा। जहाँ ओनेरबल कोर्ट ने एकदम से हमें स्टे दे दिया क्योंकि कोर्ट की भी एक रिसर्च टीम होती है और उस समय नगी साहब एस डी एम् थे और उन्होंने भी देखा की इस केस में कहीं न कहीं कुछ गलती हुई है स्टे हो गया । और अब हमारा ये केस एविडेंस पे पहुँच गया है”

जीतेंद्र : “आपकी दादी जी का नाम क्या था ?”

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

मनु : “उनका नाम सुकर्मा था । काफी साल पहले किसी ने भी ये नहीं सोचा था की RTI आर टी आई से सारे डॉक्यूमेंट निकल जायेंगे । जो उस टाइम उन लोगों के कुछ सोर्सिस थी तो उन्होंने उन सोर्सिस का इस्तेमाल करके हमारी दादी जी को प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया।”

विराल : “तो एक बार तो हुआ होगा एंटर नाम?”

मनु : “हांजी। एक बार तो एंटर हुआ था नाम और जब ये नाम में चढ़ी तो उस टाइम एंटर हुआ था मतलब नॉट० ओनली बेंटनि बट बाकी जगह पर भी थी। तो कोर्ट इसकी कार्यवाही पर लगा है । मैं पार्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लेना चाहता जो है वो खुद सामने आ जायेगा । हम तो ये है की अगर मेरी दादी इसमें शेयरहोल्डर नहीं थे तो उनका नाम क्यों आना था? नाम आया और उसके बाद बाहर निकल गया और भी जो प्रोपर्टिस हैं उसमे उनका 1/6th शेयर है जैसे की बियर खाना है, हमारा गाँव है , वहां तीन चार ज़मीनें है ,तो ये बात है की जो शिमला की की प्राइम प्रॉपरटिस थी, वहां से उनका नाम गायब हो गया, और बाकी जगह रहा इसलिए हमें कोर्ट जाना पड़ा तो ये तो अब सिविल सूट है और सारा डाक्यूमेंट्स पे ही बेस्ड है ।

हमने ये व्यू पॉइंट किसी एडवोकेट से नहीं लिया है। ये हमारा पर्सनल व्यू पॉइंट है

अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। श्री राम कृष्ण जी इस प्रोपर्टी के मेन ओनर थे उन्ही के आगे लीगेज है उनके डायरेक्ट बाद ये प्रॉपर्टी बेटों के नाम चढ़ गयी उनके आगे संस , गेंड संस है ।”

जीतेंद्र : “राशी और मुदिता के कॉन्टेक्ट्स ?”

मनु : “मैं राशी और मुदिता के कॉन्टेक्ट्स के कॉन्टेक्ट्स अरेंज करने की कोशिश करूंगा।”

बंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

विडिओ 4 और 5

विश्वनाथ : “हमारे साथ कोई नेगोशिएशन नहीं हुई । ये तो आप लिख के भेज दो हम बता देंगे कि हमें मानना है या नहीं ...बात खत्म ।”

विडियो 6, 7 और 8

अजय मल्होत्रा: “जी हमारी एक सोशल वेल्फयेर ऑर्गेनाइजेशन है तो ये उसके बारे”

जीतेन्द्र: “कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ?”

अजय मल्होत्रा : “सोशल वेल्फयेर ऑर्गेनाइजेशन.... ये जो म्यूजियम वगैरह बना रहे हैमैं यहाँ था नहीं आई वाज आउट of आफ टाउन ।

ये जो बंटनी कैसल है उपर म्यूजियम का सोच रहे हैजो पुराने म्यूजियम है शिमला के वो भी करंटली मेन्टेन नहीं हो पा रहे हैं , गोवरंमेंट कोई अच्छी एक्टिविटीज हो तो बोहोत अच्छा होगा कोई बच्चों के रिगार्डिंग हो या कुछ और हो जितना मेरा सर्कल है उतने मैंने सिग्न करा दिए है ।”

विराल : “ये जो लोग है वो दीज आर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बर है या जनरल लोग है ?”

अजय मल्होत्रा : “ये नोर्मल लोग है ऑर्गेनाइजेशन के तो एक दो है बाकी तो आम जनता है।”

जीतेन्द्र : “हम इसे ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रजेंटेशन माने या आम पब्लिक का ?”

अजय मल्होत्रा : “पब्लिक का ही ...”

जीतेन्द्र : “रिप्रजेंटिद बाय सोशल वेल्फयेर ऑर्गेनाइजेशन ।”

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

अजय मल्होत्रा : “कुछ करना ही है तो कुछ अच्छा करो शिमला की प्राइम प्रोपटी है ... कुछ अच्छी एक्टिविटी करना जरूरी है ..ये रूट इतना अच्छा हैदेयर इज ए नीड ऑफ पार्क।”

विराल : “हमने यह रिपोर्ट में डाला है कि म्यूजियम के साथ साथ पब्लिक पार्क जैसा कि आप बोल रहे हैं हमने ये रिकमेन्डेशन डाला है कि वी आर गेटिंग एनफ स्पेस तो म्यूजियम के साथ साथ पार्क भीवी हेव पूत ए रिकमेन्डेशन कि स्टेट मुजियम जो चौड़ा मैदान में है उसे अगर यहाँ शिफ्ट किया जाए तो”

अजय मल्होत्रा : “म्यूजियम तो शिमला है और ये प्राइम जगह पर है स्टेट म्यूजियम को सब जानते हैं वल्ड वाइड सब जानते हैं उसको तो एक और बनके कोई फायदा नहीं है नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि कोई पार्क वगेरह हो, इन प्लेन्स वी फाइंड पार्क्स एंड सोसाइटी वगेरह में पार्क होते हैं जहाँ सब जा सकते हैं कुछ ऐसा करो जहाँ ओल्ड लोग जा सके “

विराल:- “पार्क ईन सच ए प्लेस मेय नॉट बी वेरी फिजिबल आई एम टराईंग टू गेट यू आईडिया शिमला में दो क्लब है।”

अजय:- “ईट ईस टू डिफिकल्ट टू गेट मेम्बरशिप ईन एगसिटिंग क्लब्स ऑफ शिमला। आई सुजेस्ट ए पार्क और ए क्लब वेयर आम जनता को बेनिफिट हो।”

विराल :” आप उन लोगों के कांटेक्ट डिटेल्स और डेसिगनेशन ओकूपेशन वगेरह करवा दीजिये जो इस तरह की पार्क्स का समर्थन करते हैं।”

अजय मल्होत्रा :” हां वो मैं कर देता हूँ ...मेल ...कर देता हूँ “

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

विडियो 9, 10, 11 और 12

विश्वनाथ : “ हिमूण्डा के अपने लैंड रेट क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ की क्या मुझे न्यू शिमला के रेट्स से भी कम रेट्स मिलेंगे ? मैं जनरल बात कर रहा की गोवर्मेन्ट को ये नहीं मिलेगी अगर वो ऐसा चाह रहे हैं । अगर वो मानते हैं तो ठीक है ।“

विश्वनाथ:- “पब्लिक को क्या फायदा होगा ? जनरल पब्लिकेट लार्ज व्हेदर ऑफ शिमला और ट्रिस्ट ? यंहा एक ट्रामा सेंटर होना चाहिए । बीमार हो जाये तो कोई सनोडन जाते हैं । गाड़ी नहीं पहुँचती है विंटर में । एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है । कई और चीजे हैं । देयर आर मेनी थिंग्स । मैं राजेश सूद और मनु सूद के सुझाओ देखना चाहता हूँ एक बार । ये किसकी है ? किस ऐन जी ओ की रिपोर्ट है । यंहा एक ट्रामा सेंटर होना चाहिए । बीमार हो जाये तो कोई सनोडन जाते हैं । गाड़ी नहीं पहुँचती है विंटर में । एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है । कई और चीजे हैं । देयर आर मेनी थिंग्स । मैं राजेश सूद और मनु सूद के सुझाओ देखना चाहता हूँ एक बार । ये किसकी है ? किस ऐन जी ओ की रिपोर्ट है ।

राजेश और मनु ईटीसी. हमारी सिस्टर के बच्चे हैं । राजेश, मनु और वो लडकियां । आवर फादर डॉयेड इन थे ईयर 1980, आवर सिस्टर डॉयेड 29 इयर्स लैटर । सिस्टर के बेटे की डेथ 2013 या 2014 में हो गई

(मनु के फादर) आवर सिस्टर नेवर क्लेमड अन्य शेर ड्यूरिंग हेर लाइफ टाइम क्योंकि 1944 में मेरी सिस्टर की शादी हो गए थी । आज से 60 से 70 वर्ष पहले और इंडिया लॉ में डॉटर्स का कोई हक नहीं होता था । लॉ क्लियर बोलता था । उनके टाइम में तीन एक्वीजीशन हुई । 86,75,2004 । कभी उन्होंने क्लेम नहीं क्या । सिस्टर की डेथ 2009 में हुई। कंही उनका रेवेनुए में रिकॉर्ड नहीं था ।

जब 2013 में एक्वीजीशन हुई राजेश बगैरह को किसी ने बोल दिया की क्लेम कर दो ।

जब भी कोई लैंड अकुइज़िशन का क्लेम आएगा तो सिम्पल ही आएगा, उसपे कोई कोर्ट

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

फीस नहीं लगेगी तो उन्होंने अप्लिकेशन डाल दी यह सोच की चलो मिल गया तो ठीक वरना दे
हैंड नथिंग टू लूज। उस बेसिस पे उन्होंने अप्लिकेशन फ़ाइल कर दी। अब अगर कोई प्रूफ ऑफ़
पोज़ेशन का टाइटल होता तो उनका माना जा सकता था नहीं तो कैसे माना जायेगा। इसी बेसिस पे
डिपार्टमेंट ने 2013 में इनको मन कर दिया की कुछ नहीं मिलेगा।”

[अंत]

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

अनुबंध XV: मुदिता और राशी सूद हेतु प्रश्नावली की प्राप्ति रिसीद श्रीमती वीना सूद (माँ) द्वारा
और SIA में भाग लेने का अनुरोध करते हुए श्री संजय त्रेहन को भेजा गया ईमेल।

114) If the land is acquired, will you loose your livelihood? If Yes, How?
.....
.....
.....
NA

115) Has the Government offered you compensation for your loss of Livelihood?
 Yes No

116) If yes, how has the compensation been offered?
 To provide employment on the new project for which land is acquired?
 To provide employment on somewhere else?
 Compensate with money to the loss of your income?
 any other mode (specify).....

117) Are you Satisfied with the compensation being offered? If no, Why?
.....
.....
.....
NA

118) How do you want your compensation to be for your loss of livelihood?
 To provide employment on the new project for which land is acquired?
 To provide employment on somewhere else?
 Compensate with money to the loss of your income?
 any other mode (specify).....

119) What would be your preference for an alternate livelihood if given an option?
.....
.....
.....
NA

120) Do have the relevant Skill/Qualification for your above stated preference? Explain.
.....
.....
.....
NA

121) Why have you not opted for the above preference until now? Explain your shortcomings/reasons in detail.
.....
.....
.....
NA

श्री उषा पुत्रिका मुदिता व राशी हेतु प्रश्न प्राप्त किए
और मैं उन्हें पहुंचा दूंगी

(माँ सूद)
19/7/2016

16

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट



बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

सन्दर्भ

1. SIA Rules 2015, Govt. of Himachal Pradesh
2. Social Impact Assessment Report of a Research Project on Social Impact assessment of R&R Policies and Packages in India Council for Social Development New Delhi, August 2010
3. SIA study for N-S Corridor of Ahmadabad metro, interim report December, 2015 RITES LTD.
4. EIA & SIA for 220 kV Power Transmission Line: Manali to Nalagarh, HP, India Final Report, August 2008 by ERM India Pvt. Limited
5. Social Impact Assessment of Binhai LNG Project-- Based On Questionnaire, Zhang Luocheng, Li Chuanwu, Chinese academy of Science
6. Social Impact Assessment report by Sakhalin Energy Investment Company
7. Designing Household Survey Samples: Practical Guidelines, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, Series F No. 98, United Nations, 2005
8. A Comprehensive Guide for Social Impact Assessment, Centre for Good Governance, 2006
9. SIA of Dhaula Sidh, Hamirpur 66MW hydro Project, Department Of Agricultural Economics, Extension Education & Rural Sociology College Of Agriculture Csk Hp Krishi Vishvavidyalaya Palampur, April, 2011.

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

- 10.ADB 2007 *Handbook on Social Analysis: A Working Document* Manila: Asian Development Bank
- 11.ADB 1998 *Handbook on Resettlement: A Guide to Good Practice* Manila: Asian Development Bank
- 12.ADB 1994 *Handbook for the Incorporation of Social Dimension in Projects* Manila: Asian Development Bank (Social Development Unit)
- 13.ADB 1993 *Guidelines for Incorporation of Social Dimensions in Bank Operations* Manila: Asian Development Bank
- 14.Cernea, Michael M 1995 *Understanding and Preventing Impoverishment from Displacement: Reflections on the State of Knowledge*. Keynote Address presented at the International Conference on Development-induced Displacement and Impoverishment, held at the University of Oxford, 3-7 January 1995 (pp 1-32)
- 15.Cernea, Michael M and Ayse Kudat 1997 *Social Assessment for Better Development* Washington DC: The World Bank
- 16.Chambers, Robert 1997 *Whose Reality Counts? Putting the Last First* London: IT Publications
- 17.Chambers, Robert 1991 "Shortcut and Participatory Methods for Gaining Social Information for Projects" in Michael M Cernea (ed) 1991 *Putting People First: Sociological Variables in Rural Development* (Second Edition) New York: Oxford University Press/Published for the World Bank (pp 515-537)
- 18.Finsterbusch, Kurt and William R Freudenburg 2002 "Social Impact Assessment and Technology Assessment", in Riley E Dunlop and

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

- William Michelson (eds) 2002 *Handbook of Environment Sociology*
Westport, CT: Greenwood Press (pp 407-447)
19. Goldman R Laurence (ed) 2000 *Social Impact Analysis: An Applied Anthropology Manual* Oxford/New York: Berg
20. Goldman, Laurence and Scott Baum 2000 "Introduction" in Laurence R Goldman (ed) 2000 *Social Impact Analysis: An Applied Anthropology Manual* Oxford/New York: Berg
(pp 1-31)
21. Government of India 2007 *The National Rehabilitation and Resettlement Policy 2007*
New Delhi: Ministry of Rural Development
22. Government of Orissa 2006 *Orissa Resettlement and Rehabilitation Policy 2006* Bhubaneswar: Revenue Department
23. IAIA 2003 *International Principles for Social Impact Assessment* Fargo, ND, USA: International Association for Impact Assessment (Special Publication Series No 2, May 2003 (pp 1-8)
24. IFC 2002 *Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan*
Washington DC: International Finance Corporation
25. IOCPG (Interorganizational Committee on Principles and Guidelines for Social Impact Assessment) 2003 "Principles and Guidelines for Social Impact Assessment in the USA" *Impact Assessment and Project Appraisal*, volume 21, number 3, September 2003 (pages 231-250)
26. IOCGP (Interorganizational Committee on Guidelines and Principles for Social Impact Assessment) 1994 "Guidelines and Principles for Social

बैंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

Impact Assessment”, *Impact Assessment*, volume 12, number 2, 1994
(pages 107-152)

27. Iyer, Ramaswamy R 2011 “Converting Resettlement Policy into Resettlement Law: A Welcome Step, but No Occasion for Celebration Yet” in Hari Mohan Mathur (ed) Forthcoming 2010 *Resettling Displaced People: Policy and Practice in India*. New Delhi/London: Routledge
28. Jacobs, Susan 1998 *World Bank Experience with Social Assessment: Practice at a Turning Point* Paper presented at the April meeting of the International Association for Impact Assessment (IAIA)
29. Kanbur, Ravi 2001 *Qualitative and Quantitative Poverty Appraisal. The State of Play and Some Questions* Paper presented at Qualitative and Quantitative Poverty Appraisal: Complementaries, Tensions and the Way Forward workshop held at *Qualitative and Quantitative Poverty Appraisal* Cornell University, March 15-16
30. Kumar, Krishna 1987 *Conducting Group Interviews in Developing Countries* Washington DC: U.S. Agency for International Development (Program Design and Evaluation Methodology Report No 8)
31. Mathur, Hari Mohan 2008 (ed) *India Social Development Report 2008: Development and Displacement* New Delhi: Oxford University Press/Council for Social Development
32. Mathur, Hari Mohan 2003 *A Review of the NHAI Resettlement Experience (Western Transport Corridor Project)*. Prepared for the Asian Development Bank (processed)

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

33. Mathur, Hari Mohan. 2006. "Making Resettlement Work: Issues in Planning and Management", *The Eastern Anthropologist* Vol 59, No. 2 April-June 2006(pp157-177)
34. Modak, Prasad and Asit K Biswas 1999 *Conducting Environmental Impact Assessment in Developing Countries* New York: Oxford University Press/ Tokyo: United Nations University Press (also published in India by Oxford for sale only in South Asia)
35. Morse, Bradford and Thomas Berger 1992 *Sardar Sarovar: The Report of the Independent Review*. Ottawa: Resource Futures International (RFI) Inc.
36. Roche, Chris 2009 *Impact Assessment for Development Agencies: Learning to Value Change* Oxford: Oxfam (reprinted 2002, 2004, 2005, and 2009)
37. Schreckenber, Kate et al 2010 *Social Assessment of Conservation Initiative: A Review of Rapid Methodologies* London: IIED
38. Scudder, Thayer 2006 *The Future of Large Dams: Dealing with Social, Environmental, Institutional and Political Costs* London/Sterling VA: Earthscan
39. Scudder, Thayer. 1997 "Social Impacts of Large Dams", in Dorsey, Tony (ed). 1997. *Large Dams: Learning from the Past Looking at the Future*. (Workshop Proceedings, Gland, Switzerland, 11-12 April 1997) Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN/Washington DC: The World Bank Group (pp 41-68)
40. Vanclay, Frank 2006 "Conceptual and Methodological Advances in Social Impact Assessment", in Becker, Hank A and Frank Vanclay

बेंटनी कैसल उप मोहाल कालीबाडी, तहसील शिमला अर्बन, जिला शिमला के
भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट

(eds) 2006 *The International Handbook of Social Impact Assessment: Conceptual and Methodological Advances*. London: Edward Elgar Publishing

41. Vanclay, Frank 2000 *Social Impact Assessment* Contributing Paper Prepared for the World Commission on Dams (for the Thematic Review V.2: Environment and Social Assessment for Large Dams)

42. Vanclay, Frank 1999 "Social Impact Assessment", in J Petts (ed) 1999 *International Handbook of Environmental Impact Assessment* (Vol I) Oxford: Blackwell science

43. World Bank 2004 *Involuntary Resettlement Source Book: Planning and Implementation in Development Projects* Washington DC: The World Bank

44. World Bank 2003 *Social Analysis Sourcebook: Incorporating Social Dimensions into Bank-Supported Projects* Washington DC: The World Bank/Social Development Department

45. WCD 2000 *Dams and Displacement: A New Framework for Decision-Making* (The Report of the World Commission on Dams) London/Sterling VA: Earthscan Publishing Ltd.